<u>भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I, खंड-I में प्रकाशनार्थ</u>

फा. सं. 06/10/2023-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

व्यापार उपचार महानिदेशालय

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,

5, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

दिनांक: 19 दिसंबर, 2024

<u>अंतिम जांच परिणाम</u>

<u>मामला सं. एडी (ओआई) - 10/2023</u>

क. <u>मामले की पृष्ठभूमि</u>

1. मेसर्स प्लेसेरो इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, जिसे 'पेक्सपो' के नाम से भी जाना जाता है (जिसे आगे "आवेदक" या "याचिकाकर्ता" कहा भी गया है) ने समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष विहित प्रपत्र और ढंग से एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें चीन जन. गण. (जिसे आगे ''संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित **'' वैक्यूम इंसुलेटे फ्लास्क और स्टेनलेस स्टील के अन्य वैक्यूम बर्तन''** (जिसे आगे "वैक्यूम फ्लास्क" या "संबद्ध वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने और उन पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

ख. <u>प्रक्रिया</u>

2. इस जांच के संबंध में, नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

क. नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार प्राधिकारी ने जांच की शुरूआत करने से पहले वर्तमान पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देश / क्षेत्र के दूतावास को सूचित किया।

ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 20 सितंबर 2023 की अधिसूचना संख्या 6/10/2023-डीजीटीआर के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की।

ग. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास, सभी ज्ञात निर्यातकों, आयातकों और प्रयोक्तओं (जिनके ब्यौरे आवेदक ने उपलब्ध कराए थे) को प्रश्नावलियों के साथ सार्वजनिक सूचना की एक प्रति भेजी और उन्हें पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अवसर दिया। उनसे इस सूचना की तारीख से 30 दिनों के भीतर उत्तर देने के लिए कहा गया।

घ. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार संबद्ध देश के ज्ञात निर्यातकों और दूतावास को आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति भेजी थी। आवेदन की एक प्रति अनुरोध करने पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी दी गई थी।

ड. प्राधिकारी ने एडी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देश के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों / निर्यातकों को संगत सूचना मंगाने के लिए प्रश्नावली भेजी थी।

क्र.सं.	**उत्पादक/निर्यातक**
1.	झेजियांग ज़िमी हीट प्रिजर्वेशन यूटेंसिल्स कंपनी लिमिटेड
2.	डेसिप्रो पीटीई लिमिटेड
3.	फैंसी टेकमी कंपनी लिमिटेड
4.	हायर्स एचके लिमिटेड
5.	जुनहुई इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड
6.	कैक्सुन इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड

7.	क्योडो इंटरनेशनल लिमिटेड
8.	यूनियन सोर्स कंपनी लिमिटेड
9.	वुई हाओकी इंडस्ट्री एंड ट्रेड कंपनी
10.	यिवू एम्पायर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी
11.	यिवु लोंगजिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट लिमिटेड
12.	यिवू ओएनसीसीसी इंटरनेशनल लिमिटेड
13.	यिवू वाटर क्यूब इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रा
14.	योंगकांग ओमू हाउसवेयर कंपनी लिमिटेड
15.	योंगकांग झोंगडुन इंडस्ट्रीयल एंड ट्रेड कंपनी लिमिटेड
16.	झेजियांग ली हेंग इंटरनेशनल ट्रेड
17.	झेजियांग ज़ियोनगताई हाउसवेयर कॉर्प लिमिटेड

च. संबद्ध देश से निम्नलिखित उत्पादकों / निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दिया है या अनुरोध किए हैं।

क्रं. सं.	**प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातक**
1.	योंगकांग जिनडुओ कप्स कंपनी लिमिटेड
2.	एसेट क्राउन लिमिटेड
3.	झेजियांग हाओकी इंडस्ट्री एंड ट्रेड कंपनी लिमिटेड
4.	झेजियांग कुआंगडी इंडस्ट्री एंड ट्रेड कंपनी लिमिटेड
5.	झेजियांग ज़ियोनगताई हाउसवेयर कॉर्प लिमिटेड

छ. एडी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों / प्रयोक्ताओं से आवश्यक सूचना मंगाते हुए प्रश्नावलियां भी भेजी गई थीं।

क्रं. सं.	**आयातक/प्रयोक्ता**
1.	एकोन कंज्यूमर केयर प्राइवेट लिमिटेड
2.	एटलस मेटल प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड
3.	एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड

4.	बोरोसिल लिमिटेड
5.	सेलो वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड
6.	धारा स्टील इंटरनेशनल
7.	डीजेएम हाउसवेयर प्राइवेट लिमिटेड
8.	हैमिल्टन हाउसवेयर प्राइवेट लिमिटेड
9.	कृषा ग्लोबल इम्पोर्ट्स एलएलपी
10.	लिंक पार्टनर्स
11.	मोडवेयर इम्पेक्स
12.	नाकोडा ट्रेडर्स
13.	श्री बालाजी होम प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
14.	सिद्धि विनायक एंटरप्राइजेज
15.	सोना एंटरप्राइजेज
16.	एसपीएम इनोवेशन
17.	स्वास्तिक इम्पेक्स
18.	टाटा स्टारबक्स प्राइवेट लिमिटेड
19.	टोक्यो प्लास्ट इंटरनेशनल लिमिटेड
20.	यूनिवर्सल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
21.	यूनिवर्सल टेक्सोफैब्स
22.	वाया लाइफ प्राइवेट लिमिटेड
23.	विनोद कुकवेयर

ज. संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित आयातकों ने आयातक प्रश्नावली का उत्तर दिया है या अनुरोध किए हैं।

क्रं. सं.	प्रतिवादी आयातक
1.	बोरोसिल लिमिटेड
2.	सेलो वर्ल्ड लिमिटेड
3.	हैमिल्टन हाउसवेयर प्राइवेट लिमिटेड

झ. बोरोसील लि॰ ने 19 मार्च, 2024 को आयातक प्रश्नावली के उत्तर का गोपनीय अंश प्रस्तुत किया है। प्राधिकारी द्वारा विहित आईक्यूआर के अनुसार आयातक द्वारा पांच (5) परिशिष्ट संलग्न करने होते हैं। आईक्यूआर की जांच के दौरान प्राधिकारी ने यह देखा है कि परिशिष्ट 1 और 2, केवल पहले और अंतिम बीस (20) सौदों का उल्लेख आयातक ने किया है। इसके अलावा, परिशिष्ट-3 में दी गई सूचना बिल्कुल अधूरी पाई गई है, क्योंकि पहले और दूसरे पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान मात्रा और मूल्य के संबंधित कॉलम आयातक ने रिक्त छोड़ दिए हैं। इसके अलावा, परिशिष्ट 4 और 5 नहीं दिए गए हैं। इसके अलावा, एक्सेल शीट में दिए जाने के लिए अपेक्षित आंकड़ों को पीडीएफ फार्मेट में दिया गया है। आयातक ने 15 अप्रैल 2024 को आईक्यूआर का अगोपनीय अंश परिचालित किया है। यह सुस्थापित सिंद्धांत है कि अगोपनीय अंश को प्राधिकारी को प्रस्तुत गोपनीय अंश की वास्तविक अनुकृति होना चाहिए। यह देखा गया है कि आयातक ने परिशिष्ट 4 और परिशिष्ट 5 के अनुरोध का उल्लेख किया है और दोनों परिशिष्टों में पूर्ण गोपनीयता का दावा किया है। आयातक ने यह नहीं बताया कि उसने प्राधिकारी को परिशिष्ट 4 और 5 प्रस्तुत नहीं किए हैं। तत्पश्चात 22 जून 2024 को प्राधिकारी ने आयातक द्वारा प्रस्तुत आईक्यूआर से संबंधित दस्तावेजों के संबंध में सत्यापन मांगा। आयातक ने प्राधिकारी द्वारा मांगे गए सत्यापन दस्तावेज नहीं दिए। उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी मानते हैं कि हितबद्ध पक्षकार ने निर्धारित समय के भीतर आवश्यक सूचना देने से मना किया है और उसे उपलब्ध नहीं कराया है और इसलिए आयातक द्वारा प्रस्तुत आईक्यूआर पर विचार नहीं किया जा सकता है।

ञ. मेसर्स हैमिल्टन हाउसवेयर्स प्राइवेट लिमिटेड ने आयातक प्रश्नावली का देर से उत्तर प्रस्तुत किया है अर्थात 27 मार्च, 2024 । जबकि उसे प्रस्तुत करने की

निर्धारित समय सीमा 19 मार्च, 2024 थी। प्राधिकारी ने 4 अप्रैल, 2024 को आयातक को पत्र भेजा कि उसका उत्तर समय सीमा के बाद दिया गया है और उस पर विचार नहीं किया जा सकता है।

ट. सेला वर्ल्ड लि०, जो एक आयातक है, ने आयातक प्रश्नावली का निर्धारित समय सीमा के बाद उत्तर दिया है। इसके अलावा, आयातक द्वारा प्रस्तुत लिखित अनुरोध भी समय सीमा के बाद के हैं। अत: प्राधिकारी द्वारा उन पर विचार नहीं किया जा सकता है।

ठ. संबद्ध वस्तु के आयातकों की एक एसोसिएशन होमवेयर गुड्स ऐसोसिएशन आफ इंडिया ने वर्तमान जांच में स्वयं को हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत भी किया है। उसने पीयूसी और जांच के संबंध में टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं। इस अंतिम जांच परिणाम के संगत खंडों में ऐसोसिएशन के तर्कों का समुचित समाधान किया गया है।

ड. उक्त अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अलावा, ईगल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने भी स्वयं को एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत भी किया है, परंतु कोई टिप्पणियां या विहित प्रश्नावली का कोई उत्तर नहीं दिया है।

ढ. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को और संबंधित मंत्रालय को आर्थिक हित प्रश्नावली (ईआईक्यू) जारी की। ईआईक्यू का उत्तर घरेलू उद्योग और एक आयातक अर्थात सेलो वर्ल्ड लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है।

ण. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की गोपनीयता के दावों के पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गापेनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया है, जहां संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था।

त. आवेदक से आवश्यक समझी गई सीमा तक अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी।

थ. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों का आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन किया गया था।

द. क्षति रहित कीमत (जिसे आगे एनआईपी भी कहा गया है) को सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धातों (जीएएपी) के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत और उसे बनाने और बेचने की लागत के आधार पर निर्धारित किया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वर्तमान पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है।

ध. आवेदक ने आवेदन प्रस्तुत करते समय 1 अप्रैल 2023 - 31 दिसंबर 2023 (9 महीने) पर जांच अवधि के रूप में विचार किया था। तथापि, आवेदक द्वारा बाद में अगली तिमाही के आंकड़े दिए गए थे और उसके बाद इस अवधि को बदल कर अप्रैल 2022 से मार्च 2023 (12 महीने) का किया गया था। इस प्रकार वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 (जिसे आगे जांच अवधि या पीओआई भी कहा गया है) है। क्षति विश्लेषण अवधि में जांच की अवधि और पूर्ववर्ती वर्षों 2019-20, 2020-21, 2021-2022 की अवधि शामिल है।

न. प्राधिकारी ने 20 सितंबर 2023 की जांच शुरूआत अधिसूचना के पैरा 7 के द्वारा हितधारकों को जांच की शुरूआत के 30 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद के दायरे और उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) संबंधी अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अवसर दिया था।

प. तत्पश्चात प्राधिकारी ने 10 नवंबर 2023 को पीयूसी के दायरे और पीसीएन पद्धति का निर्णय करने के लिए एक बैठक आयाजित की थी। प्राधिकारी को पीयूसी और अपनाई जाने वाली पीसीएन पद्धति संबंधी टिप्पणियां प्राप्त हुईं और उन पर विचार किया गया। तदनुसार, प्राधिकारी ने दिनांक 26 फरवरी, 2024 की अधिसूचना द्वारा पीयूसी का दायरा और पीसीएन पद्धति को पुन: परिभाषित किया। हितबद्ध पक्षकारों को सूचना जारी होने के 15 दिनों के भीतर प्रश्नावली का संबंधित उत्तर प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया।

फ. प्राधिकारी को आवेदक और प्रतिवादियों से यह स्पष्ट करने का अनुरोध प्राप्त हुआ कि क्या वैक्यूम बॉडी पीयूसी के दायरे में शामिल है। मांगे गए स्पष्टीकरण के उत्तर में प्राधिकारी ने दिनांक 10 मई, 2024 की अधिसूचना द्वारा स्पष्ट किया कि यद्यपि लेड, ढक्कन और बॉटम जैसे हिस्से शामिल हैं, परंतु फ्लास्क और अन्य वैक्यूम इंसुलेटेड बर्तनों की वैक्यूम इंसुलेटेड बॉडी लिड, ढक्कन और बॉटम जैसे हिस्सों सहित या रहित, इस पीयूसी के दायरे में शामिल हैं। लिड, ढक्कन और बॉटम के साथ या उसके बिना वैक्यूम इंसुलेटेड बॉडी की बिक्री या आयात के मामले में हितबद्ध पक्षकारों को वैक्यूम इंसुलेटेड बॉडी की पहचान करने और उसके बारे में अलग से आंकड़े प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था। हितबद्ध पक्षकारों को प्रश्नावली के उत्तर में यह सूचना देने के लिए 7 दिनों का अतिरिक्त समय दिया गया था।

ब. तत्पश्चात एडी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने 19 जून, 2024 को हुई मौखिक सुनवाई के दौरान हितबद्ध पक्षकारों को उनके विचार प्रस्तुत करने के लिए अवसर दिया। हितबद्ध पक्षकारों से 26 जून, 2024 तक उनके लिखित अनुरोध और 3 जुलाई 2024 तक खंडन अनुरोध प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया था।

भ. निर्दिष्ट प्राधिकारी के बदलने के कारण 10 सितंबर, 2024 को पुन: मौखिक सुनवाई हुई थी जिसमें सभी हितबद्ध पक्षकारों को उनके विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था। हितबद्ध पक्षकारों से 17 सितंबर, 2024 तक उनके लिखित अनुरोध और 20 सितंबर, 2024 तक खंडन अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।

म. प्राधिकारी ने केंद्र सरकार को अंतिम सिफारिश करने के लिए विचाराधीन सभी अनिवार्य तथ्यों वाला एक प्रकटन विवरण 3 दिसंबर, 2024 को सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया था। प्राधिकारी ने इन अंतिम जांच परिणाम में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सभी प्रकटन पश्चात टिप्पणियों की संगत सीमा तक जांच की है। कोई अनुरोध जो केवल पिछले अनुरोध का पुन: प्रस्तुतीकरण है जिसकी पहले प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त रूप से जांच की गई थी, को संक्षिप्तता के लिए उसे दोहराया नहीं गया है।

य. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से मना किया या अन्यथा उसे प्रदान नहीं किया है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने अवलोकन दर्ज किए हैं।

कक. इस अंतिम जांच परिणाम में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई और नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।

खख. पीओआई के लिए अमेरिकी डॉलर को भारतीय रूपए में बदलने के लिए विचार की गई विनमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = **81.06 रूपए** है।

ग. <u>विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु</u>

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

3. विचाराधीन उत्पाद के दायरे और समान वस्तु के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. आवेदक ने याचिका में विचाराधीन उत्पाद को "वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क और स्टेनलेस स्टील के अन्य वैक्यूम बर्तन" के रूप में परिभाषित किया है। तथापि, जांच शुरूआत अधिसूचना के अनुसार यह उत्पाद स्टेनलेस स्टील के वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क या अन्य बर्तन हैं "और" तथा "या" शब्द का समान अर्थ नहीं हो सकता है। जांच शुरूआत अधिसूचना में परिभाषित पीयूसी में उस जांच के दायरे को बढ़ा दिया है जिसका आवेदक ने अनुरोध किया था और स्टेनलेस स्टील के अन्य बर्तन को भी शामिल कर लिया है।

ii. जांच शुरूआत अधिसूचना का अर्थ है कि पीयूसी में वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क और स्टेनलेस स्टील के अन्य बर्तन शामिल होंगे, सभी प्रकार के फ्लास्क और बर्तन सामग्री पर विचार किए बिना पीयूसी के दायरे में शामिल हैं। तथापि प्रस्तावित पीसीएन यह संकेत करता है कि जांच केवल स्टील उत्पादों तक सीमित है।

iii. प्राधिकारी स्पष्ट करें कि क्या ऐसे स्टेनलेस स्टील के बर्तन जो वैक्यूम इंसुलेटेड नहीं हैं, पीयूसी के दायरे से बाहर हैं।

iv. प्राधिकारी से यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि क्या लेड, कैप और बॉटम या वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क अथवा स्टेनलेस स्टील के वैक्यूम इंसुलेटेड बर्तन जिन्हें एचएस कोड 96170090 (भाग) के अंतर्गत आयातित किया जाता है, के बिना वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क बॉडी पीयूसी के दायरे में शामिल है। यदि ऐसे हिस्से पीयूसी के दायरे में शामिल हैं, तो प्राधिकारी उनके लिए अलग पीसीएन विहित कर सकते हैं।

v. प्राधिकारी से यह स्पष्ट करने का अनुरोध है कि क्या इलेक्ट्रिक केटल जो एचएस कोड 8516 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं और जो वास्तव में वैक्यूम इंसुलेटेड बर्तन नहीं हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बर्तन पीयूसी के दायरे से बाहर हैं ।

vi आवेदक ने बाहरी स्टील वाल के ग्रेड और भीतरी स्टील वाल के ग्रेड के लिए पीसीएन का प्रस्ताव किया है। ऐसी पीसीएन पद्धति अपने आप में बिल्कुल सही तुलना सुनिश्चित नहीं करेगी।

vii. विभिन्न प्रकार के बर्तनों का विभिन्न अंतिम उपयोग होता है और प्रयोक्ता द्वारा उन्हें अलग उत्पाद माना जाता है। विभिन्न उत्पाद प्रकारों के उत्पादन लागत और कीमतों में भी भारी अंतर होता है। पीसीएन को वैक्यूम इंसुलेटेड बर्तनों के प्रकारों अर्थात स्टेनलेस स्टील के कप, बोतल, कराफ और डिस्पेंसर के आधार पर पीसीएन विहित किए जा सकते हैं।

viii. फ्लास्क की विभिन्न क्षमताएं अर्थात मिलीलीटर में स्टोरेज क्षमता होती है। फ्लास्क के लिए अलग पीसीएन श्रेणी बनायी जाए, क्योंकि प्रति किलोग्राम कीमत पर आधारित तुलना विभिन्न क्षमताओं के बीच लागत और कीमत में अंतर को पूर्णत: कवर नहीं करती है।

ix. केस सहित और केस रहित बर्तनों के लिए अलग पीसीएन बनाया जा सकता है, क्योंकि वैक्यूम इंसुलेटेड बर्तनों की लागत और कीमत में इसके आधार पर अंतर हुआ कि क्या संबद्ध वस्तु को केस सहित या रहित रूप में बेचा जाता है।

x. यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि क्या सिंगल वाल स्टील बोतल पीयूसी के दायरे में शामिल है अथवा नहीं। यह देखने के लिए पीसीएन प्रदान किया जाए कि क्या उत्पाद सिंगल वाल का है या डबल वाल का। अन्यथा यह स्पष्ट किया जाए कि क्या सिंगल वाल की बोतल पीयूसी के दायरे से बाहर है।

xi. संबद्ध वस्तु अनेक रंगों और कोटिंग में आती है। उत्पाद की लागत और कीमत में रंग के आधार पर अंतर होता है। कोटिंग उन्हें काफी महंगा बनाती है और इसलिए कोटेड कलर्ड और कोटेड संबद्ध वस्तु की तुलना मूल फ्लास्क या बर्तन से नहीं हो सकती है। पीसीएन संबद्ध वस्तु की कलर कोटिंग और पेंटिंग के लिए बनाया जा सकता है।

xii. आवेदक ने 12 सितंबर 2023 से अपने पत्र में बताया कि उसके द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों में डिस्पेंसर शामिल हैं। तथापि, प्राधिकारी ने दिनांक 26 फरवरी 2024 की अपनी अधिसूचना द्वारा पीयूसी के दायरे से डिस्पेंसर को बाहर किया। आवेदक को संशोधित आयात आंकड़े, मार्जिन और क्षति संबंधी सूचना प्रस्तुत करने का निदेश दिया जाना चाहिए।

xiii. आवेदक के पीसीएन वार आंकड़े दर्शाते हैं कि वह 300 श्रृंखला की इनर और आउटर वाल सहित 500 एमल से अधिक और 1000 एमएल तक की क्षमता के कप या मग और 300 श्रृंखला की इनर और आउटर वाल वाले 500 मिलीलीटर तक की क्षमता वाले कराफ या केटल का उत्पादन नहीं करता है। अत: इसे पीयूसी के दायरे से बाहर रखना चाहिए।

xiv. प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित अतिरिक्त एचएस कोड पहचाने गए थे जिसमें प्राथमिक रूप से ऐसे वैक्यूम बर्तन शामिल हैं जो एनपीयूसी हैं। प्राधिकारी को आयात मात्रा में इन कोडों के अंतर्गत आयात शामिल करने का निर्णय लेने से पहले आयात विवरण की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए।

ग.2 घरेलू उद्योग के विचार

4. विचाराधीन उत्पाद के दायरे और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. विचाराधीन उत्पाद वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क और स्टेनलेस स्टील के अन्य वैक्यूम बर्तन हैं।

ii. पीयूसी में विशिष्ट रूप से फ्लास्क, कप, कराफ और डिस्पेंसर आदि रूपों में (फ्लास्क और बर्तन के सभी रूप) स्टेनलेस स्टील और वैक्यूम इंसुलेटेड उत्पाद शामिल हैं।

iii. वैक्यूम फ्लास्क का प्रयोग पर्याप्त समय के लिए तरल वस्तुओं का तापमान बनाए रखने के लिए किया जाता है। फ्लास्क की बॉडी दो वाल से बनती है जिनके बीच वैक्यूम होता है जो इंसुलेटर या ताप के कुचालक के रूप में कार्य करता है और इस प्रकार तरल वस्तु का तापमान बनाए रखने में मदद करता है।

iv. विनिर्माण प्रक्रिया में चरण जैसे कच्ची सामग्री का चयन, पाइप कटिंग, डिबरिंग, वेल्ड लाइन रोलिंग आदि शामिल हैं।

v. संबद्ध वस्तु के सौदे संख्या (नग, दर्जन आदि) के अनुसार होते हैं। तथापि, सीमा शुल्क अधिसूचना में संबद्ध वस्तु को मापने की विहित इकाई एमटी / किलोग्राम है।

vi यह उत्पाद अध्याय 96 और सीमा शुल्क उपशीर्ष 96170011 और 96170012 के अंतर्गत आता है।

vii. आवेदक की बाजार आसूचना के अनुसार कुछ आयातक प्राधिकारी द्वारा अभिज्ञात कोडों अर्थात 96170011, 96170012 और 96170090 के अलावा वैकल्पिक एचएस कोडों 96170013 और 96170019 के अंतर्गत भी संबद्ध वस्तु का आयात करते हैं। प्राधिकारी से ऐसे अन्य कोडों को जांच के दायरे में शामिल करने का और यह जांच करने का अनुरोध है कि क्या प्रतिवादी निर्यातकों ने प्राधिकारी द्वारा पहले से 3 विचारित एचएस कोडों के अलावा, अन्य एचएस कोडों में किए गए संबद्ध आयातों की जानकारी दी है।

viii. बाजार सूचना दर्शाती है कि संबद्ध वस्तुओं को अन्य कोडों के अंतर्गत भी आयातित किया गया है।

ix. एनपीयूसी से संबंधित कोडों को शामिल करने संबंधी तर्क के बारे में प्राधिकारी द्वारा उल्लिखित सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और पीयूसी के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है। यदि पीयूसी को समर्पित कोडों के अलावा एचएस वर्गीकरण के अंतर्गत आयातित किया गया है तो प्राधिकारी को उसका संज्ञान लेना चाहिए। चूंकि सीमा शुल्क एचएस कोडों के आधार पर शुल्क संग्रह करता है इसलिए किसी उत्पाद को एडीडी के भुगतान के बिना निकासी की अनुमति तभी दी जाएगी, यदि उस उत्पाद को प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट एचएस कोड से इतर कोड के अंतर्गत निकालने की मांग की गई हो। इसके अलावा, केवल इसलिए कि प्राधिकारी ने एचएस कोड विनिर्दिष्ट किया है, यह अर्थ नहीं होता है कि किसी भी उत्पाद को जो ऐसे एचएस कोड के अंतर्गत आयातित हो, एडीडी के अधीन मान लिया जाएगा। शुल्क केवल तभी देय होता है, यदि ऐसे आयात का उत्पाद विवरण एडीडी उपायों द्वारा शामिल हो।

x. सीमा शुल्क उपशीर्ष से बिल्कुल स्पष्ट करता है कि वर्गीकरण 96170011 और 96170012 विशेष रूप से वैक्यूम बर्तनों से संबंधित है। वैक्यूम के बिना कोई उत्पाद पीयूसी के दायरे से बाहर है। इसलिए सिंगल वाल / डबल वाल मानदंड के आधार पर पीसीएन बनाने का कोई कारण नहीं है।

xi. स्टेनलेस स्टील की वैक्यूम इंसुलेटेड इलेक्ट्रिक केटल पीयूसी के दायरे से बाहर है। तथापि, स्टेनलेस स्टील की वैक्यूम इंसुलेटेड केटल या कारेफ (गैर इलेक्ट्रिक) पीयूसी के दायरे में शामिल है।

xii. स्टील के वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क और स्टेनलेस स्टील की वैक्यूम इंसुलेटेड बोतल समान उत्पाद के दो अलग नाम हैं। स्टील का वैक्यूम इंसुलेटेड मग और स्टील का वैक्यूम इंसुलेटेड कप भी समान उत्पाद के दो नाम हैं।

xiii. आवेदक स्टेनलेस स्टील के वैक्यूम इंसुलेटेड डिस्पेंसर को पीयूसी के दायरे से बाहर रखने पर सहमत है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से सत्यापित किया जा सकता है कि डिस्पेंसर को दायरे से बाहर रखा गया है। आयात आंकड़ों के संबंध में आवेदक ने डीजीसीआई एंड एस के प्रकाशित आंकड़ों पर भरोसा किया है। प्राधिकारी आयातों की कुल मात्रा और मूल्य का विश्लेषण करने के लिए उनके द्वारा विचारित आयात आंकड़ों से डिस्पेंसर को बाहर कर सकते हैं।

xiv. 500 मिलीलीटर से 1000 मिलीलीटर तक की क्षमता के कप और मग और 300 श्रृंखला की इनर और आउटर वाल वाली 500 एमएल तक क्षमता की कराफ या केटल का कोई बाजार नहीं है / मामूली बाजार है। इसके अलावा, सभी प्रकार के उत्पादों के उत्पादन के लिए अपनाई गई कच्ची सामग्री, मशीनरी और उत्पादन प्रक्रिया समान है। केवल मोल्ड में समायोजन करना पड़ता है। आवेदक के पास ऐसे मोल्ड बनाने की आंतरिक क्षमता है। इसलिए उत्पाद का प्रकार, उसकी क्षमता और वाल का गठन आवेदक द्वारा आसानी से बदला जा सकता है। ऐसे उत्पादों को बाहर करने से शुल्क की प्रवंचना होगी।

xv. विचाराधीन उत्पाद के दायरे में लेड, कैप, बॉटम या किसी अन्य भाग के बिना वैक्यूम फ्लास्क बॉडी को तब तक शामिल करना अपेक्षित है जब तक उस उत्पाद में उसके वर्गीकरण के एचएसएन पर ध्यान दिए बिना वैक्यूम इंसुलेटेड बॉडी या बर्तन शामिल हों।

xvi. एसकेडी और सीकेडी रूप में उत्पाद का आयात पीयूसी के आयात के अलावा कुछ नहीं है और इसलिए उत्पाद के दायरे में एसकेडी और सीकेडी रूप में संबद्ध वस्तु शामिल करना अपेक्षित है। यदि वैक्यूम बॉडी को शामिल नहीं किया जाता, तो संपूर्ण लक्षित उपचार बिल्कुल निष्प्रभावी हो जाएगा।

xvii. अकेले घटक जैसे लेड, कैप, बॉटम और कोई अन्य भाग उत्पाद में तब तक शामिल नहीं होते हैं जब तक उनमें वर्तमान आवेदन में वैक्यूम इंसुलेटेड बॉडी या बर्तन शामिल न हों और उन्हें पीयूसी के दायरे से बाहर किया जा सकता है।

xviii. लेड, कैप, बॉटम या किसी अन्य भाग जैसे घटकों के लिए अलग पीसीएन की पहचान करने की कोई जरूरत नहीं है। एक प्रयोग के लिए पूरी तरह तैयार उत्पाद और वैक्यूम इंसुलेटेड बॉडी के बीच एक मात्र अंतर उसके हिस्सों का मूल्य है। इस प्रकार लेड, कैप, बॉटम या किसी अन्य भाग का मूल्य वैक्यूम फ्लास्क को पूरा करने के लिए अनिवार्य है और उसे पूरे वैक्यूम फ्लास्क का मूल्य निर्धारित करने के लिए वैक्यूम इंसुलेटेड बॉडी के मूल्य में जोड़ा जा सकता है।

xix. उत्पादन लागत में अंतर केवल तभी अधिक है, यदि प्रयुक्त स्टील का ग्रेड अलग है। सभी अन्य मापदंड एनआईपी और सामान्य मूल्य पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं डालते हैं।

xx. केसेज, स्ट्रैप, हैंडल आदि जैसे सहायक समान की मदें उत्पादन लागत का हिस्सा नहीं हैं। इन अंतरों पर बिक्री कीमत में समायोजन के जरिए समुचित रूप से ध्यान दिया जा सकता है (निर्यातक इन अतिरिक्त मदों के लिए कीमत समायोजनों का दावा कर सकते हैं)।

xxi. यदि प्राधिकारी ऐसे उचित समझते हैं तो वे उत्पाद के इनर और आउटर वाल में प्रयुक्त स्टील के प्रकार, उत्पाद के प्रकार और उसकी क्षमता को एक अन्य पीसीएन मापदंड मान सकते हैं।

xxii. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और चीन जन. गण. से आयातित संबद्ध वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण तथा विपणन और वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

5. विचाराधीन उत्पाद को जांच शुरूआत के समय निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

"3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क या स्टेनलेस स्टील के अन्य बर्तन हैं। पीयूसी के दायरे में फ्लास्क, कप, बोतल, केटल, कराफ और डिस्पेंसर शामिल हैं। स्टेनलेस स्टील के अन्य बर्तन जैसे केसरोल और अन्य वैक्यूम फूड कंटेनर जैसे लंच बॉक्स, टिफिन, आइस बकेट और बॉक्स आदि पीयूसी के दायरे से बाहर हैं।"

"5. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के उपशीर्षों 96170011 और 96170012 के अंतर्गत अध्याय 96 के अधीन आता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है"।

6. 10 नवंबर, को हुई पीयूसी के दायरे और पीसीएन पद्धति की चर्चा वर्चुअल बैठक के बाद प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को टिप्पणियां देने का अवसर दिया। हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद प्राधिकारी ने दिनांक 26 फरवरी 2024 की अधिसूचना द्वारा जांच शुरूआत अधिसूचना में यथा अधिसूचित पीयूसी के दायरे को निम्नानुसार संशोधित किया:

"3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क और स्टेनलेस स्टील के अन्य वैक्यूम इंसुलेटेड बर्तन हैं जैसे वैक्यूम इंसुलेटेड कप / मग, बोतल / फ्लास्क और कराफ / केटल । अन्य बर्तन और कंटेनर जैसे डिस्पेंसर, केसरोल, वैक्यूम लंच बॉक्स / टिफिन, आइस बकेट और बॉक्स आदि विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सिंगल वाल फ्लास्क अर्थात वैक्यूम के बिना फ्लास्क, इलेक्ट्रिक केटल और अन्य इलेक्ट्रिक बर्तन संबद्ध जांच में पीयूसी के दायरे से बाहर हैं।"

4. वैक्यूम फ्लास्क का प्रयोग पर्याप्त समय के लिए तरल वस्तुओं का तापमान बनाए रखने के लिए किया जाता है। फ्लास्क की बॉडी दो वाल से बनती है जिनके बीच वैक्यूम होता है जो इंसुलेटर या ताप के कुचालक के रूप में कार्य करता है और इस प्रकार तरल वस्तु का तापमान बनाए रखने में मदद करता है। वैक्यूम फ्लास्क का प्रयोग लंबी समयावधि के लिए तरल वस्तु को गरम या ठंडा रखने के लिए किया जाता है।

5. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के उपशीर्षों 96170022, 96170012 और 96170090 के अंतर्गत अध्याय 96 के अधीन आते हैं। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है"।

7. संशोधन अधिसूचना के अनुपालन में हितबद्ध पक्षकारों ने वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क और अन्य वैक्यूम इंसुलेटेड बर्तनों के हिस्सों को पीयूसी में शामिल करने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा था । ऐसे अनुरोधों के उत्तर में प्राधिकारी ने 10 मई 2024 की अधिसूचना द्वारा निम्नानुसार स्पष्ट किया:

"2. वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क और अन्य वैक्यूम इंसुलेटेड *बर्तनों के हिस्सों को पीयूसी के दायरे में शामिल करने के संबंध में स्पष्टीकरणों के अनुरोध के उत्तर में यह स्पष्ट किया जाता है कि लेड, कैप और बॉटम जैसे हिस्से पीयसूी के दायरे में शामिल नहीं हैं। यह नोट किया जाए कि पीयूसी के दायरे में वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क और स्टेनलेस*

स्टील के अन्य वैक्यूम इंसुलेटेड बर्तन शामिल हैं और यह फ्लास्क और अन्य वैक्यूम इंसुलेटेड बर्तनों की वैक्यूम इंसुलेटेड बॉडी को कवर करता है, चाहें वे लेड, कैप और बॉटम जैसे हिस्सों के साथ हों अथवा उसके बिना।

8. उपर्युक्त के मद्देनजर वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद का दायरा निम्नानसार है:

''वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क और स्टेनलेस स्टील के अन्य वैक्यूम इंसुलेटेड बर्तन हैं जैसे वैक्यूम इंसुलेटेड कप / मग, बोतल / फ्लास्क और कराफ / केटल हैं, जिनमें फ्लास्क ई वैक्यूम इंसुलेटेड बॉडी और अन्य वैक्यूम इंसुलेटेड बर्तन शामिल हैं।

बर्तन और कंटेनर जैसे डिस्पेंसर, केसरोल, वैक्यूम लंच बॉक्स / टिफिन, आइस बकेट और बॉक्स आदि विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं। इसके अलावा, सिंगल वाल फ्लास्क अर्थात वैक्यूम के बिना फ्लास्क, इलेक्ट्रिक केटल और अन्य इलेक्ट्रिक बर्तन पीयूसी के दायरे से बाहर हैं।''

9 वैक्यूम फ्लास्क का प्रयोग पर्याप्त समय के लिए तरल वस्तुओं का तापमान बनाए रखने के लिए किया जाता है। फ्लास्क की बॉडी स्टेनलेस स्टील की दो वाल से बनती है जिनके बीच वैक्यूम होता है जो इंसुलेटर या ताप के कुचालक के रूप में कार्य करता है और इस प्रकार तरल वस्तु का तापमान बनाए रखने में मदद करता है। वैक्यूम फ्लास्क का प्रयोग लंबी समयावधि के लिए तरल वस्तु को गरम या ठंडा रखने के लिए किया जाता है।

10. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के उपशीर्षों 96170011, 96170012 और 96170090 के अंतर्गत आयातित किए जा रहे हैं। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

11. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने 300 श्रृंखला की इनर और आउटर वाल सहित 500 एमल से अधिक और 1000 एमएल तक की क्षमता के कप या मग और 300 श्रृंखला की इनर और आउटर वाल वाले 500 मिलीलीटर तक की क्षमता वाले कराफ या केटल को बाहर रखने की मांग की है, क्योंकि आवेदक इनका उत्पादन नहीं करता है। घरेलू उद्योग ने इन उत्पादों का उत्पादन किया है। हालांकि कम मात्रा में और पीओआई से पहले। घरेलू उद्योग ने यह भी बताया कि बाजार में इन उत्पादों की नगण्य मांग है। इसका सत्यापन आयात आंकड़ों से भी किया गया है। घरेलू उद्योग के परिसर में मौके

पर सत्यापन और संयंत्र के दौरे के दौरान यह देखा गया कि विभिन्न उत्पाद प्रकारों के उत्पादन की प्रक्रिया वास्तव में भिन्न नहीं है। ऐसी प्रक्रियाओं में कच्ची सामग्री और मशीनरी भी समान है। विभिन्न प्रकारों के उत्पादन में केवल मोल्ड में समायोजन करने की जरूरत होती है (वांछित आकार और आकृति में बनाने के लिए)। घरेलू उद्योग के पास विभिन्न प्रकार के मोल्ड को बनाने की आंतरिक सुविधा है। आवेदक ने आगे बताया कि सत्यापन के समय मोल्ड्स को बाजार से भी खरीदा जा सकता है। 300 श्रृंखला की इनर और आउटर वाल सहित 500 एमल से अधिक और 1000 एमएल तक की क्षमता के कप या मग और 300 श्रृंखला की इनर और आउटर वाल वाले 500 मिलीलीटर तक की क्षमता वाले कराफ या केटल को बाहर रखने की जरूरत नहीं है।

12. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया कि चूंकि डिस्पेंसर पीयूसी के दायरे से बाहर किए गए हैं इसलिए आवेदक को डिस्पेंसर को अलग करके संशोधित आंकड़े प्रस्तुत करने चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदक ने डिस्पेंसर को पीयूसी के दायरे में शामिल करने का प्रस्ताव किया था परंतु वे बाद में उन्हें बाहर रखने में सहमत हो गए था। तथापि, आवेदक ने पीओआई में डिस्पेंसर का उत्पादन नहीं किया है और इसलिए उस दृष्टि से आंकड़ों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अत: उन्हीं आंकड़ों को दुबारा प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

13. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी ने पीसीएन को अंतिम रूप दिया और दिनांक 26 फरवरी, 2024 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया। प्राधिकारी ने निम्नलिखित पीसीएन पर विचार किया है:

मानदंड	**मूल्य**	**कोड**
इनर वाल के स्टील	200 श्रृंखला	आईडब्ल्यू 200
	300 श्रृंखला	आईडब्ल्यू 300
	400 श्रृंखला	आईडब्ल्यू 400
आउटर वाल के स्टील	200 श्रृंखला	ओडब्ल्यू 200
	300 श्रृंखला	ओडब्ल्यू 300
	400 श्रृंखला	ओडब्ल्यू400
उत्पाद का प्रकार	बोतल/फ्लास्क	बीएल
	कैरेफ/केटल	सीएफ

	मग/कप	एमजी
बर्तन की क्षमता	500 एमएल तक	यू5
	500 एमएल से अधिक और 1000 एमएल तक	5।
	1000 एमएम से अधिक	ए।

14. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद भौतिक और तकनीकी विशेषताओं, प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण तथा विपणन और वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के दायरे और अर्थ के भीतर संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है।

घ. <u>घरेलू उद्योग का दायरा और उसकी स्थिति</u>

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

15. घरेलू उद्योग का दायरा और उसकी स्थिति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. आवेदक ने अपने हिस्से को बढ़ाने के लिए कतिपय उत्पादकों को व्यापारी बताते हुए बाहर कर दिया है। आवेदक को सभी ज्ञात उत्पादकों की सूची देनी चाहिए, चाहें वे आयातक हों। यह अपवर्जन स्वत: नहीं है, बल्कि प्राधिकारी का विवेकाधिकार है।

ii. नियम 2(ख) और 5(3) की अपेक्षाओं को एक एमएसएमई आवेदक के मामले में समाप्त कर दिया गया है।

iii. आवेदक द्वारा अभिज्ञात 14 उत्पादकों में से 2 की पहचान आयातकों के रूप में की गई है। शेष 12 के उत्पादन को कुल भारतीय उत्पादन के निर्धारण में शामिल किया जाना चाहिए।

iv. आवेदक द्वारा नियम 2(ख) के दायरे से अन्य उत्पादकों को स्वयं निर्धारण से बाहर करना मनमाना और अवैध है।

v. आवेदक को स्वयं उत्पादकों को आयातक सूची में रखना चाहिए। संबद्ध वस्तु का बड़ा उत्पादक सेलो उत्पादक के रूप में नहीं, बल्कि आयातक के रूप में अभिज्ञात किया गया था।

vi आवेदक की स्थिति वर्तमान अवास्तविक प्रतीत होती है। प्राधिकारी को उद्योग को इस प्रकार परिभाषित करना चाहिए कि दावा की गई क्षति प्रतिनिधि नहीं है।

vii. आवेदन में देश के कुल उत्पादक या उत्पादकों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसलिए प्राधिकारी को स्थिति संबंधी निर्णय नहीं लेना चाहिए था और जांच शुरूआत नियम 5 का अनुपालन नहीं करती है।

viii. आवेदक ने एक संशोधन के जरिए स्थिति को 60-70 प्रतिशत से 50-60 प्रतिशत कर दिया है। यह ज्ञात नहीं है कि ऐसे परिवर्तन का परिणाम क्या हुआ।

ix. यह स्पष्ट नहीं है कि घरेलू उद्योग द्वारा कुल उत्पादन के निर्धारण में कौन सी कंपनियों को अन्य बताया गया है। घरेलू उद्योग को प्रत्येक उत्पादक का नाम स्पष्ट रूप से बताना चाहिए।

x. घरेलू उद्योग ने अन्य कंपनियों से जानकारी मांगी है, परंतु उसे उत्तर नहीं मिला। यह कैसे निर्धारित हुआ कि वे आयातक हैं या कब उन्होंने उत्पादन शुरू किया। जबकि कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

xi. आवेदक एक एमएसएमई होने के कारण 50-70 प्रतिशत हिस्सा रखता है जबकि 20 से अधिक उत्पादक हैं। यह काफी संदिग्ध हैं।

xii. इपोक्सी रेजिन में प्राधिकारी ने आयात आंकड़े मांगे थे और एक घरेलू उत्पादक द्वारा किए गए आयातों की जांच की थी। प्राधिकारी ने ऐसा इस मामले में नहीं किया है, जहां जांच शुरूआत के बाद भी अन्य द्वारा आयात की जानकारी अज्ञात है।

xiii. बीआईएस लाइसेंस वाली कंपनियों को पात्र घरेलू उत्पादक माना जाना चाहिए। प्राधिकारी अन्य उत्पादकों को इसलिए अपात्र नहीं मान सकते, क्योंकि उनका वास्तविक उत्पादन और आयात उपलब्ध नहीं है।

xiv. 3 उत्पादकों ने पीओआई के बाद के उत्पादक होने का दावा किया है और उनके पास बीआईएस लाइसेंस हैं, जो अनंतिम रूप से पीओआई के दौरान दिया गया था।

xv. ईसी फास्टनर मामले में अपीलीय निकाय के निर्णय के अनुसार अनुपात जितना कम हो, प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए उतना अधिक संवदेनशील होना चाहिए कि प्रयुक्त अनुपात समग्र रूप से उत्पादकों का कुल उत्पादन दर्शाता है।

xvi. प्राधिकारी एक अर्धन्यायिक कार्य करते हैं और उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन किया गया है।

xvii. प्राधिकारी ने सूचना एकत्र करने और बीआईएस या संबंधित मंत्रालयों से कुल उत्पादन का पता लगाने का प्रयास नहीं किया। इसके अलावा, अन्य उत्पादकों द्वारा असहमति या विरोध की पूछताछ प्राधिकारी ने नहीं की थी।

xviii. आवेदक के लिए प्रमुख हिस्से का परीक्षण पूरा करना असंभव है। यदि कुल भारतीय उत्पादन स्वयं ही अज्ञात है। यह सिद्ध नहीं किया गया है कि अन्य उत्पादक आयातक हैं। प्राधिकारी ने साक्ष्य के अभाव में ही अपवर्जन के बारे में निर्धारण करने का प्रयास नहीं किया है। ऐसी नीति मनमानी, कानून के विरुद्ध और प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है।

घ.2 घरेलू उद्योग के विचार

16. आवेदक ने घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. यह आवेदन मेसर्स प्लेसेरो इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड जिसे ''पेक्सपो'' के रूप में भी जाना जाता है, द्वारा दायार किया गया है।

ii. स्वयं आवेदक सहित संबद्ध वस्तु के 14 उत्पादकों की आवेदन में पहचान की गई है। तथापि, बाजार जानकारी और बाजार में हुई चर्चाओं के आधार पर यह पता चला है कि इनमें से अधिकांश उत्पादक संबद्ध वस्तु के आयातक और व्यापारियों के रूप में कार्य कर रहे हैं और इसलिए उन्हें अपात्र माना गया।

iii. पहचाने गए 13 उत्पादकों में से गौरव किचनवेयर, टी वर्ल्ड इंडस्ट्रीज, केदारा किचनवेयर की आगे जांच करने पर पाया गया कि वे सिंग वाल फ्लास्क अर्थात एनपीयूसी का उत्पादन कर रहे हैं और इसलिए घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं हैं।

iv. कुल भारतीय उत्पादन की मात्रा का अनुमान पीयूसी के ऐसे अन्य उत्पादकों के अनुमानित उत्पादन पर विचार करते हुए लगाया गया है जिन्होंने पीओआई के दौरान संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है अथात नैनोबॉट हाउसवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, क्राउन क्राफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और बेसिक इनोवेशन । इसी पर विचार करते हुए आवेदन का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का प्रमुख हिस्सा दर्शाता है।

v. इसके अलावा, आवेदन में उत्पादक के रूप में पहचानी गई अन्य कंपनियों को उनकी क्षमता, उत्पादन, बिक्री, आयात आदि संबंधी जानकारी मंगाते हुए पत्र भेजे गए थे। तथापि, इनमें से किसी ने भी उन्हें भेजे गए ई-मेल का उत्तर नहीं दिया।

vi तत्पश्चात यह माना गया था कि कंपनियां संबद्ध वस्तु की पात्र उत्पादक हो सकती हैं, परंतु उन्होंने आवेदक और प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है। इसलिए कुल भारतीय उत्पादन के निर्धारण हेतु ऐसी कंपनियों के संबंध में 500 एमटी के संचयी उत्पादन की मात्रा निर्धारित की गई थी।

vii. आवेदक ने न तो संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वह भारत में किसी आयातक या संबद्ध देश से किसी उत्पादक / निर्यातक से संबंधित है।

viii. आवेदक का कुल भारतीय उत्पादन में प्रमुख हिस्सा बनता है और वह एडी नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

ix. जहां तक प्रतिवादी के पीओआई में संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादकों के रूप में अन्य कंपनियों के नामों की सूची बना कर आरोप लगाने का संबंध है, आवेदक द्वारा एक समेकित विवरण विनिर्दिष्ट किया गया है कि क्या उन्हें आवेदन में पहचाना गया था और क्या वे पात्र उत्पादक होने के लिए योग्य हैं। अधिकांश

अन्य उत्पादकों ने या तो पीओआई में आयात किया है या उन्होंने पीओआई के बाद उत्पादन शुरू किया है।

x. अन्य उत्पादकों द्वारा किए गए आयात को प्राधिकारी द्वारा डीजीसीआई एंड एस / डीजी सिस्टम से प्राप्त आयात आंकड़ों से सत्यापित किया जा सकता है।

xi. आवेदक एमएमएसई क्षेत्र का है और बाजार बातचीत और शोध के आधार पर उसने अपने पास उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना दी है। यद्यपि नियम 2(ख) और नियम 5(3) की अपेक्षाओं में कोई समझौता नहीं हुआ है। तथापि, आवेदक का दायित्व उपलब्ध सूचना तक सीमित है। इसके अलावा, ऐसी कंपनियों के संबंध में कोई प्रकाशित जानकारी नहीं है, जिन्होंने संबद्ध वस्तु की क्षमता निर्मित की है। अनेक उत्पादकों ने उत्पादन सुविधाएं होने के बावजूद पाटित आयातों का लाभ लेने के लिए आयात किया है।

xii. केवल बिक्री का दावा इस निष्कर्ष के लिए पर्याप्त नहीं है कि कोई कंपनी संबद्ध वस्तु की उत्पादक है। पीयूसी की प्रकृति और उस तरीके पर विचार करते हुए जिसमें हितबद्ध पक्षकार प्रचालन कर रहे हैं, अनेक कंपनियां उत्पादन के बिना भी अपने को पीयूसी का आपूर्तिकर्ता बता रही हैं। कुछ कंपनियां अधूरे रूप में अर्थात वैक्यूम फ्लास्क बॉडी में उत्पाद का आयात करती हैं जबकि कुछ बोतल आयात कर रही हैं और सहायक सामान अलग से खरीद रही हैं। ये कंपनियां उत्पाद को अपने नाम से ब्रांड करती हैं और उसे बाजार में बेचती हैं।

xiii. सेलो को आयातक के रूप में मानने के संबंध में यह दर्शाने वाली कोई सूचना नहीं है कि वह एक उत्पादक है। वास्तव में सेलो स्वयं आयातक के रूप में भागीदारी कर रहा है। इसके अलावा, हेमिल्टन जैसे उत्पादक भी बीआईएस लाइसेंस होने के बावजूद घरेलू उत्पादक के बजाय आयातक के रूप में भागीदारी कर रहे हैं। इसी कंपनी द्वारा उसकी अपनी क्षमता से संबद्ध वस्तु की उत्पादन की मात्रा या यह तथ्य कि वह प्रमुख उत्पादक है, बीआईएस लाइसेंस प्राप्त करने के लिए असंगत है। अत: बीआईएस लाइसेंस प्राप्त करने वाली कंपनियों को पात्र नहीं माना जा सकता है।

xiv. प्रतिवादियों ने आवेदक की योग्यता पर केवल विवाद उठाया है, परंतु उत्पादन संबंधी कोई सूचना सामने प्रस्तुत नहीं की है।

xv. इसके अलावा, मौखिक सुनवाई के बाद कतिपय अन्य कंपनियां वर्तमान आवेदन के समर्थन में आई हैं जैसे क्रिप्टन स्टेनलेस प्राइवेट लिमिटेड, थर्मो हाउसवेयर प्राइवेट लिमिटेड, वरदान क्रिएटर्स प्राइवेट लिमिटेड और क्राउन क्राफ्ट आई प्राइवेट लिमिटेड ।

xvi. प्राधिकारी ने दिनांक 10 जुलाई 2024 के ई-मेल द्वारा घरेलू उत्पादकों से उत्पादक के रूप में उनकी स्थिति के संबंध में जानकारी मांगी है। आवेदक को पता नहीं है कि क्या किसी उत्पादक ने प्राधिकारी को उत्तर दिया जबकि केवल 4 उत्पादकों ने शुल्क लगाने का समर्थन किया था।

xvii. आवेदक ने 3 सितंबर, 2024 को और 7 सितंबर, 2024 को हुई सुनवाई के मद्देनजर उन कंपनियों को लिखा जिन्होंने प्राधिकारी या आवेदक को उत्तर नहीं दिया और उनका सहयोग मांगा था। तथापि, किसी ने उत्तर नहीं दिया जो यह दर्शाता है कि उनके पास प्राधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए विपरीत तथ्य नहीं हैं।

xviii. डीएलजेएम हाउसवेयर प्राइवेट लिमिटेड को उनकी वेबसाइट पर घोषणाओं के आधार पर पात्र नहीं माना जा सकता है। कंपनी ने नवंबर 2022 के मशीनरी का आयात किया है और पीओआई में उत्पादन नहीं कर सकती थी। इसके अलावा, उनका उत्पादन भी आयातित और विपणित बताते हुए बेचा गया है।

xix. हेमिल्टन ने अपनी वेबसाइट पर बताया है कि वह देश में हाउसवेयर उत्पादों का एक अग्रणी निर्माता और बिक्रीकर्ता है और एक प्रमुख आयातक नहीं है। इसलिए किसी उत्पादक को केवल उसकी वेबसाइट पर किए गए दावे के आधार पर पात्र नहीं माना जा सकता है।

xx. प्राधिकारी को क्राउन क्राफ्ट के पत्र में उसने अपना उत्पादन *** एमटी घोषित किया है। यह दर्शाता है कि किस सीमा तक याचिकाकर्ता ने अन्य घरेलू उत्पादकों के उत्पादन को अधिक बताया है।

xxi. कोई कंपनी एक वर्ष की अवधि के लिए बीआईएस लाइसेंस ले सकती है। लाइसेंस देने की प्रतिवादियों द्वारा अनुमानित अनंतिम तारीख केवल एक अनुमान है और किसी साक्ष्य से समर्थित नहीं है। वास्तव में प्राप्त समर्थन पत्र दर्शाते हैं

कि क्रिप्टन स्टेनलेस प्राइवेट लिमिटेड और वरदान क्रिएटर्स प्राइवेट लिमिटेड ने पीओआई के बाद उत्पादन शुरू किया है।

xxii. इस तर्क के संबंध में कि कंपनियां पात्र समर्थक नहीं हो सकती, यदि वे पात्र उत्पादक नहीं हैं, आवेदक ने केवल क्राउन क्राफ्ट को पात्र माना है। अन्य द्वारा उत्पादन यद्यपि समर्थन में है तथापि, कुल भारतीय उत्पादन में उस पर विचार नहीं किया गया है। तथापि, निर्णय लेते समय प्राधिकारी को यह विचार करना चाहिए कि ऐसे उत्पादकों ने शुल्क लागू करने के पक्ष में अपना समर्थन व्यक्त किया है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

17. नियमावली का 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है: -

''(ख)''घरेलू उद्योग'' का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं। ऐसे मामले ''घरेलू उद्योग'' शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।

18. वर्तमान आवेदन मेसर्स प्लैसेरो इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, द्वारा दायर किया गया जिसे 'पेक्सपो' के नाम से भी जाना जाता है।

19. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक के अलावा भारत में संबद्ध वस्तु के अनेक अन्य उत्पादक हैं। प्राधिकारी घरेलू उद्योग के इस तर्क को नोट करते हैं कि लगभग संपूर्ण उद्योग एमएसएमई में है और अनेक उत्पादक बहुत छोटे हैं। प्राधिकारी कुल भारतीय उत्पादन की मात्रा से जुड़ी कठिनाइयों को स्वीकार करते हैं विशेष रूप से तब जब अधिकांश भारतीय उद्योग एमएसएमई है और वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री के संबंध में कोई प्रकाशित सूचना उपलब्ध नहीं है। इनपुट की खपत के आधार पर भारतीय उत्पादन की मात्रा बताना संभव नहीं है। प्राधिकारी याचिकाकर्ता के ऐसी सूचना के आधार पर संगत जानकारी देने के दायित्व को भी मान्यता देते हैं जो तर्कसंगत रूप से उपलब्ध है। यह देखा गया है कि आवेदक ने जांच की शुरूआत से पहले विभिन्न ज्ञात उत्पादकों और जांच की प्रक्रिया के दौरान भी उत्पादकों को पत्र लिखा है। विशेष

रूप से ऐसी कंपनियों के कोई उत्तर नहीं मिला, जो कथित रूप से विचाराधीन उत्पाद के उत्पादक हैं और उत्पाद के आयातक नहीं हैं।

20. घरेलू उत्पादन की मात्रा बताने से जुड़ी कठिनाइयों के मद्देनजर जांच शुरूआत अधिसूचना में जो सरकारी गजट में और डीजीटीआर के वेबसाइट में प्रकाशित की गई थी, में प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा अभिज्ञात विभिन्न प्रक्षकारों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को लिखा था। प्राधिकारी ने संबंधित मंत्रालय को भी घरेलू उद्योग के बारे में जानकारी देने के लिए लिखा था। यद्यपि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने आरोप लगाया है कि आवेदक नियमावली के अंतर्गत स्थिति संबंधी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने अपनी दलीलों के समर्थन में कोई सत्यापन योग्य साक्ष्य नहीं दिया है।

21. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने आरोप लगाया कि आवेदक ने घरेलू उत्पादन में अपने हिस्से को बढ़ाने के लिए कतिपय घरेलू उत्पादकों को जानबूझकर बाहर कर दिया है। इन हितबद्ध पक्षकारों ने दलील दी है कि कम से कम निम्नलिखित अन्य घरेलू उत्पादक संबद्ध वस्तु के उत्पादन में शामिल हैं। तथापि, इन हितबद्ध पक्षकारों ने न तो इन अन्य कंपनियों के उत्पादन की मात्रा बतायी है और न ही यह साक्ष्य दिया है कि ये कंपनियां संबद्ध वस्तु का उत्पादन और बिक्री कर रही हैं।

क) बटरफ्लाई गांधीमती एप्लाइंसेज लिमिटेड
ख) क्राउन क्राफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
ग) ड्यूड्रॉप बॉटल्स प्राइवेट लिमिटेड
घ) डीएलजेएम हाउसवेयर प्राइवेट लिमिटेड
ड.) फ्लेयर साइरोसिल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
च) हैमिल्टन हाउसवेयर प्राइवेट लिमिटेड
छ) क्रिप्टन स्टेनलेस प्राइवेट लिमिटेड
ज) नैनोबॉट हाउसवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
झ) नेल्कॉन इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
ञ) सर्ववेल हाउसहोल्ड एप्लाइंसेज
ट) स्टोव क्राफ्ट लिमिटेड
ठ) थर्मो हाउसवेयर प्राइवेट लिमिटेड
ड) वरदान क्रिएटर्स प्राइवेट लिमिटेड

22. घरेलू उद्योग ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस दावे का खंडन किया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अभिज्ञात प्रत्येक अन्य घरेलू उत्पादक की स्थिति को नीचे दर्शाया है। घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित दावे किए हैं:

क्र.सं.	**कंपनी का नाम**	**क्या अभिज्ञात हैं**	**टिप्पणियां**
क	**याचिकाकर्ता द्वारा अभिज्ञात**		
1.	प्लेसरो इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	हां	आवेदक
2.	नैनोबॉट हाउसवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	हां	पात्र माना गया
3.	क्राउन क्राफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	हां	पात्र माना गया
4.	बेसिक इनोवेशन	हां	पात्र माना गया
5.	सर्ववेल हाउसहोल्ड अप्लायंसेज	हां	पीओआई में आयातित
6.	थर्मो हाउसवेयर प्राइवेट	हां	पीओआई में आयातित
7.	ड्यूड्रॉप बॉटल्स प्राइवेट लिमिटेड	हां	पीओआई में आयातित
8.	स्पीडेक्स इंडिया	हां	ड्यूड्राप के रूप में अभिज्ञात
9.	हैमिल्टन हाउसवेयर	हां	पीओआई में आयातित
10.	बटरफ्लाई गांधीमती अप्लायंसेज लिमिटेड	हां	आयातित सामग्री की बिक्री कर रहा है, इसलिए आयातक माना गया है
11.	वरदान क्रिएटर्स प्राइवेट लिमिटेड	हां	पीओआई के बाद उत्पादक
12.	एटलस मेटल प्रोसेसर्स	हां	नियमित रूप से आयात कर रहा है
13.	आइनॉक्स वर्ल्ड इंडस्ट्रीज	हां	एनपीयूसी का उत्पादन कर रहा है

14.	केदारा किचनवेयर	हां	एनपीयूसी का उत्पादन कर रहा है
15.	गौरव किचनवेयर	हां	एनपीयूसी का उत्पादन कर रहा है
	अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अभिज्ञात		
16.	डीएलजेएम हाउसवेयर प्राइवेट लिमिटेड	नहीं	पीओआई के बाद का उत्पादक, पीओआई में आयात किया
17.	क्रिप्टन स्टेनलेस प्राइवेट लिमिटेड	नहीं	पीओआई के बाद का उत्पादक
18.	स्टोव क्राफ्ट लिमिटेड	नहीं	एनपीयूसी का उत्पादन कर रहा है
19.	फ्लेयर साइरोसिल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	नहीं	ग्रुप कंपनी के जरिए पीओआई में आयात किया
20.	नेलकॉन इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	नहीं	व्यापारियों के जरिए आयात किया

23. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के दोनों पक्षों के विरोधी दावों की सावधानीपूर्वक विस्तार से जांच की है। प्राधिकारी ने इनमें से प्रत्येक अन्य घरेलू उत्पादक स्थिति का पता लगाया है। प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम से प्राप्त आयात आंकड़ों से भी जांच की है और ऐसी कंपनियों की पहचान की है जिन्हें अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उत्पादक माना है और घरेलू उद्योग ने आयातक माना है।

24. यद्यपि यह दलील दी गई कि कंपनी पीयूसी की उत्पादक है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने पीओआई में कंपनी के उत्पादन या उसके उत्पादन की मात्रा का कोई साक्ष्य नहीं दिया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी कंपनी द्वारा केवल संभावित बिक्री वर्तमान उत्पाद की प्रकृति में उत्पादक के रूप में दर्जे को सिद्ध करने के लिए अपर्याप्त है और उसके उत्पादन की मात्रा के लिए भी पर्याप्त नहीं है। प्राधिकारी को उत्पादन के संबंध में मात्रात्मक जानकारी की जरूरत है।

25. प्राधिकारी ने इन अन्य ज्ञात घरेलू उत्पादकों से भी सूचना मांगी है जिनके नाम हितबद्ध पक्षकारों ने अभिज्ञात किए हैं। प्राधिकारी ने इन कंपनियों द्वारा उत्पादन, आयात सहित संगत सूचना मांगी है। प्राधिकारी को इनमें से कुछ कंपनियों के उत्तर प्राप्त हुए हैं। प्राप्त उत्तरों का सारांश निम्नानुसार है:

क. क्राउन क्राफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - क्राउन क्राफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 2021-22 में संबद्ध वस्तु का उत्पादन शुरू किया। उसने *** एमटी का उत्पादन किया और पीओआई के दौरान संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया। कंपनी ने शुल्क लगाने का समर्थन किया है और यह बताया कि यद्यपि बढ़ती हुई मांग उद्योग के लिए एक सकारात्मक संकेत है, परंतु उसकी वृद्धि पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण कम हो गई है।

ख. वरदान क्रिएटर्स प्राइवेट लिमिटेड - वरदान क्रिएटर्स प्राइवेट लिमिटेड में संबद्ध वस्तु का उत्पादन जुलाई 2023 अर्थात पीओआई के बाद शुरू हुआ। कंपनी ने अनुरोध किया कि उसके घरेलू समकक्ष चीन जन. गण. से आयातों के कारण प्रत्याशित स्तर पर प्रचालन करने में सक्षम नहीं हैं।

ग. थर्मो हाउसवेयर प्राइवेट लिमिटेड - थर्मो हाउसवेयर प्राइवेट लिमिटेड ने 2007 में अपनी विनिर्माण इकाई स्थापित करने के बावजूद शुल्क लगाने का समर्थन किया है। उसके लाभों पर पाटित आयातों से बुरा प्रभाव पड़ा है। इसलिए कंपनी और इसके संबंधित पक्षकार एटलस मेटल प्रोसेसर चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु का आयात कर रहे हैं।

घ. क्रिप्टन स्टेनलेस प्राइवेट लिमिटेड - क्रिप्टन स्टेनलेस प्राइवेट लिमिटेड एक नया उत्पादक है जिसने 2023-24 अर्थात पीओआई के बाद बढ़ती मांग पर विचार करते हुए उत्पादन शुरू किया है। कंपनी ने बताया है कि चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु के पाटन द्वारा उनका निष्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

26. प्राधिकारी इनमें से प्रत्येक अन्य भारतीय उत्पादक के संबंध में प्रपधिकारी द्वारा निम्नानुसार जानकारी लेना चाहते हैं:

क. एटलस मेटल प्रोसेसर्स, थर्मो हाउसवेयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्राधिकारी को उसके उत्तर में बताए गए अनुसार थर्मो हाउसवेयर प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित एक पक्षकार है। कंपनी ने प्राधिकारी को अपने उत्तर में बताया कि उसे संबद्ध वस्तु का आयात करने को बाध्य होना पड़ा। यद्यपि कंपनी ने स्वयं आयात की बात मानी है। तथापि, उसने अपने उत्पादन के संबंध में प्राधिकारी को कोई जानकारी नहीं दी है। उक्त उत्पादक की योग्यता कंपनी के उत्पादन के संबंध में किसी सूचना के उपलब्ध नहीं होने के कारण ज्ञात नहीं की जा सकती है।

ख. बेसिक इनोवेशन ने प्राधिकारी के ई-मेल का उत्तर नहीं दिया है। तथापि, आवेदक द्वारा इसे एक पात्र भारतीय उत्पाद माना गया है। डीजी सिस्टम्स के आयात आंकड़ों में बेसिक इनोवेशन को आयातक के रूप में नहीं दर्शाया गया है। अत: आयातक का दावा रिकार्ड में आयात आंकड़ों से मेल खाता है और कंपनी को कुल भारतीय उत्पादन में आवेदक के हिस्से के निर्धारण के लिए पात्र घरेलू उत्पादक के रूप में माना जा रहा है।

ग. बटरफ्लाई गांधीमती एप्लायंसेज लिमिटेड को आवेदक द्वारा आवेदन में एक संभावित उत्पादक के रूप में माना गया है। तथापि, उसने बताया कि कंपनी के आयातित सामान बेचने की जानकारी मिली है और वह व्यापारियों के जरिए वस्तु का आयात कर रही है। प्राधिकारी को उनके द्वारा मांगी गई जानकारी के लिए कंपनी से कोई उत्तर नहीं मिला है। डीजी सिस्टम के आयात आंकड़े इस उत्पादक द्वारा सीधे आयात नहीं दर्शाते हैं। इसके अलावा, प्राधिकारी ने उक्त उत्पादक को लिखा था। तथापि, उन्हें कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। चूंकि उत्पादक का नाम नहीं दिया गया। इसलिए प्राधिकारी व्यापारियों के जरिए उक्त उत्पादक द्वारा किए गए आयात का पता नहीं लगा सकते हैं। इस प्रकार पर्याप्त सूचना के अभाव को देखते हुए प्राधिकारी उक्त कंपनी को घरेलू उत्पादक नहीं मान सकते हैं।

घ. क्राउन क्राफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को आवेदक ने एक पात्र घरेलू उत्पादक माना है। कंपनी ने शुल्क लगाने का समर्थन भी किया है और प्राधिकारी द्वारा आयोजित मौखिक सुनवाई में इस बात को दोहराया है। यद्यपि आवेदक ने आवेदन में क्राउन क्राफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुमानित उत्पादन ***

एमटी बताया था, परंतु प्राधिकारी द्वारा सूचना मांगने पर कंपनी ने बताया कि वह चीन जन. गण. से किसी मात्रा में आयात नहीं करती है और उसने पीओआई में *** एमटी संबद्ध वस्तु का उत्पादन किया था। आवेदक ने उक्त उत्पादक द्वारा उत्पादन का उच्चतर अनुमान लगाया था। इस उत्पादक को कुल भारतीय उत्पादन में आवेदक का हिस्सा निर्धारित करने के लिए पात्र भारतीय उत्पादक माना जा रहा है।

ड. ड्यूड्रॉप बॉटल्स प्राइवेट लिमिटेड - यह नोट किया गया है कि स्पीडेक्स इंडिया महाराजा कुकर्स के स्वामित्व वाला एक ब्रांड है जिसके अन्य पक्षकारों ने घरेलू उत्पादक होने का दावा किया है तथा जिसके लिए ड्यूड्रॉप बॉटल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वस्तुओं का उत्पादन हुआ है। यद्यपि प्राधिकारी द्वारा डीजी सिस्टम के आंकड़ों की जांच दर्शाती है कि कंपनी ने पीओआई के दौरान संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है। तथापि आवेदक ने दावा किया कि उक्त कंपनी ने व्यापारियों के जरिए संबद्ध वस्तु का आयात किया है। ड्यूड्रॉप बॉटल्स प्राइवेट लिमिटेड ने प्राधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना का कोई उत्तर नहीं दिया है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने उक्त उत्पादक को लिखा था। तथापि, कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। चूंकि व्यापारी का नाम नहीं बताया गया है इसलिए प्राधिकारी व्यापारियों के जरिए उक्त उत्पादक द्वारा किए गए उत्पादन का पता नहीं लगा सकते हैं। इस प्रकार पर्याप्त सूचना के अभाव में प्राधिकारी उक्त कंपनी को घरेलू उत्पादक नहीं मान सकते हैं।

च. डीएलजेएम हाउसवेयर प्राइवेट लिमिटेड ने पीओआई में एक आयातक और आवेदक द्वारा पीओआई के बाद उत्पादक होने का दावा किया है। कंपनी ने अपने उत्पादन के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है न ही अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने उत्पादन का कोई अनुमान बताया है। यद्यपि यह देखा गया है कि कंपनी के पास बीआईएस प्रमाणन है, परंतु अकेले वह उत्पादक की पात्रता सिद्ध नहीं करता है। यद्यपि आवेदक ने बताया है कि कंपनी ने आयातित और बेचे गए उत्पाद की बिक्री की है, जो जांच अवधि के दौरान की गई थी, तथापि, डीजी सिस्टम के आयात आंकड़ों के विश्लेषण से पता नहीं चलता है कि कंपनी ने पीओआई के दौरान संबद्ध वस्तु का आयात किया है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने उक्त उत्पादक को लिखा था परंतु कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। इस प्रकार

पर्याप्त सूचना के अभाव में प्राधिकारी उक्त कंपनी को घरेलू उत्पादक नहीं मान सकते हैं।

छ. फ्लेयर साइरोसिल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने संगत सूचना के साथ प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया था। आवेदक ने तर्क दिया है कि उक्त कंपनी ने अपनी संबंधित कंपनी के जरिए संबद्ध वस्तु का आयात किया है। उसकी वेबसाइट के विश्लेषण से पता चलता है कि कंपनी लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज लि० अर्थात स्टेशनरी के उत्पादन में शामिल कंपनी, की एक संबंधित कंपनी है। इसके अलावा, डीजी सिस्टम के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि कंपनी ने अपनी संबंधित कंपनी के जरिए पीओआई के दौरान संबद्ध देश से *** एमटी संबद्ध वस्तु का आयात किया है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने उक्त उत्पादक को लिखा था परंतु कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। इस प्रकार पर्याप्त सूचना के अभाव में प्राधिकारी उक्त कंपनी को घरेलू उत्पादक नहीं मान सकते हैं।

ज. हैमिल्टन हाउसवेयर्स एक हितबद्ध पक्षकार है जिसने वर्तमान जांच में स्वयं को संबद्ध वस्तु के आयातक के रूप में पंजीकृत किया है। कंपनी के स्वयं के अनुरोधों से यह देखा गया है कि उसके पास बीआईएस लाइसेंस है। तथापि, कंपनी द्वारा प्रस्तुत आयातों संबंधी सूचना के विश्लेषण से पता चलता है कि वह प्राथमिक रूप से संबद्ध वस्तु के आयात और व्यापार में शामिल है और इसलिए उसे पात्र घरेलू उत्पादक नहीं माना जा सकता है।

झ. क्रिप्टन स्टेनलेस प्राइवेट लिमिटेड को आवेदक द्वारा याचिका में एक उत्पादक माना गया था। तथापि, अपने बाद के अनुरोध में आवेदक ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों के दावों के उत्तर में कंपनी की पहचान पीओआई के बाद के उत्पादक के रूप में की थी। मौखिक सुनवाई के बाद क्रिप्टन स्टेनलेस प्राइवेट लिमिटेड ने शुल्क लगाने के समर्थन में एक पत्र प्रस्तुत किया है। कंपनी द्वारा प्रस्तुत सूचना से यह देखा गया है कि कंपनी ने पीओआई के बाद संबद्ध वस्तु का उत्पादन शुरू किया है। इस प्रकार उक्त उत्पादक इस जांच में ली गई पीओआई के कारण घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर है।

ञ. नैनोबॉट हाउसवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को आवेदक द्वारा पात्र भारतीय उत्पादक माना गया है। तथापि, डीजी सिस्टम के आंकड़ों की प्राधिकारी द्वारा

जांच यह दर्शाती है कि कंपनी ने पीओआई के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का *** किलोग्राम आयात किया है। कंपनी ने उत्पादन, आयात आदि संबंधी सूचना मांगते हुए प्राधिकारी द्वारा भेजे गए ई-मेल का उत्तर नहीं दिया है। तथापि आवेदक ने उक्त उत्पादक का अनुमान लगाया है और ऐसी सूचना पर विचार करते हुए यह देखा गया है कि आवेदक द्वारा यथा सूचित उसके उत्पादन से संबंधित कंपनी द्वारा किए गए आयात की मात्रा मामूली अर्थात *** प्रतिशत है। अत: इस उत्पादक को कुल भारतीय उत्पादन में आवेदक का हिस्सा निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ पात्र घरेलू उत्पादक माना जा रहा है।

ट. नेल्कॉन इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने प्राधिकारी को उनके द्वारा मांगी गई संगत सूचना के साथ उत्तर नहीं दिया है। यद्यपि डीजी सिस्टम के आंकड़ों की प्राधिकारी की जांच यह दर्शाती है कि कंपनी ने पीओआई के दौरान संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है तथा आवेदक ने दावा किया है कि उक्त कंपनी ने व्यापारियों के जरिए संबद्ध वस्तु का आयात किया है। चूंकि व्यापारी का नाम नहीं लिया गया है इसलिए प्राधिकारी व्यापारियों के जरिए उक्त उत्पादक द्वारा किए गए आयात का पता नहीं लगा सकते हैं। इस प्रकार प्रकार पर्याप्त सूचना के अभाव में प्राधिकारी घरेलू उद्योग के रूप में उक्त उत्पादक की योग्यता को निश्चित रूप से निर्धारित नहीं कर सकते हैं।

ठ. प्लेसरो इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड वर्तमान जांच में आवेदक है और उसने पीओआई के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है।

ड. सर्ववेल घरेलू अपलायंसेज को आवेदक द्वारा आवेदन में एक संभावित उत्पादक के रूप में माना गया है, परंतु उसके संबद्ध वस्तु के आयातक होने का दावा नहीं किया गया है। कंपनी ने प्राधिकारी से ई-मेल पत्रों का उत्तर नहीं दिया। डीजी सिस्टम के आंकड़े यह नहीं दर्शाते हैं कि कंपनी ने संबद्ध वस्तु का आयात किया है। तथापि, कंपनी ने प्राधिकारी द्वारा मांगी गई कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है। उसने न तो उत्पादक के रूप में अपनी स्थिति बतायी है और न ही प्राधिकारी द्वारा मांगा गया कोई अन्य ब्यौरा दिया है। इसके अलावा, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि कंपनी के पास बीआईएस प्रमाणन है, परंतु अकेले बीआईएस लाइसेंस रखना पात्र भारतीय उत्पादक रूप में कंपनी की

पात्रता सिद्ध नहीं करता है। चूंकि उत्पादक ने प्राधिकारी के ई-मेल के पत्र का उत्तर नहीं दिया है। इसलिए प्राधिकारी उक्त उत्पादक के उत्पादन और आवेदन की स्थिति और उसके प्रभाव का कोई निश्चित निर्णय नहीं ले सकते हैं।

ढ. स्टोव क्राफ्ट लिमिटेड ने प्राधिकारी द्वारा भेजे गए पत्रों का उत्तर नहीं दिया है। तथापि, डीजी सिस्टम के आयातक आंकड़ों से यह देखा गया कि उसने पीओआई में चीन जन. गण. से *** एमटी संबद्ध वस्तु का आयात किया है। तथापि, कंपनी ने प्राधिकारी से सहयोग नहीं किया है और अपने उत्पादन संबंधी कोई सूचना नहीं दी है। इस प्रकार प्रकार पर्याप्त सूचना के अभाव में प्राधिकारी घरेलू उत्पादक के रूप में उक्त उत्पादक की योग्यता को निश्चित रूप से निर्धारित नहीं कर सकते हैं।

ण. थर्मो हाउसवेयर प्राइवेट लिमिटेड आवेदन के समर्थन में और संबद्ध वस्तु पर शुल्क लागू करने के समर्थन में मौखिक सुनवाई में उपस्थित हुआ। तत्पश्चात उसने शुल्क के समर्थन में एक पत्र भी प्रस्तुत किया। प्राधिकारी द्वारा सूचना मांगने पर कंपनी ने बताया है कि उसने चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु का आयात किया है। यह बात प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम के आयात आंकड़ों में देखी भी है। कंपनी ने पीओआई के दौरान चीन जन. गण. से *** सेट संबद्ध वस्तु आयातित की है। इसके अलावा, यद्यपि कंपनी ने स्वयं आयात स्वीकार किए हैं, परंतु उसने अपने उत्पादन के संबंध में प्राधिकारी को कोई सूचना नहीं दी है। इस प्रकार पर्याप्त सूचना के अभाव में प्राधिकारी उत्पादक के रूप में उक्त उत्पादक की योग्यता को निश्चित रूप से निर्धारित नहीं कर सकते हैं।

त. वरदान क्रिएटर्स प्राइवेट लिमिटेड को याचिका में आवेदक द्वारा संबद्ध वस्तु का एक संभावित उत्पादक माना गया था ताकि उसे पात्र भारतीय उत्पादक नहीं माना गया था। कंपनी द्वारा प्रस्तुत पत्रों से यह देखा गया है कि कंपनी ने पीओआई के बाद की अवधि में संबद्ध वस्तु का उत्पादन शुरू किया और वह शुल्क लगाने के समर्थन में है। इस प्रकार उक्त उत्पादक जांच में विचार की गई पीआआई के लिए घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर है।

थ. आइनॉक्स वर्ल्ड इंडस्ट्रीज, केदारा किचनवेयर और गौरव किचनवेयर्स - आवेदक ने इन उत्पादकों को संबद्ध वस्तु के संभावित उत्पादक के रूप में माना है और

बाद में अपने लिखित अनुरोध में दावा किया कि वे पीयूसी के उत्पादक नहीं हैं। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने इस दावे पर विरोध नहीं किया और रिकार्ड में यह दर्शाने का कोई साक्ष्य नहीं है कि ये उत्पादक संबद्ध वस्तु का उत्पादक है। इस प्रकार इन उत्पादकों को संबद्ध वस्तु का उत्पादक नहीं माना जा रहा है।

27. अत: यह देखा गया है कि प्राधिकारी ने 10 जुलाई, 2024 के ई-मेल द्वारा सभी अन्य कथित घरेलू उत्पादकों को पत्र भेजे थे और आवेदक ने भी इन अन्य कंपनियों को लिखा था। इसके अलावा, प्राधिकारी ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को लिखा था, परंतु उन्हें भारतीय उत्पादन संबंधी जानकारी प्राप्त नहीं हुई। जैसा ऊपर नोट किया गया है केवल 4 अन्य कथित अन्य घरेलू उत्पादकों ने प्राधिकारी को उत्तर दिया है। तथापि, क्राउन क्राफ्ट को छोड़कर इनमें से किसी कंपनी ने उनके उत्पादन और आयात मात्राओं की कोई सूचना नहीं दी है। यद्यपि प्राधिकारी इनमें कुछ कंपनियों द्वारा किए गए आयातों की जांच कर सकते हैं। तथापि, वे अन्य कथित घरेलू उत्पादकों की स्थिति का निश्चित रूप से पता नहीं लगा सकते। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीओआई में आवेदक का उत्पादन *** एमटी था। आवेदक ने भारतीय उत्पादन को *** एमटी के रूप में निर्धारित किया है और अपने हिस्से का *** प्रतिशत होने का दावा किया है।

28. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह सुझाव दिया है कि बीआईएस लाइसेंस धारकों को पात्र मान लेना चाहिए। प्राधिकारी पाते हैं कि केवल बीआईएस लाइसेंस रखना घरेलू उत्पादक के रूप में पात्रता निर्धारित करने या उत्पादन को अधिक मात्रा में मानने का निश्चित मापदंड नहीं हो सकता है। आवेदक द्वारा मौखिक सुनवाई के बाद 4 अन्य घरेलू उत्पादकों की ओर से प्रस्तुत समर्थन पत्र के विश्लेषण से पता चलता है कि 2 समर्थक उत्पादकों ने बीआईएस लाइसेंस होने के बावजूद पीओआई के बाद उत्पादन शुरू किया है। इसके अलावा, हैमिल्टन हाउसवेयर प्राइवेट लिमिटेड जो बीआईएस लाइसेंस वाली एक बड़ी कंपनी है, ने एक आयातक के रूप में इस जांच में भाग लिया है। यह साक्ष्य इस धारणा का विरोध करता है कि बीआईएस लाइसेंस घरेलू उत्पादन के लिए और एडी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार किसी पात्र घरेलू उत्पादक की पात्रता पर विचार करने के लिए एक पर्याप्त संकेतक है। यह भी नोट किया जाता है कि हैमिल्टन द्वारा वर्तमान जांच में उत्तर देने के बावजूद उसने अपने उत्पादन के ब्यौरे नहीं दिए हैं।

29. इस तर्क के संबंध में कि सेलो को एक बड़ा उत्पादक होने के बावजूद आयातक सूची में रखा गया है। यह देखा गया है कि कंपनी ने स्वयं एक उत्पादक के बजाय एक आयातक के रूप में वर्तमान जांच में भागीदारी की है। इसके अलावा, कंपनी ने न तो

उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध कराए हैं और न ही संबद्ध वस्तु के उत्पादन में शामिल होने का दावा किया है। अत: आवेदक द्वारा इसे आयातकों की सूची में शामिल करना न्यायसंगत है।

30. आवेदक ने न तो संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वह उसके किसी आयातक या निर्यातक से संबंधित है। रिकार्ड में सूचना के आधार पर प्राधिकारी ने आवेदक के उत्पादन और पात्र भारतीय उत्पादन को निम्नानुसार निर्धारित किया है:

क्र.सं.	**विवरण**	**यूओएम**	**पीओआई**
1	आवेदक का उत्पादन	एमटी	***
2	अन्य उत्पादकों का उत्पादन		
i	नैनोबॉट हाउसवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	एमटी	***
ii	क्राउन क्राफ्ट आई प्राइवेट लिमिटेड	एमटी	***
iii	बेसिक इनोवेशन एलएलपी	एमटी	***
v	कुल भारतीय उत्पादन	एमटी	1,512
3	आवेदक का उत्पादन	रेंज %	65-75%

31. आवेदक का भारतीय उत्पादन में *** प्रतिशत हिस्सा है। आवेदक ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है और वह उसके किसी आयातक या किसी निर्यातक से संबंधित नहीं है। यह देखा गया है कि आवेदक का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है। इस प्रकार आवेदक नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग है और नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मानदंड को पूरा करता है। अत: आवेदक नियमावली के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है।

ड. <u>गोपनीयता</u>

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

32. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. प्राधिकारी एक एमएसएमई के रूप में आवेदक के दावे का सत्यापन कर सकते हैं, क्योंकि उसने एमएसएमई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

ii. आवेदक ने संयंत्र के बंद होने की गलत जानकारी दी है जिसका प्राधिकारी ने सत्यापन नहीं किया है।

iii. 4 कंपनियों के समर्थन पत्रों का प्रकटन नहीं किया गया है ।

iv. प्रतिवादी के संबंधित पक्षकार पीयूसी में व्यापार नहीं करते हैं। व्यापार सूचना 10/2018 में संबंधित पक्षकारों में पीयूसी का व्यापार करने पर उनकी वास्तविक सूचना का प्रकटन करना अपेक्षित है।

v. व्यापार सूचना में निर्यात कीमत के समायोजनों को ईक्यूआर में अलग से देना अपेक्षित नहीं है। अत: ऐसी सूचना का प्रकटन अपेक्षित नहीं है।

ड.2 घरेलू उद्योग के विचार

33. घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. आवेदक ने आर्थिक हित प्रश्नावली के अपने उत्तर के साथ रिकार्ड में अपना उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र (या एमएसएमई प्रमाण पत्र) प्रस्तुत किया था।

ii. प्रतिवादियों ने संबद्ध कंपनियों के ब्यौरे तथा संबंधित कंपनियों के कार्यकलाप का उचित कारण बताए बिना गोपनीय सूचना होने का दावा किया है। इसके अलावा, यद्यपि बिक्री के दस्तावेज स्वयं गोपनीय हो सकते हैं। तथापि, प्रतिवादियों द्वारा प्रश्नावली के उनके उत्तर में प्रस्तुत ऐसे दस्तावेजों की सूची के गोपनीय होने का दावा भी किया गया है।

iii. प्रतिवादियों द्वारा सूचित कीमत समायोजन के गोपनीय होने का दावा किया गया है। एक्सेल फाइल में भी पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं। निर्यातकों द्वारा एक्सेल में प्रदत्त सूचना को उत्तर की पर्याप्तता और सत्यता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं मानना चाहिए। एक्सेल फाइल केवल विवरण होते हैं जिन्हें बदला

या बनाया जा सकता है। अगोपनीय अंश के साथ संगत सूचना सत्यापन के लिए मंगाई जानी चाहिए।

iv. एसेट क्राउन लि० द्वारा प्रस्तुत उत्तर से पता चलता है कि उसने भारत को चीन के 13 उत्पादकों से खरीदी गई संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। चूंकि दो उत्पादकों को छोड़कर ऐसे उत्पादकों की सूची को अनावश्यक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है। इसलिए आवेदक को यह नहीं पता कि इनमें से इस अन्य उत्पादक ने प्रश्नावली का उत्तर दिया है और मूल्य श्रृंखला की अपेक्षाओं को पूरा किया है।

v. प्राधिकारी के पास प्राप्त समर्थन पत्र रिकार्ड में हैं उनमें गोपनीय सूचना दी गई है और इसलिए उन्हें अन्य हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित नहीं किया गया है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

34. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना का आगोपनीय अंश सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया । हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना की गोपनीयता के संबंध में एडी नियमावली के नियम-7 में निम्नानुसार व्यवस्था है:

"7. गोपनीय सूचना :

(1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

35. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की गोपनीयता के दावों के पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गापेनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया है, जहां कहीं संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने उनकी व्यापार संबंधित संवेदनशील सूचना का गोपनीय होने का दावा किया है।

36. शटडाउन के ब्यौरे संबंधी तर्क के बारे में प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के आंकड़ों के सत्यापन के दौरान घरेलू उद्योग दावा किए गए शटडाउन को सिद्ध करने लिए सूचना और साक्ष्य मांगे थे। घरेलू उद्योग ने शटडाउन के लिए दावा की गई अवधि हेतु बिजली के बिल प्रदान किए थे और वह दावे को सही साबित करने में सक्षम रहा था।

च. <u>पाटन का आकलन और सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण</u>

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

37. सामान्य मूल्य, निर्यात और पाटन मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. आवेदक ने मनमाने ढंग से 80-100 प्रतिशत के पाटन मार्जिन का दावा किया है। यह मार्जिन विभिन्न के प्रकार के ऐसे उत्पादों पर विचार किए बिना परिकलित किया गया है जिन्हें आयात किया जा सकता है और प्रयुक्त स्टील के ग्रेड के आधार पर अलग किया जा सकता है। अत: कथित पाटन मार्जिन बढ़ाया गया प्रतीत होता है।

ii. आवेदक ने मनमाने ढंग से चीन को एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था माना है। प्राधिकारी सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण को शासित करने वाले सिद्धांतों को पैरा 6 के अनुसार वस्तुओं का मूल्य निर्धारित कर सकते हैं।

iii. माप की इकाई स्वयं निर्यात के समय पैकिंग सूची में भार और संख्या दोनों के रूप में दी गई है। परिणामस्वरूप निर्यात के बाद किसी परिवर्तन पद्धति को निर्यातकों द्वारा अपनाया नहीं गया था।

iv. प्रतिवादी ने अलग से सहायक सामग्री को वस्तु और विनिर्देशन के कॉलम के अंतर्गत कलपुर्जों के रूप में अभिज्ञात किया था। ऐसे किसी उत्पाद का भार अलग से पैकिंग सूची में दिया गया है।

v. प्रत्येक निर्यातित उत्पाद लागू पीसीएन के अंतर्गत स्पष्ट रूप से अभिज्ञात और सही ढंग से वर्गीकृत है, से वाणिज्यिक बीजक और प्रविष्टि बिल से स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है। अतिरिक्त साक्ष्य की जरूरत अनावश्यक है।

vi. प्रतिवादी द्वारा अभिज्ञात भार पैकिंग लिस्ट और प्रवेश बिल दोनों में स्पष्ट रूप से दर्ज है। ये दस्तावेज प्राथमिक रिकार्ड है और मान्यता प्राप्त सर्वोत्तम प्रथाएं प्रतिवादी को उत्तरदायी नहीं माना जा सकता । यदि डीजी सिस्टम कुछ आयात सौदों के लिए भार का उल्लेख न करे।

vii. दो इकाइयों को एक साथ अपनाना तर्कसंगत नहीं है और इससे भ्रम होगा तथा मार्जिन का गलत विश्लेषण होगा। पीसीएन को यह जानते हुए अंतिम रूप दिया गया कि अन्य मापदंडों और विभाजन संबंधी पीसीएन जरूरी नहीं हैं, क्योंकि लागत और कीमत में अंतर माप की इकाई के रूप में भार द्वारा ध्यान दिए जाएंगे।

च.2 घरेलू उद्योग के विचार

38. सामान्य मूल्य, निर्यात और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. चीन जन. गण. को पूर्ववर्ती मामलों में प्राधिकारी द्वारा और अन्य देशों में जांचकर्ता प्राधिकारियों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण के अनुसार एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए। चीन के उत्पादकों की लागत और कीमत पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है।

ii. चीन के उत्पादकों को गैर बाजार अर्थव्यवस्था माहौल के अंतर्गत प्रचालित कंपनियां माना जाना चाहिए और प्राधिकारी को अनुबंध-I के पैरा 7 के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण की कार्रवाई करनी चाहिए।

iii. बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में कीमत और बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में परिकलित मूल्य के लिए संगत आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों की कीमत पर भी विचार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि संबद्ध वस्तु का मुख्यत: चीन जन. गण. से भारत में आयात किया जा रहा है।

iv. सामान्य मूल्य को भारत में उत्पादन लागत के अनुमानों के आधार पर उसने बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों को जोड़ने के बाद परिकलित किया गया है। घरेलू उद्योग की सूचना के आधार पर तर्कसंगत लाभ मार्जिन और एसजीए तथा परिवर्तन लागत सहित इस कीमत में आवश्यक समायोजन किए गए हैं।

v. निर्यात कीमत को डीजीसीआई एंड एस के प्रकाशित आंकड़ों से प्राप्त आंकडों के अनुसार प्रस्तावित जांच अवधि के लिए आयातों की मात्रा और मूल्य के आधार पर निर्धारित किया गया है। उचित तुलना के प्रयोजनार्थ कीमत समायोजन का दावा सीमित आधार पर किया गया है।

vi बताई गई सामान्य मूल्य गणनाओं पर विचार करते हुए पाटन मार्जिन परिकलित किया गया है। इस प्रकार परिकलित पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम सीमा से अधिक है, बल्कि काफी अधिक है।

vii. निर्यात मात्रा और मूल्य के संबंध में प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा प्रदत्त आंकड़ों को सभी कोडों के अंतर्गत डीजीसीआई एंड एस या डीजी सिस्टम के आंकड़ों से सत्यापित किया जाना चाहिए जिनका प्रयोग भारत में संबद्ध वस्तु के निर्यात के लिए निर्यातकों द्वारा किया जा रहा है।

viii. यह सत्यापित करना चाहिए कि निर्यातकों ने ऐसे सभी व्यय सूचित किए हैं जो उत्पाद के निर्यात में उन्होंने वहन किए हैं। इसके अलावा, यह भी नोट किया गया है कि निर्यातकों के लिए सभी व्ययों की सूचना देना अपेक्षित है जो घरेलू और निर्यातित उत्पाद के बीच बिक्री की स्थिति और शर्तों के मध्य अंतर का समाधान करेंगे।

ix. अनेक आयात सौदे संख्या में हैं। इसलिए भार की सही पहचान और पीसीएन की पहचान गंभीर चुनौती है। जब आयात अलग इकाई में सूचित किए गए हैं तो निर्यातक द्वारा सूचित भार डीजी सिस्टम के आंकड़ों से सत्यापन योग्य नहीं है।

x. यह महत्वपूर्ण है कि निर्यातकों को पूर्ण वास्तविक संतुलन का निदेश दिया जाए जिसमें खरीदी गई या खपाई गई कच्ची सामग्री मात्रा, घरेलू बाजार में उत्पादन और बिक्री, भारत को निर्यात और तीसरे देशों को निर्यात दर्शाया गया हो ताकि प्राधिकारी निर्यातकों द्वारा सूचित भार ई-प्रमाणिकता सिद्ध करने के लिए उनका मिलान कर सकें।

xi. प्राधिकारी डीजी सिस्टम के आंकड़ों में सूचित इकाई पर सामान्य मूल्य, एनआईपी और प्रस्तावित निर्धारण के लिए इकाई के रूप में विचार कर सकते हैं, जहां डीजी सिस्टम के आंकड़े भार में मात्रा बताते हैं, वहां इन पर विचार किया जा सकता है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

<u>सामान्य मूल्य का निर्धारण</u>

39. धारा 9(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

(i) *व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा*

(ii) *जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:*

(क) *समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा* (6) *के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा*

(ख) *उपधारा* (6) *के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत:*

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

40. चाइनीज एसेसन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान हैः

"जीएटीटी का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, 1994 ("पाटनरोधी समझौता") के अनुच्छेद-VI के कार्यान्वयन पर समझौता तथा एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगेः

(क) जीएटीटी के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी समझौते के तहत मूल्य की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतें के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं हैः

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो निर्यात

करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(iii) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजयसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(iv) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(v) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि

बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

41. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(ii) में दिए गए प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) के अधीन दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधानों में भारत की एडी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में निर्धारित मापदंड को बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के दावे संबंधी पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के ज़रिए पूरा करना अपेक्षित है।

42. जांच शुरूआत के समय प्राधिकारी ने ऐसी सूचना के अनुसार कार्रवाई की जो जांच शुरूआत के लिए उपलब्ध और पर्याप्त थी। जांच शुरूआत होने पर प्राधिकारी ने चीन जन. गण. में उत्पादकों / निर्यातकों को जांच की शुरूआत का उत्तर देने और उनके बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के निर्धारण के लिए संगत सूचना देने की सलाह भी प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8(3) में निर्धारित मानदंडों के अनुसार गैर बाजार अर्थव्यवस्था की धारणा का खंडन करने और संगत विस्तृत सूचना प्रस्तुत करने के लिए सभी ज्ञात उत्पादकों / निर्यातकों को पूरक प्रश्नावली भेजी थी। प्राधिकारी ने चीन जन. गण. की सरकार से चीन जन. गण. में उत्पादकों / निर्यातकों को संगत सूचना की सलाह देने का अनुरोध भी किया था।

43. इसीलिए निर्यातक / उत्पादक ने चीन जन. गण. के एनएमई दर्जे का विरोध किया है। इसलिए उक्त स्थिति के मद्देनजर और चीन की किसी निर्यातक कंपनी द्वारा गैर बाजार अर्थव्यवस्था की धारणा के खंडन के अभाव में प्राधिकारी वर्तमान जांच में चीन जन. गण. को एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था देश मानना उचित समझते हैं और चीन जन. गण. के मामले में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार आगे कार्रवाई करते हैं।

44. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 में प्रावधान है कि :

"गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य, मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा

परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं हैं, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देकते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।"

45. पैरा 7 में सामान्य मूल्य के निर्धारण का क्रम निर्धारित है और यह व्यवस्था है कि सामान्य मूल्य को बाजार अर्थव्यवस्था किसी तीसरे देश में कीमत या परिकलित मूल्य या ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देश को कीमत या जहां ऐसा संभव नहीं हो, वहां समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में प्रदत्त या देय कीमत जो यदि आवश्यक हो, तो तर्कसंगत लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए विधिवत रूप से समायोजित हो, सहित किसी अन्य किसी तर्कसंगत आधार पर निर्धारित किया जाएगा। इस प्रकार प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य को अनुबंध 7 के अनुसार प्रदत्त विभिन्न क्रमबद्ध विकल्पों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करना अपेक्षित है।

46. किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में कीमत या परिकलित मूल्य का कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। अन्य देशों में प्रचलित कीमत उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार सामान्य मूल्य को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में प्रचलित कीमत के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश से अन्य देश को कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य नहीं निर्धारित किया जा सकता। वर्तमान जांच में संबद्ध देश के अलावा, अन्य देशों से भारत को आयात नगण्य मात्रा में है। इस प्रकार बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश भारत सहित अन्य देशों को आयात पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार नहीं किया जा सकता है। प्राधिकारी के समक्ष सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए सूचना / साक्ष्य के अभाव में प्राधिकारी ने चीन जन. गण. से सभी निर्यातकों / उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण एडी नियमावली 1995 के अनुबंध-I के पैरा 7 में यथा निर्धारित ''भारत में वास्तव में प्रदत्त या देय कीमत सहित किसी अन्य तर्कसंगत आधार'' के अनुसार किया है। इस प्रकार सामान्य मूल्य को घरेलू उद्योग की उत्पादन

लागत में बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा लाभ के लिए तर्कसंगत योग सहित उसके आधार पर परिकलित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

<u>निर्यात कीमत का निर्धारण</u>

47. उत्पादकों / निर्यातकों द्वारा मूल रूप से और कमी संबंधी पत्रों के उत्तर के जरिए यथा प्रस्तुत उत्तरों की निम्नानुसार जांच की गई है।

क) योंगकांग ज़िनडुओ कप्स कंपनी लिमिटेड

48. योंगकांग ज़िनडुओ कप्स कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे "ज़िनडुओ" भी कहा गया है) चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक और निर्यातक है। ज़िनडुओ ने *** एमटी संबद्ध वस्तु का सीधे और *** एमटी का एक असंबंधित व्यापारी अर्थात एसेट क्राउन लिमिटेड के जरिए पीओआई के दौरान भारत में अपने असंबंधित उपभोक्ताओं को निर्यात करने की सूचना दी है।

49. 22 जून, 2024 को प्राधिकारी ने निर्यातक से उनके द्वारा प्रस्तुत ईक्यूआर के सत्यापन के लिए परिशिष्ट 1, 3क/3ख और 4क/4ख (सत्यापन दस्तावेज) के संबंध में सूचना / स्पष्टीकरण / समर्थक दस्तावेज मांगे थे। निर्यातक को सूचना प्रस्तुत करने के लिए 29 जून, 2024 तक का समय दिया गया था। तथापि, निर्यातक ने निर्धारित समय के भीतर कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

50. तत्पश्चात 11 जुलाई, 2024 के अपने पत्र द्वारा प्राधिकारी ने निर्यातक से पुन: सत्यापन दस्तावेज मांगे जिसके उत्तर में निर्यातक ने 18 जुलाई 2024 को अपना उत्तर प्रस्तुत किया। तथापि, निर्यातक ने परिशिष्ट 1 से संबंधित सूचना और दावा किए गए समायोजनों के लिए समर्थक दस्तावेज नहीं दिए थे। निर्यातक द्वारा परिशिष्ट 3क/3ख से संबंधित अधिकांश सूचना चीनी भाषा में उसकी अंग्रेजी में किसी सार्थक अनुवादित प्रति के बिना प्रस्तुत की गई थी जिसके लिए प्राधिकारी ऐसे दस्तावेजों को समझने की स्थिति में नहीं थे। निर्यातक और उसके व्यापारी एसेट क्राउन लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत वाणिज्यिक बीजक और पैकिंग सूची की जांच के दौरान यह देखा गया है कि दस्तावेज अधिप्रमाणित नहीं हैं। इसके अलावा, निर्यातक ने परिशिष्ट 3क में कोई भुगतान का

सबूत नहीं दिया है और न ही निर्धारित समय के भीतर सीमा शुल्क घोषणा प्रपत्र प्रस्तुत किए हैं।

51. अतिरिक्त रूप से, 11 जुलाई, 2024 को प्राधिकारी ने कुछ सामान्य मुद्दों, निर्यात कीमत और पहुंच मूल्य के संबंध में स्पष्टीकरण/सूचना मांगी। निर्यातक को सूचना दायर करने के लिए 18 जुलाई, 2024 तक का समय दिया गया था। तथापि, निर्यातक ने न तो निर्धारित सीमा के भीतर उत्तर दायर किया और न ही कोई विस्तार मांगा। बाद में, 7 अगस्त, 2024 को अर्थात मूल समय सीमा के 20 दिन बाद निर्यातक ने केवल निर्यात कीमत और पहुंच मूल्य के संबंध में सूचना प्रस्तुत की। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी द्वारा उठाए गए शेष प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया गया था।

52. 3 सितंबर, 2024 को प्राधिकारी ने निर्यातक को सूचित किया कि बीजक तथा तद्नुरूपी सत्यापन दस्तावेज पूर्ण नहीं थे और मांगे गए अनुसार प्रस्तुत नहीं किए गए थे। निर्यातक से अनुरोध किया गया था कि वे 4 सितंबर, 2024 तक स्पष्टीकरण/सूचना/दस्तावेज उपलब्ध कराएं। तथापि, स्पष्ट करने का अवसर दिए जाने के बावजूद निर्यातक प्राधिकारी द्वारा मांगी सूचना/स्पष्टीकरण/दस्तावेज सभी देने में विफल रहे।

53. 1 अक्तूबर, 2024 को प्राधिकारी के अनुदेशों का पूर्ण रूप से अनुपालन न किए जाने के मद्देनजर प्राधिकारी ने उनके उत्तर को रद्द न किए जाने के लिए कारण स्पष्ट करने हेतु निर्यातक को अवसर प्रदान किया। तथापि निर्यातक द्वारा कोई कारण नहीं बताए गए हैं।

54. 3 अक्तूबर, 2024 को प्राधिकारी ने निर्यातक द्वारा एनईपी और पहुंच मूल्य का परिकलन करने के लिए किए गए दावे के समायोजन स्पष्ट करने वाले संक्षिप्त नोट और स्पष्टीकरण मांगा, यदि संबंधित व्यापार ने लाभ या हानि पर विचाराधीन उत्पाद की बिक्री की फिर भी पुन: निर्यातक ने प्राधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना का कोई उत्तर नहीं दिया।

55. निर्यातक प्रश्नावली के माध्यम से निर्यातकों को निर्देश दिया गया था कि वे विचाराधीन उत्पाद के विनिर्देशनों, भारत को किए गए निर्यात और घरेलू तौर पर की गई बिक्री सहित पूरे विवरण प्रदान करें। निर्यातकों को यह भी निर्देश दिया गया था कि वे यह उल्लेख करें कि क्या उनके द्वारा निर्यातित उत्पाद, यद्यपि प्राधिकारी द्वारा परिभाषित उत्पाद विवरण के भीतर आते हैं, किसी तरह विचाराधीन उत्पाद से भिन्न हैं अथवा

विशिष्ट विशेषताएं या प्रयोग हैं जो इसे विचाराधीन उत्पाद के भीतर आने वाले अन्य उत्पादों से बाहर करते हैं। निर्यातक से यह उम्मीद की गई थी कि वे अपनी स्थिति का औचित्य बताते हुए विस्तृत सूचना उपलब्ध कराएंगे। इसके अतिरिक्त, निर्यातकों से यह उम्मीद की गई थी कि वे ये उल्लेख करेंगे कि क्या सिद्ध सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत तुलनीय आधार पर नहीं हैं और यदि ऐसा है तो वे उचित समायोजन बताएं जो उचित तुलना सुनिश्चित करने के लिए किए जा सकते हैं। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह उम्मीद की जाती है कि जांच में प्राधिकारियों द्वारा प्राधिकारी को उत्तर देते समय किसी महत्वपूर्ण और संगत तथ्य को छिपाए बिना सच्ची और पूर्ण प्रकटन किए जाते हैं। यह घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए तर्कों और किए गए दावों से संबंधित नहीं हैं।

56. यह देखा गया है कि निर्यातक ने उल्लेख किया कि खंड छ में "***" , इलैक्ट्रोप्लेटिंग का चरण निर्यातक द्वारा अपनी उत्पादन प्रक्रिया के फ्लोचार्ट (प्रदर्श 7 में दिए गए अनुसार) में सूचित नहीं किया गया है। सामान्य स्थिति में, यह समझा जाता है कि इलैक्ट्रोप्लेटिंग किसी उत्पाद को किसी दसूरी धातु की परत, यथा तांबा, जिंक, सिल्वर आदि के साथ कोटिंग/प्लेटिंग है। अत:, प्राधिकारी ने निर्यातक के अनुरोधों पर विश्वास किया है कि निर्यातक ने उन संबद्ध सामानों का निर्यात किया है जो इलैक्ट्रोप्लेटेड थे अर्थात किसी अन्य धातु की परत में कोटेड थे। निर्यातक ने कहीं भी स्पष्ट नहीं किया है कि भारत को उसके निर्यातों की पूरी अथवा कुछ मात्राएं इलैक्ट्रोप्लेटेड थीं।

57. इसके अतिरिक्त, निर्यातक ने निर्यात प्रश्नावली के उत्तर के परिशिष्ट 3क, 3ख, 4क में निर्यातित उत्पादों का अपूर्ण विवरण दिया है। उदाहरण के लिए परिशिष्ट 3क में निर्यातक ने "एक्सजी-6811 एस/एस एफएलआईपी" के रूप में निर्यातित उत्पाद वर्णित किया जबकि वह उसके वाणिज्यिक बीजक और पैकिंग सूची में "एक्सजी-6811 एस/एस एफएलआईपी 750 एमएल वैक्यूम बॉटल" के रूप में वर्णित किया गया है। उसी उत्पाद के लिए विवरण डीजी सिस्टम के आंकड़ों में प्राधिकारी द्वारा "750 एमएल वैक्यूम बॉटल एफएलआईपी स्टोपर के साथ (एक्सजी-6811 एस/एस एफएलआईपी)" के रूप में देखा गया है। तथापि, कहीं भी निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में निर्यातक द्वारा दिया गया विवरण उत्पाद की किस्म अथवा उत्पाद की क्षमता का उल्लेख नहीं करता। यह दर्शाता है कि निर्धारित प्रपत्रों के संगत कॉलम में उत्तरदाता द्वारा दिया गया विवरण उसके वाणिज्यिक बीजक में दिए गए अनुसार समान नहीं है और उत्पाद का समुचित संगत

विवरण भी नहीं दर्शाता है। इसी प्रकार, परिशिष्ट 4क में, निर्यातक ने मात्र उसके द्वारा निर्यातित उत्पाद "वैक्यूम बॉटल", "वैक्यूम कप" के रूप में वर्णित किया।

58. यह देखा गया है कि "सुपुर्दगी की शर्तें" निर्यातक द्वारा 12 लेनदेनों के लिए अपने उत्तर के परिशिष्ट 3ख में सूचित नहीं की गई हैं जबकि उन लेनदेनों की निर्यात कीमत में समायोजनों (यदि कोई है) की जांच नहीं की जा सकती थी। इसी प्रकार, निर्यातक ने परिशिष्ट 3क में 41 लेनदेनों के लिए "भुगतान शर्तें" सूचित नहीं की हैं। अतिरिक्त रूप से, निर्यातक ने इन लेन-देनों के लिए ऋण लागत की मात्रा नहीं बताई है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान जांच में अपनाई गई माप की यूनिट भार है। तथापि, निर्यातक ने भार के बजाए संख्याओं के अनुसार निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर के परिशिष्ट क में सूचना प्रस्तुत की।

59. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी मानते हैं कि निर्यातक प्राधिकारी के निर्देशों का पालन करने में विफल रहा है और अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार कार्य नहीं किया है। निर्यातक ने आवश्यक सूचना तक समय पर पहुंच से इंकार किया है जिससे जांच में काफी बाधा पड़ी है। प्राधिकारी कंपनी द्वारा किए गए निर्यातों के संबंध में अलग-अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करने में असमर्थ हैं। उपर्युक्त कारणों के मद्देनजर निर्यातक द्वारा प्रस्तुत निर्यातक प्रश्नावली के उत्तरों पर विचार नहीं कर सकते और उपलब्ध तथ्यों पर विश्वास करने के लिए विवश हैं।

ख) झेजियांग कुआंगडी इंडस्ट्री एंड ट्रेड कं. लि.

60. झेजियांग कुआंगडी इंडस्ट्री एंड ट्रेड कं. लि. ("जिसे कुआंगडी" के रूप में भी कहा गया है) चीन जन.गण. से संबद्ध सामानों का उत्पादक और निर्यातक है। कुआंगडी ने जांच की अवधि में भारत में अपने असंबद्ध ग्राहकों को ***मी.ट. संबद्ध सामान सीधे ही और ***मी.ट. एक असंबद्ध निर्यातक अर्थात एसेट क्राउन लिमिटेड के माध्यम से निर्यात सूचित किया है।

61. 22 जून, 2024 को प्राधिकारी ने प्रस्तुत निर्यातक प्रश्नावली के उत्तरों का सत्यापन करने के लिए निर्यातक से परिशिष्ट 1, 3क/3ख और 4क/4ख (सत्यापन दस्तावेज) के संबंध में सूचना/स्पष्टीकरण/समर्थक दस्तावेज मांगे। निर्यातक को सूचना दायर करने के लिए 29 जून, 2024 तक का समय दिया गया था। तथापि निर्यातक ने निर्धारित समय सीमा के भीतर उत्तर दायर नहीं किया।

62. इसके बाद दिनांक 11 जुलाई, 2024 के अपने पत्र द्वारा प्राधिकारी ने पुन: निर्यातक से सत्यापन दस्तावेज मांगे जिसके उत्तर में निर्यातक ने 18 जुलाई, 2024 को अपना उत्तर दायर किया। तथापि, निर्यातक ने परिशिष्ट-1 से संबंधित सूचना और दावा किए गए समायोजनों के लिए समर्थक दस्तावेज नहीं दिए। परिशिष्ट 3क/3ख से संबंधित अधिकतर सूचना निर्यातक द्वारा चीनी भाषा में अंग्रेजी में उसकी सार्थक अनुदित प्रति उपलब्ध कराए बिना दायर की गई है जिससे प्राधिकारी उन दस्तावेज़ों को समझने की स्थिति में नहीं थे। निर्यातक और उसके व्यापारी ऐसेट क्राउन लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत वाणिज्यिक बीजक और पैकिंग सूची की जांच के दौरान यह देखा गया है कि दस्तावेज प्राधिकृत नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, निर्यातक ने निर्धारित समय के भीतर सीमा शुल्क घोषणा प्रपत्र उपलब्ध नहीं कराए।

63. इसके अतिरिक्त, 11 जुलाई, 2024 को प्राधिकारी ने कुछ सामान्य मुद्दों, निर्यात कीमत और पहुंच मूल्य के संबंध में स्पष्टीकरण/सूचना मांगी। निर्यातक को सूचना दायर करने के लिए 18 जुलाई, 2024 तक का समय दिया गया था। तथापि, निर्यातक ने न तो निर्धारित समय के भीतर उत्तर दायर किया और न ही कोई समय बढ़ाने की मांग की। बाद में 7 अगस्त, 2024 को अर्थात मूल समय सीमा के 20 दिन बाद निर्यातक ने केवल निर्यात कीमत और पहुंच मूल्य के संबंध में सूचना प्रस्तुत की। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी द्वारा उठाए गए शेष प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया गया था।

64. उत्तर के डेस्क सत्यापन के दौरान प्राधिकारी ने यह पाया कि निर्यातक ने उसके द्वारा निर्यातित कुछ उत्पादों के लिए 0.002 कि.ग्रा., 0.031 कि.ग्रा. आदि जैसे कम भार सूचित किए थे। यह सामान्य असंभाव्यता प्रतीत हुई। इस संबंध में निर्यातक को उसे यह सूचित करते हुए 3 सितंबर, 2024 को भी एक पत्र भेजा गया था कि *दायर की गई निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में विसंगतियां हैं। कुछ लेनदेन विचाराधीन उत्पाद का प्रति यूनिट भार 2 ग्राम जैसा कम दर्शाता है।* इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने निर्यातक को सूचित किया कि बीजक और तद्नुरूपी सत्यापन दस्तावेज पूर्ण नहीं थे और मांगे गए अनुसार प्रस्तुत नहीं किए गए। निर्यातक ने संशोधित परिशिष्ट 3क प्रस्तुत किया और उल्लेख किया कि परिशिष्ट 3क में दो त्रुटियां हाइलाइट की जा रही विशिष्ट पंक्ति (पंक्तियों में) ठीक कर दी गई हैं। तथापि, प्राधिकारी ने यह पाया कि 8 पंक्तियों को हाइलाइट किया गया था। इसके अतिरिक्त, इन त्रुटियों के लिए कोई कारण और औचित्य नहीं दिया गया था।

65. 1 अक्तूबर, 2024 को, प्राधिकारी के अनुदेशों के पूर्ण पालन न किए जाने के मद्देनजर प्राधिकारी ने निर्यातक को कारण स्पष्ट करने का अवसर दिया कि क्यों न उनके उत्तर को रद्द किया जाए। तथापि, निर्यातक द्वारा कोई कारण नहीं दिए गए हैं।

66. 3 अक्तूबर, 2024 को प्राधिकारी ने एनईपी और पहुंच मूल्य का परिकलन करने और स्पष्टीकरण के लिए दावा किए गए समायोजनों को स्पष्ट करते हुए संक्षिप्त नोट मांगा, यदि संबद्ध व्यापारी ने लाभ अथवा हानि पर विचाराधीन उत्पाद बेचा। फिर भी, पुन: निर्यातक ने प्राधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना का कोई उत्तर नहीं दिया।

67. निर्यातक प्रश्नावली के माध्यम से निर्यातकों को यह निर्देश दिया गया था कि वे विचाराधीन उत्पादन की विशिष्टियों, भारत को किए गए निर्यात और घरेलू तौर पर की गई बिक्री सहित पूर्ण विवरण प्रदान करें। निर्यातकों को यह निर्देश दिया गया था कि वे यह उल्लेख करें कि क्या उनके द्वारा निर्यातित उत्पाद, प्राधिकारी द्वारा परिभाषित किए गए अनुसार उत्पाद विवरण के अन्तर्गत आता है, किसी तरह विचाराधीन उत्पाद से भिन्न है अथवा विशिष्ट विशेषताएं या प्रयोग हैं जो उसे विचाराधीन उत्पाद के भीतर आने वाले अन्य उत्पादों से बाहर करते हैं। निर्यातक से उनकी स्थिति का औचित्य बनाने वाली विस्तृत सूचना देने की उम्मीद की गई थी। इसके अतिरिक्त, निर्यातकों से यह उम्मीद की गई थी कि वे यह उल्लेख करें कि क्या सिद्ध सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत तुलनीय आधार पर नहीं हैं और यदि ऐसा है तो वे उचित समायोजन बताएं जो उचित तुलना सुनिश्चित करने के लिए किए जा सकते हैं। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह उम्मीद की जाती है कि जांच से संबंधित पक्षकारों द्वारा प्राधिकारी को उत्तर देते समय कोई महत्वपूर्ण और संगत तथ्य छिपाए बिना सच्चे और पूर्ण प्रकटन किए जाएंगे। यह घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए तर्कों और किए गए दावों को ध्यान में न रखते हुए हैं।

68. यह देखा गया है कि इलैक्ट्रोप्लेटिंग का चरण निर्यातक द्वारा अपनी उत्पादन प्रक्रिया के फ्लोचार्ट में सूचित किया गया है और वह निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर के खंड छ में '***' उल्लिखित किया गया है। सामान्य स्थिति में, यह समझा जाता है कि इलैक्ट्रोप्लेटिंग किसी उत्पाद को किसी दसूरी धातु की परत, यथा तांबा, जिंक, सिल्वर आदि के साथ कोटिंग/प्लेटिंग है। अत:, प्राधिकारी ने निर्यातक के अनुरोधों पर विश्वास किया है कि निर्यातक ने उन संबद्ध सामानों का निर्यात किया है जो इलैक्ट्रोप्लेटेड थे अर्थात किसी

अन्य धातु की परत में कोटेड थे। इसके अतिरिक्त, उत्पादन प्रक्रिया के फ्लोचार्ट से यह देखा जाता है कि तांबा प्लेटिंग निर्यातक की उत्पादन प्रक्रिया का एक भाग है। तथापि, निर्यातक ने कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया है कि भारत को उसके सभी निर्यात अथवा निर्यातों की कुछ मात्रा तांबा प्लेटेड/इलैक्ट्रोप्लेटेड थी।

69. यह तथ्य कि निर्यातक ने तांबा कोटेड उत्पादों का निर्यात किया है, प्राधिकारी द्वारा डीजी सिस्टम के आंकड़ों की जांच से भी सिद्ध किया गया है। उदाहरण के लिए, निर्यातक द्वारा निर्यातित एक उत्पाद का विवरण, जैसा कि डीजी सिस्टम के आंकड़ों में दिखाई दे रहा है, "कैम्पी 650 (छोटा भीम) वास्तविक क्षमता 410 एमएल, डबल वाल एसएस 304 भीतरी और बाहर, रंग सहित तांबा कोटिंग" है। तथापि, निर्यातक ने अपनी निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर परिशिष्ट 3क में यह नहीं दिया है। यह दर्शाता है कि निर्यातक द्वारा दिए गए विवरण में तांब कोटिंग के संबंध में काफी सूचना छिपाई गई है।

70. प्राधिकारी आयातक सेलो के अनुरोध को नोट करते हैं जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि चीन जन.गण. से आयातित उत्पाद और भारत में बेचे गए उत्पाद अलग - अलग हैं क्योंकि आयातित उत्पादों में वैक्यूम फ्लास्क की भीतरी लेयर के भीतर कॉपर लाइन है और उत्पाद की यह श्रेणी घरेलू उद्योग द्वारा मुश्किल से ही विनिर्मित/बेची जाती है।

71. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी यह मानते हैं कि प्राधिकारी द्वारा जारी प्रश्नावली के उत्तर पूरी तरह कमी पूर्ण हैं। निर्यातक ने महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए हैं और प्राधिकारी को उन सभी उत्पाद मापदंडों का समय से उल्लेख नहीं किया जो उचित तुलना करने के लिए संगत थे, पीसीएन पद्धति का समुचित निर्धारण रोका और अपने द्वारा निर्यातित उत्पादों के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना छिपाई। निर्यातक ने प्राधिकारी द्वारा मांगी गई आवश्यक सूचनाएं नहीं दी। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी द्वारा जारी पूरक प्रश्नावली के उत्तर केवल काफी देर से ही नहीं दिए गए बल्कि अलग अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए पूरी तरह अपूर्ण और अपर्याप्त भी थे। निर्यातक ने अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार कार्य नहीं किया है, सूचना तक समय पर पहुंच से इंकार किया है, उपयुक्त अवधि के भीतर आवश्यक सूचना नहीं दी है और जांच में काफी बाधा डाली है। प्राधिकारी कंपनी द्वारा किए गए निर्यातों के संबंध में अलग अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करने में असमर्थ है और उपलब्ध तथ्यों पर विश्वास करने के लिए विवश है।

ग) झेजियांग हाओकी इंडस्ट्री एंड ट्रेड कं. लि.

72. झेजियांग हाओकी इंडस्ट्री एंड ट्रेड कं. लि. (हाओकी) चीन जन.गण. से परिष्कृत और अपरिष्कृत, दोनों रूपों (वैक्यूम बॉडी) में संबद्ध सामानों का उत्पादक और निर्यातक है। हाओकी ने जांच की अवधि में भारत में अपने असंबद्ध ग्राहकों को ***मी.ट. संबद्ध सामानों का सीधा निर्यात सूचित किया है। यह देखा जाता है कि उसके लगभग पूरे निर्यात केवल एक भारतीय कंपनी अर्थात हैमिल्टन को किए गए थे।

73. निर्यातक प्रश्नावली के माध्यम से निर्यातकों को यह निर्देश दिया गया था कि वे विचाराधीन उत्पादन की विशिष्टियों, भारत को किए गए निर्यात और घरेलू तौर पर की गई बिक्री सहित पूर्ण विवरण प्रदान करें। निर्यातकों को यह निर्देश दिया गया था कि वे यह उल्लेख करें कि क्या उनके द्वारा निर्यातित उत्पाद, प्राधिकारी द्वारा परिभाषित किए गए अनुसार उत्पाद विवरण के अन्तर्गत आता है, किसी तरह विचाराधीन उत्पाद से भिन्न है अथवा विशिष्ट विशेषताएं या प्रयोग हैं जो उसे विचाराधीन उत्पाद के भीतर आने वाले अन्य उत्पादों से बाहर करते हैं। निर्यातक से उनकी स्थिति का औचित्य बनाने वाली विस्तृत सूचना देने की उम्मीद की गई थी। इसके अतिरिक्त, निर्यातकों से यह उम्मीद की गई थी कि वे यह उल्लेख करें कि क्या सिद्ध सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत तुलनीय आधार पर नहीं हैं और यदि ऐसा है तो वे उचित समायोजन बताएं जो उचित तुलना सुनिश्चित करने के लिए किए जा सकते हैं। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह उम्मीद की जाती है कि जांच से संबंधित पक्षकारों द्वारा प्राधिकारी को उत्तर देते समय कोई महत्वपूर्ण और संगत तथ्य छिपाए बिना सच्चे और पूर्ण प्रकटन किए जाएंगे। यह घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए तर्कों और किए गए दावों को ध्यान में न रखते हुए हैं।

74. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति के संबंध में अपनी टिप्पणियों में यह अनुरोध किया कि "*प्रयुक्त संगठकों और सहायक हिस्से पुर्जों, आकार, कोटिंग सामग्री, डिजाइन, विशिष्ट अभिलक्षण आदि, जो विभिन्न प्रकार के वोक्यूम इंसुलेटेड वैसल्स में लागू होते हैं*" में अंतर के कारण उत्पादन लागत अलग अलग हैं। तथापि, पूरी जांच में निर्यातक प्राधिकारी के ध्यान में यह कभी नहीं लाए कि उन्होंने तांबा कोटिंग वाले फ्लास्कों की काफी मात्रा में निर्यात किया है।

75. निर्यातक ने यह उल्लेख नहीं किया कि प्राधिकारी द्वारा परिभाषित किए गए अनुसार उत्पाद विवरण के अन्तर्गत आने वाले निर्यातित उत्पाद विचाराधीन उत्पाद से भिन्न हैं

और उनकी विशिष्ट विशेषताएं अथवा प्रयोग हैं जो इसे विचाराधीन उत्पाद से अलग करती हैं।

76. इसके अतिरिक्त, निर्यातक द्वारा प्रस्तुत उत्पाद प्रक्रिया फ्लोचार्ट (उसी निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर के प्रदर्श छ-3 के अनुसार) में ये बात सामने आती है कि तांबा कोटिंग निर्यातक की उत्पादन प्रक्रिया का एक चरण है। उत्पाद विवरण के माध्यम से, प्राधिकारी ने यह पाया है कि निर्यातकों द्वारा निर्यातों की भारी मात्रा तांबा कोटेड की है। उनकी निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर के परिशिष्ट 3क में उत्पाद विवरणों की जांच से यह पाया गया है कि निर्यातक ने निम्नलिखित सहित निर्यात किए हैं:

क) भीतर और बाहर, दोनों ओर से भीतरी दीवार पर बाहर की ओर तांबा कोटिंग।
ख) भीतरी तांबा कोटिंग।
ग) भीतरी तांबा कोटिंग ओर कलर पेंटिंग।
घ) छोटी सी कलर फिनिश के साथ भीतरी और बाहरी तथा तांबा कोटिंग।

77. प्राधिकारी आयातक सेलो के अनुरोध को नोट करते हैं जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि चीन जन.गण. से आयातित और भारत में बेचे गए उत्पाद भिन्न हैं क्योंकि आयातित उत्पादों में वैक्यूम फ्लास्क की भीतरी परत के भीतर की ओर कॉपर लाइनिंग है और उत्पाद की यह श्रेणी घरेलू उद्योग द्वारा मुश्किल से ही विनिर्मित की जाती है और बेची जाती है।

78. इसके अतिरिक्त्, निर्यातक ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति के संबंध में अपने अनुरोध में "मामले" के आधार पर अलग पीसीएन का प्रस्ताव किया था और यह उल्लेख किया था कि वैक्यूम इन्सुलेटेड वैसल्स की लागत और कीमत इस बात पर निर्भर रहते हुए अलग अलग होगी कि क्या वे किसी खोल में हैं अथवा बिना खोल के हैं। तथापि, घरेलू उद्योग ने अपने दिनांक 6 मार्च, 2024 के पत्र द्वारा यह तर्क दिया कि *"खोल", "स्ट्रैप्स", "हैंडल्स" जो वैक्यूम फ्लास्क के साथ आते हैं, अलग से सूचित किए जा सकते हैं और निर्यात कीमत के लिए समायोजित किए जा सकते हैं"!* प्राधिकारी द्वारा उनकी निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर परिशिष्ट 3क की जांच से यह पाया गया था कि उन्होंने कुछ उत्पाद सिल्वर पाउच के साथ निर्यात किए हैं। तथापि, निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में सहायक हिस्से पुर्जों की कीमत की पहचान और समायोजन नहीं किया। यह उस तथ्य के बावजूद है कि उन्होंने खोल के आधार पर खुद ही पीसीएन का

प्रस्ताव किया था। निर्यातक के अनुरोधों से यह सिद्ध है कि इस तथ्य का संज्ञान होने के बावजूद कि निर्यातक द्वारा की जाने वाली अतिरिक्त लागत मद के होते हुए सहायक हिस्से पुर्जों की कीमतें समायोजित की जानी थी, यहां तक कि यद्यपि वे प्राधिकारी द्वारा पीसीएन के रूप में निर्धारित नहीं थीं, निर्यातक ने इस प्रकार उचित तुलना रोक कर ऐसा नहीं किया।

79. 10 मई, 2024 को प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वैक्यूम इन्सुलेटेड फ्लास्क और स्टेनलेस स्टील के अन्य वैक्यूम इन्सुलेटेड वैसल्स के रूप में स्पष्ट किया था और इसमें ढक्कन, टोपी और तल जैसे भागों के साथ और भागों के बिना फ्लास्क की "वैक्यूम इन्सुलेटेड बॉडी" तथा अन्य वैक्यूम इन्सुलेटेड वैसल्स शामिल हैं। उत्पाद के अपरिष्कृत/अपूर्ण स्वरूप अर्थात ढक्कन, टोपी और तल सहित अथवा उसके बिना वैक्यूम इन्सुलेटेड बॉडी में आयात में बिक्री अथवा आयात लेन देन की स्थिति में हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे प्रश्नावली में अलग से वैक्यूम इन्सुलेटेड बॉडी से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत करें और साथ ही इसकी स्पष्ट रूप से पहचान भी करें तथा वैक्यूम इन्सुलेटेड बॉडी की तुलना पूर्ण/परिष्कृत वैक्यूम इन्सुलेटेड फ्लास्क अथवा अन्य वैक्यूम इन्सुलेटेड वैसल्स के साथ उचित तुलना सुनिश्चित करने के लिए समर्थक दस्तावेजी साक्ष्य के साथ उचित समायोजनों की रिपोर्ट दें।

80. यह देखा जाता है कि निर्यातक ने भारत को पूर्ण/परिष्कृत वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क तथा ढक्कर, टोपी और तल के बिना वैक्यूक फ्लास्क बॉडी का निर्यात किया है। यद्यपि निर्यातक ने परिशिष्ट 3क में "टोपी, तल/ढक्कन प्रसंस्करण प्रभारों" का मूल्य बताया है, तथापि टोपी/तल/ढक्कन का संबद्ध भार नहीं बताया गया है। इस तथ्य को देखते हुए अधिक महत्वपूर्ण है कि निर्यातक ने काफी भिन्न भारों वाली उसी क्षमता के उत्पाद का निर्यात किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि उसने पैकिंग सूची के आधार पर निर्यात लेनदेन का भार सूचित किया है। चूंकि इन मामलों में पैकिंग सूची केवल वैक्यूम इन्सुलेटेड बॉडी के आयातों के संबंध में थी, अत: इसका अर्थ है कि ये भार टोपी/तल/ढक्कन के भार में कोई वृद्धि न होने के लिए निर्यातक ने प्रस्तावित की थी परंतु मात्र इस टोपी/तल/ढक्कन के प्रति मूल्य की अभिवृद्धि का प्रस्ताव किया। यह भी देखा जाता है कि उत्पाद की क्षमता और भार को ध्यान में न रखते हुए, टोपी/तल/ढक्कन की समान कीमत निर्यातक द्वारा सभी लेन-देनों में जोड़ी गई है जिसमें वैक्यूम इन्सुलेटेड बॉडी निर्यात की गई है। विचाराधीन उत्पाद के साथ

टोपी/तल/ढक्कन का तद्नुरूपी भार जोड़े बिना विचाराधीन उत्पाद में टोपी/तल/ढक्कन की कीमत समायोजित करने के लिए निर्यातक द्वारा किसी वैध औचित्य अथवा साक्ष्य के अभाव में प्राधिकारी वैक्यूम फ्लास्क बॉडी की तुलनीयता के संबंध में निर्णय लेने में असमर्थ थे। यह नोट किया जाता है कि निर्यातक द्वारा निर्यातित उत्पादों का कुल निर्यात मूल्य *** अम.डा. था जबकि टोपी/तल/ढक्कन के आधार पर निर्यातक द्वारा प्रस्तावित अभिवृद्धि का मूल्य *** अम.डा. था इस प्रकार, निर्यात मूल्य का लगभग ***% दर्शा रहा था। यह मूल्य पर्याप्त तद्नुरूपी साक्ष्य के बिना स्वीकार किए जाने के लिए और दिनांक 10 मई, 2024 के अपने पत्र में प्राधिकारी द्वारा दिए गए विशेष निर्देश के बावजूद अत्यधिक महत्वपूर्ण था।

81. निर्यातक द्वारा निर्यात एफओबी आधार पर किए गए हैं। यह देखा गया है कि निर्यातक ने हैमिल्टन अर्थात वह आयातक जिसको निर्यातक द्वारा अधिकतर निर्यात किए गए हैं, के प्रविष्ट बिलों के आधार पर जारी, पर विचार करते हुए सीआईएफ कीमत सूचित की। निर्यातक द्वारा दी गई सूचना के सत्यापन के दौरान प्राधिकारी ने निर्यातक द्वारा सूचित समुद्री भाड़े और हैमिल्टन के प्रविष्टि बिलों में दर्शाए गए समुद्री भाड़े के बीच विसंगतियां नोट की। उदाहरण के लिए बीई नं. *** में दर्शाया गया भाड़ा *** अम.डा. था परंतु निर्यातक ने उसी प्रविष्टि बिल के लिए *** अम.डा. समुद्री भाड़ा सूचित किया है जो *** अम.डा. था, काफी अंतर दर्शाता है।

82. 4 अक्तूबर, 2024 को प्राधिकारी ने निर्यातक को सूचित किया कि दर्शाया गया समुद्री भाड़ा दिए गए समर्थक दस्तावेज के अनुरूप नहीं है और इसीलिए स्पष्टीकरण मांगा। 8 अक्तूबर, 2024 को निर्यातक ने उत्तर दिया कि समुद्री भाड़ा और बीमा उसे जारी किए जाने में छोटी त्रुटियां हुई थी तथा उन त्रुटियों के लिए कोई स्पष्टीकरण दिए बिना हैमिल्टन के प्रश्नावली के उत्तर के परिशिष्ट 1 को संशोधित किया। 9 अक्तूबर, 2024 को प्राधिकारी ने निर्यातक को त्रुटियों की सूची और उसके लिए औचित्य के साथ किए गए संशोधनों की सूची देने के लिए देने के लिए कहा। तथापि, त्रुटियों की कोई सूची, उन त्रुटियों के कारण और औचित्य नहीं दिया गया था। उत्तर में निर्यातक ने 10 अक्तूबर, 2024 को स्पष्ट किया कि अद्यतन परिशिष्ट में समुद्री भाड़ा *** अम.डा. तक बढ़ गया।

83. यह नोट किया जाता है कि निर्यातक ने आरंभ में *** अम.डा./मी.ट. औसत समुद्री भाड़ा के रूप में और *** अम.डा./मी.ट. बीमा के रूप में सूचित किया। दिनांक 7 अक्तूबर, 2024 के ईमेल द्वारा किए गए संशोधनों के माध्यम से निर्यातक ने औसत समुद्री भाड़ा *** अम.डा./मी.ट. और बीमा को *** अम.डा./मी.ट. में संशोधित किया। यह विरोधाभासी पाया जाता है कि कुल समुद्री भाड़ा में *** अम.डा. तक वृद्धि के बावजूद औसत भाड़ा *** अम.डा./मी.ट. से उत्तरदाता निर्यातक के लिए *** अम.डा./मी.ट. तक कम हुआ। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी द्वारा की गई मांग के अनुसार उसके लिए त्रुटियों की सूची और औचित्य निर्यातक द्वारा नहीं दिया गया है।

84. 22 जून, 2024 को प्राधिकारी ने 29 जून, 2024 तक निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर के परिशिष्ट 1, 3क/3ख तथा 4क/4ख से संबंधित सूचना/स्पष्टीकरण/समर्थक दस्तावेज मांगे। निर्यातक ने निर्धारित समय सीमा के भीतर ऊपर मांगी गई सूचना/दस्तावेज का पूर्ण उत्तर नहीं दिया। निर्यातक का उत्तर नीचे दिया गया है।

***

85. यह नोट किया जाए कि यद्यपि प्राधिकारी निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर के संबंध में सत्यापन दस्तावेज़ों की मांग की थी तथापि निर्यातक ने आयातक प्रश्नावली के उत्तर के संबंध में बात की। निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर के सत्यापन दस्तावेजों के संबंध में निर्यातक ने केवल परिशिष्ट 3क के संबंध में नमूना सत्यापन दस्तावेज दिए।

86. बाद में, 11 जुलाई, 2024 को प्राधिकारी ने निर्यातक से सत्यापन दस्तावेजों की पुन: मांग की। यद्यपि परिशिष्ट 1 से संबंधित रिकॉर्ड दिए गए थे तथापि वे सभी रिकॉर्ड ऐक्सल फाइल के रूप में थे। इन रिकॉर्डों का प्राधिकार सत्यापित नहीं किया जा सका क्योंकि उनमें से कोई भी किसी प्राधिकृत व्यक्ति अथवा कंपनी के हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रमाणित नहीं था। इसके अतिरिक्त, दिए गए अधिकतर सत्यापन दस्तावेज/रिकॉर्ड चीनी भाषा में दिए गए थे जो अंग्रेजी में प्रति के बिना थे जिससे प्राधिकारी उन दस्तावेज़ों को समझने की स्थिति में नहीं थे। इसके अतिरिक्त, निर्यातक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच के दौरान यह देखा गया है कि दस्तावेज प्राधिकृत नहीं थे। इसके अतिरिक्त, निर्यातक निर्धारित समय सीमा के भीतर सीमाशुल्क घोषणा प्रपत्र/लदान बिल देने में विफल रहे।

87. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी यह मानते हैं कि निर्यातक ने महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए हैं और प्राधिकारी को समय से उन सभी उत्पाद मानदंडों के बारे में नहीं बताया जो उचित तुलना करने के लिए संगत थे, पीसीएन पद्धति का उचित निर्धारण रोका और उसके द्वारा निर्यातित उत्पादों के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना छिपाई। प्राधिकारी द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण/औचित्य/सूचना निर्यातक द्वारा उपयुक्त रूप से नहीं दी गई थी। निर्यातक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्राधिकृत नहीं किए गए थे। अत: प्राधिकारी के लिए यह संभव नहीं है कि वे उत्तरदाता निर्यातक के लिए अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करें और वे उपलब्ध तथ्यों पर विश्वास करने के लिए विवश हैं।

घ) झेजियांग जियोंगतई हाउसवेयर कोर्प लि.

88. झेजियांग जियोंगतई हाउसवेयर कोर्प लि. (जिसे "जियोंगतई" भी कहा गया है) चीन जन.गण. से संबद्ध सामानों का उत्पादक और निर्यातक है जिसने भारत को संबद्ध सामानों का सीधा निर्यात सूचित किया है। जिंगोंतई ने ***मी.ट. संबद्ध सामान जांच की अवधि के दौरान भारत में अपने असंबद्ध ग्राहक अर्थात हैमिल्टन को निर्यात किए हैं। यह देखा जाता है कि पूरे निर्यात केवल एक भारतीय कंपनी अर्थात हैमिल्टन को किए गए थे।

89. निर्यातक प्रश्नावली के माध्यम से निर्यातकों को भारत को निर्यातित और घरेलू तौर पर बेचे गए विचाराधीन उत्पाद की विशिष्टियों सहित पूर्ण विवरण देने का निर्देश दिया गया था। निर्यातकों को यह भी निर्देश दिया गया था कि वे यह उल्लेख करें कि क्या उनके द्वारा निर्यातित उत्पाद, यद्यपि प्राधिकारी द्वारा परिभाषित किए गए अनुसार उत्पाद विवरण के भीतर आते हैं, किसी तरह से विचाराधीन उत्पाद से भिन्न हैं अथवा उनकी विशिष्ट विशेषताएं अथवा प्रयोग हैं जो उसे विचाराधीन उत्पाद के भीतर आने वाले अन्य उत्पादों से अलग करते हैं। निर्यातकों से उनकी स्थिति का औचित्य बनाने वाली विस्तृत सूचना देने की उम्मीद की गई थी। इसके अतिरिक्त, निर्यातकों से यह उम्मीद की गई थी कि वे यह उल्लेख करें कि क्या सामान्य और निर्यात कीमत तुलनीय आधार पर नहीं हैं और यदि हैं तो उचित समायोजन बताएं जिनसे उचित तुलना सुनिश्चित की जा सके। प्राधिकारी इस संबंध में नोट करते हैं कि यह उम्मीद की जाती है कि जांचों में पक्षकारों द्वारा प्राधिकारी को उत्तर देते समय कोई महत्वपूर्ण और संगत तथ्य छिपाए बिना, सत्य

और पूर्ण प्रकटन किए जाते हैं। यह घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए तर्कों और दावों पर ध्यान न देते हुए है।

90. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति के संबंध में अपनी टिप्पणियों में यह अनुरोध किया कि "*उत्पादन लागत प्रयुक्त संगठकों और हिस्से पुर्जों, आकार,* ***कोटिंग*** *सामग्री, डिजाइन, विशेष अभिलक्षण आदि जो विभिन्न प्रकार के वैक्यूम इन्सुलेटेड वैसल्स में लागू हैं, में अंतर के कारण अलग अलग हैं* "। तथापि, पूरी जांच में निर्यातक कभी भी प्राधिकारी के ध्यान में नहीं लाया कि उन्होंने तांबा कोटिंग के साथ निर्यात किया।

91. निर्यातक ने यह उल्लेख नहीं किया कि प्राधिकारी द्वारा परिभाषित किए गए अनुसार उत्पाद विवरण के अन्तर्गत आने वाला निर्यातित उत्पाद विचाराधीन उत्पाद से भिन्न है अथवा उसकी विशिष्ट विशेषताएं अथवा प्रयोग हैं जो उसे विचाराधीन उत्पादसे अलग करते हैं।

92. निर्यातक द्वारा प्रस्तुत उत्पादन प्रकिया फ्लोचार्ट (उसी निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर के प्रदर्श छ-3 के अनुसार) में ये बात सामने आती है कि तांबा कोटिंग निर्यातक की उत्पादन प्रक्रिया का एक चरण है। डीजी सिस्टम के आंकड़ों से संबद्ध सामानों के विवरण से यह देखा गया है कि निर्यातक ने जांच की अवधि के दौरान भारत को कुछ तांबा कोटेड उत्पादों का निर्यात किया है उदाहरण के लिए डीजी सिस्टम के आंकड़ों में दर्शाए गए अनुसार निर्यातक द्वारा निर्यातित उत्पाद का विवरण "वैक्यूम फ्लास्क: चार्मी 350 (छोटा भीम) वास्तविक क्षमता: 330एमएल डबल वाल एसएस 304 भीतरी और बाहरी, कलर वैक्यूम फ्लास्कों में तांबा कोटिंग: चार्मी 350 (छोटा भीम) वास्तविक क्षमता 330 एम" हैं। तथापि निर्यातक द्वारा अपने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर परिशिष्ट 3क में उसे सूचित नहीं किया गया है।

93. प्राधिकारी आयातक सेलो के अनुरोध को नोट करते हैं जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि चीन जन.गण. से आयातित उत्पाद और भारत में बेचे गए उत्पाद भिन्न हैं क्योंकि आयातित उत्पादों में वैक्यूम फ्लास्क की भीतर परत के भीतर तांबा लाइनिंग हैं और उत्पाद की यह श्रेणी घरेलू उद्योग द्वारा मुश्किल से ही विनिर्मित की जाती हैं/बेची जाती हैं।

94. इसके अतिरिक्त्, निर्यातक ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति के संबंध में अपने अनुरोध में "मामले" के आधार पर अलग पीसीएन का प्रस्ताव किया था और यह उल्लेख किया था कि वैक्यूम इन्सुलेटेड वैसल्स की लागत और कीमत इस बात पर निर्भर रहते हुए अलग अलग होगी कि क्या वे किसी खोल में हैं अथवा बिना खोल के हैं। तथापि, घरेलू उद्योग ने अपने दिनांक 6 मार्च, 2024 के पत्र द्वारा यह तर्क दिया कि *"खोल", "स्ट्रैप्स", "हैंडल्स" जो वैक्यूम फ्लास्क के साथ आते हैं, अलग से सूचित किए जा सकते हैं और निर्यात कीमत के लिए समायोजित किए जा सकते हैं"!* प्राधिकारी द्वारा डीजी सिस्टम के आंकड़ों की जांच से यह पाया गया था कि उन्होंने कुछ उत्पाद कलर पाउच, सिल्वर पाउर और प्लास्टिक पाउच के साथ निर्यात किए हैं। तथापि, निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में सहायक हिस्से पुर्जों की कीमत की पहचान और समायोजन नहीं किया। यह उस तथ्य के बावजूद है कि उन्होंने खोल के आधार पर खुद ही पीसीएन का प्रस्ताव किया था। निर्यातक के अनुरोधों से यह सिद्ध है कि इस तथ्य का संज्ञान होने के बावजूद कि निर्यातक द्वारा की जाने वाली अतिरिक्त लागत मद के होते हुए सहायक हिस्से पुर्जों की कीमतें समायोजित की जानी थी, यहां तक कि यद्यपि वे प्राधिकारी द्वारा पीसीएन के रूप में निर्धारित नहीं थीं, निर्यातक ने इस प्रकार उचित तुलना रोक कर ऐसा नहीं किया।

95. यह देखा जाता है कि निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर के परिशिष्ट 3क और परिशिष्ट 4क में उसके द्वारा निर्यातित उत्पादों का अपूर्ण विवरण दिया है। उदाहरण के लिए परिशिष्ट 3क में निर्यातक ने उसके द्वारा निर्यातित उत्पाद का विवरण "एक्सटीजेड 20-50 सिलेंडर 500" के रूप में वर्णित किया जबकि उसे उसके वाणिज्यिक बीज और पैकिंग सूची में "सिलेंडर 500 वास्तविक क्षमता: 500एमएल डबल वाल एसएस 304 स्टेनलेस स्टील कलर (टीएस 221) (एक्सटीजेड 20-50) वैक्यूम फ्लास्क" के रूप में वर्णित किया गया है। यह देखा जाता है कि यद्यपि निर्यातक के वाणिज्यिक बीजक में यह उल्लेख है कि यह उत्पाद 500 एमएल की क्षमता वाले 304 ग्रेड स्टेनलेस स्टील का वैक्यूम फ्लास्क है, निर्धारित प्रपत्र में निर्यातक द्वारा दिए गए विवरण में कहीं भी उत्पाद की किस्म अथवा उत्पाद का क्षमता का उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार, उत्पादों का अपूर्ण विवरण परिशिष्ट 4क में दिया गया है, निर्यातक ने उत्पाद को "एक्सटीएच-100", "एक्सटीएक्स-75", "एक्सटीबी-50" आदि के रूप में वर्णित किया। निर्यातक ने उपर्युक्त

परिशिष्टों में अस्पष्ट विवरण सूचित किए हैं कि उत्पाद किस्म भी परिशिष्टों के विश्लेषण से नहीं बनाए जा सकते।

96. निर्यातक द्वारा निर्यात एफओबी आधार पर किए गए हैं। यह देखा गया है कि निर्यातक ने हैमिल्टन अर्थात वह आयातक जिसको निर्यातक द्वारा अधिकतर निर्यात किए गए हैं, के प्रविष्ट बिलों के आधार पर जारी पर विचार करते हुए सीआईएफ कीमत सूचित की। निर्यातक द्वारा दी गई सूचना के सत्यापन के दौरान प्राधिकारी ने निर्यातक द्वारा सूचित समुद्री भाड़े और हैमिल्टन के प्रविष्टि बिलों में दर्शाए गए समुद्री भाड़े के बीच विसंगतियां नोट की। उदाहरण के लिए बीई नं. *** में दर्शाया गया भाड़ा *** अम.डा. था परंतु निर्यातक ने उसी प्रविष्टि बिल के लिए *** अम.डा. समुद्री भाड़ा सूचित किया है जो *** अम.डा. था, काफी अंतर दर्शाता है।

97. 4 अक्तूबर, 2024 को प्राधिकारी ने निर्यातक को सूचित किया कि दर्शाया गया समुद्री भाड़ा दिए गए समर्थक दस्तावेज के अनुरूप नहीं है और इसीलिए स्पष्टीकरण मांगा। 8 अक्तूबर, 2024 को निर्यातक ने उत्तर दिया कि समुद्री भाड़ा और बीमा उसे जारी किए जाने में छोटी त्रुटियां हुई थी तथा उन त्रुटियों के लिए कोई स्पष्टीकरण दिए बिना हैमिल्टन के प्रश्नावली के उत्तर के परिशिष्ट 1 को संशोधित किया। 9 अक्तूबर, 2024 को प्राधिकारी ने निर्यातक को त्रुटियों की सूची और उसके लिए औचित्य के साथ किए गए संशोधनों की सूची देने के लिए देने के लिए कहा। तथापि, त्रुटियों की कोई सूची, उन त्रुटियों के कारण और औचित्य नहीं दिया गया था। उत्तर में निर्यातक ने 10 अक्तूबर, 2024 को स्पष्ट किया कि अद्यतन परिशिष्ट 1 में समुद्री भाड़ा *** अम.डा. तक बढ़ गया।

98. यह नोट किया जाता है कि निर्यातक ने आरंभ में *** अम.डा./मी.ट. औसत समुद्री भाड़ा के रूप में और *** अम.डा./मी.ट. बीमा के रूप में सूचित किया। दिनांक 7 अक्तूबर, 2024 के ईमेल द्वारा किए गए संशोधनों के माध्यम से निर्यातक ने औसत समुद्री भाड़ा *** अम.डा./मी.ट. और बीमा को *** अम.डा./मी.ट. में संशोधित किया। यह विरोधाभासी पाया जाता है कि कुल समुद्री भाड़ा में *** अम.डा. तक वृद्धि के बावजूद औसत भाड़ा *** अम.डा./मी.ट. से उत्तरदाता निर्यातक के लिए *** अम.डा./मी.ट. तक कम हुआ। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी द्वारा की गई मांग के अनुसार उसके लिए त्रुटियों की सूची और औचित्य निर्यातक द्वारा नहीं दिया गया है।

99. 22 जून, 2024 को प्राधिकारी ने 29 जून, 2024 तक निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर के परिशिष्ट 1, 3क/3ख तथा 4क/4ख से संबंधित सूचना/स्पष्टीकरण/समर्थक दस्तावेज मांगे। निर्यातक ने ऊपर मांगी गई सूचना/दस्तावेज का पूर्ण उत्तर नहीं दिया। निर्यातक का उत्तर नीचे दिया गया है।

***

100. यह नोट किया जाए कि यद्यपि प्राधिकारी ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर के संबंध में सत्यापन दस्तावेज़ों की मांग की थी तथापि निर्यातक ने आयातक प्रश्नावली के संदर्भ में उत्तर दिया है निर्यातक ने केवल परिशिष्ट 3क के संबंध में नमूना सत्यापन दस्तावेज दिए।

101. बाद में, 11 जुलाई, 2024 को प्राधिकारी ने निर्यातक से सत्यापन दस्तावेजों की पुन: मांग की। यद्यपि परिशिष्ट 1 से संबंधित रिकॉर्ड दिए गए थे तथापि वे सभी रिकॉर्ड ऐक्सल फाइल के रूप में थे। इन रिकॉर्डों का प्राधिकार सत्यापित नहीं किया जा सका क्योंकि उनमें से कोई भी किसी प्राधिकृत व्यक्ति अथवा कंपनी के हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रमाणित नहीं था। दिए गए अधिकतर रिकॉर्ड चीनी भाषा में दिए गए थे जो अंग्रेजी में प्रति के बिना थे जिससे प्राधिकारी उन दस्तावेज़ों को समझने की स्थिति में नहीं थे। इसके अतिरिक्त, निर्यातक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच के दौरान यह देखा गया है कि दस्तावेज प्राधिकृत नहीं थे। इसके अतिरिक्त, निर्यातक निर्धारित समय सीमा के भीतर सीमाशुल्क घोषणा प्रपत्र/लदान बिल देने में विफल रहे।

102. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी यह मानते हैं कि निर्यातक ने महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए हैं और प्राधिकारी को समय से उन सभी उत्पाद मानदंडों के बारे में नहीं बताया जो उचित तुलना करने के लिए संगत थे, पीसीएन पद्धति का उचित निर्धारण रोका और उसके द्वारा निर्यातित उत्पादों के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना छिपाई। प्राधिकारी द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण/औचित्य/सूचना निर्यातक द्वारा उपयुक्त रूप से नहीं दी गई थी। निर्यातक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्राधिकृत नहीं किए गए थे। अत: प्राधिकारी के लिए यह संभव नहीं है कि वे उत्तरदाता निर्यातक के लिए अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करें और वे उपलब्ध तथ्यों पर विश्वास करने के लिए विवश हैं।

ड. असहयोगी उत्पादक/निर्यातक

103. प्राधिकारी ने उन उत्पादकों/निर्यातकों सहित चीन जन.गण. के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत निर्धारित की है जिनकी निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर चीन जन.गण. से आयातों की मात्रा और मूल्य पर विचार करने के बाद, उपर्युक्त कारणों से प्राधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं की गई है। समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय भाड़ा, बीमा, सार-संभाल प्रभार, कमीशन और बैंक प्रभारों के लिए समायोजन किए गए हैं। इस प्रकार निर्धारित निर्यात कीमत निम्नलखित पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

पाटन मार्जिन

104. प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निर्धारित की है। संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

पाटन मार्जिन तालिका

विवरण	**इकाई**	**राशि**
निर्मित सामान्य मूल्य	अ.डा./मी.टन	***
निवल निर्यात कीमत	अ.डा./मी.टन	***
पाटन मार्जिन	अ.डा./मी.टन	***
पाटन मार्जिन	%	***
रेंज	%	65-75

छ. क्षति निर्धारण और क्षति के मूल्यांकन की पद्धति

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

105. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. चीन जन.गण. से आयात 2029-20 और 2021-22 के बीच काफी नहीं बढ़े हैं, वस्तुत: जांच की अवधि में घरेलू मांग में वृद्धि चीन जन.गण. से आयातों में वृद्धि से अधिक रही है।

ii. आयात सापेक्ष दृष्टि से कम हुए जो उत्पादन और बाजार हिस्सा बढ़ने की संभावना दर्शाते हैं।

iii. याचिका में आवेदक द्वारा दी गई औसत पहुंच कीमत न्यूनीकरण अथवा ह्रासमान प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए अविश्वसनीय है।

iv. आवेदक के सभी मात्रात्मक मापदंड एक सुदृढ वृद्धि दर्शाते हैं। इस सकारात्मक संचालन की अनदेखी नहीं की जा सकती। सेस्टेट ने घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति पर विचार किए बिना कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री पर चुनिंदा विश्वास के आधार पर क्षति की मौजूदगी के संबंध में ब्रिज स्टोन टायर मैन्युफैक्चरिंग (थाइलैंड) बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के निष्कर्ष को अलग किया है।

v. आवेदक ने मांग में क्षमताएं बढ़ाई और बाजार हिस्से में काफी वृद्धि कर पाया। बाजार में आवेदक के हिस्से ने काफी लाभ दर्ज किया और आयातों को अलग फेंक दिया।

vi लागत कीमत और पहुंच कीमत आधार वर्ष से जांच की अवधि तक बढ़ी।

vii. कीमत कटौती जांच की अवधि तथा पूर्व वर्ष अर्थात 2021-22, दोनों में सकारात्मक थी परंतु आवेदक ने 2021-22 में लाभ कमाए। इसके अतिरिक्त, उसे 20-21 में उस समय हानियां हुई जब कीमत कटौती नकारात्मक थी।

viii. लाभ में गिरावट उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण हुई है। कीमत प्रभाव को पहुंच कीमत से नहीं जोड़ा जा सकता।

ix. जब उत्पाद बाजार में बेचा जाता है तो आयातों से कोई कीमत कटौती नहीं है।

x. आवेदक की उसकी ब्याज लागत में काफी वृद्धि हुई। यह अतिरिक्त कारक लाभप्रदता में उनकी गिरावट में योगदान करने वाला हो सकता है।

xi. बिक्री के दिनों की संख्या के रूप में औसत मालसूची में गिरावट आई जो यह दर्शाती है कि आवेदक अधिक बिक्री कर पाया और सामानों को उत्पादन के बाद कम समय के लिए मालसूची में रखना पड़ा था।

xii. आवेदक का रोजगार स्तर बढ़ा जो क्षति की स्थिति में संभव नहीं हो सकता था।

xiii. प्रति कर्मचारी उत्पादकता कम हुई जो आयातों के कारण नहीं हो सकती।

xiv. प्रति कर्मचारी उत्पादकता में गिरावट के कारण क्षति आयातों के कारण नहीं हो सकती।

xv. आवेदक ने अपनी याचिका में स्टील ग्रेड के आधार पर लागत और कीमत में अंतर स्वीकार किया परंतु स्टील ग्रेडों के आधार पर कीमत कटौती, आईएम और डीएम के संबंध में अलग सूचना नहीं दी। यहां तक कि यदि आयातों को श्रेणीकृत नहीं किया जा सकता तो घरेलू उद्योग सामान्य मूल्य और एनआईपी के संबंध में कम से कम पृथक सूचना दे सकता था। घरेलू उद्योग ने पीसीएन को अंतिम रूप दिए जाने पर एनवी, एनआईपी, पीयू, आईएम और डीएम के दावों को भी संशोधित नहीं किया।

xvi. घरेलू उद्योग का आईएम दावा अत्यधिक बढ़ाया गया है। एनआईपी अविश्वसनीय है। ऐसा प्रतीत होता है कि घरेलू उद्योग ने तब एनआईपी निर्धारित करने के लिए जांच की अवधि में लागत पर विश्वास किया जब लागत क्षमता में वृद्धि आरएम और यूटिलिटियों के उपयोग तथा अधिक उपयोग में गिरावट के साथ निर्धारित लागत में वृद्धि के कारण लागत वृद्धि हुई। एनआईपी का परिकलन नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए।

xvii. आवेदक द्वारा वास्तविक क्षति और वास्तविक क्षति के खतरे, दोनों का दावा नहीं किया जा सकता। किसी भी दशा में उसे क्षति नहीं हो रही है।

xviii. आवेदक ने भार के संदर्भ में उत्पादकों की चीन जन.गण. की क्षमता का गलत आकलन दिया है। आवेदक द्वारा विश्वास की गई वेबसाइट संबंधी सूचना टुकड़ों में है। यह स्पष्ट नहीं है कि आवेदक ने क्षमता का परिकलन कैसे किया है। प्राधिकारी निर्यातक प्रश्नावली के उत्तरों से वास्तविक सूचना का प्रयोग कर सकते हैं।

xix. क्यूसीओ के बाद बीआईएस के बिना आयात संभव नहीं होंगे। किसी भी विदेशी उत्पादक ने बीआईएस लाइसेंस नहीं लिया है। अत:, खतरा नहीं हो सकता। घरेलू उद्योग का यह तर्क कि घरेलू उत्पादन समाप्त हो जाएगा, गलत है।

xx. आवेदक के पास पहले ही बीसीडी और अनिवार्य बीआईएस अपेक्षाओं के अनुसार आयातों के विरुद्ध संरक्षण है जिससे अज्ञात समय से आयात बंद हुए हैं।

छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

106. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग क्षति की अवधि में बढ़ी है। जांच की अवधि में वृद्धि काफी रही है। बढ़ती हुई मांग से आवेदक ने अपनी क्षमता बढ़ाई परंतु पर्याप्त मांग होने के बावजूद आवेदक की क्षमता का कम उपयोग हुआ है।

ii. आयात पूरी क्षति अवधि में अधिक रहे हैं। इसके अतिरिक्त, संबद्ध देश से संबद्ध आयातों की मात्रा क्षति की अवधि में, विशेष रूप से जांच की अवधि में बढ़ी। भारत को लगभग पूरे आयात चीन जन.गण. से हैं। आयातों में वृद्धि की दर यह दर्शाती है कि पाटित आयातों की वर्तमान मात्रा और बढ़ने की संभावना है।

iii. बाजार आसूचना यह बताती है कि आयात कम बताए गए हैं और आयातों की वास्तविक मात्रा अधिक है।

iv. भारतीय उत्पादन और खपत के संबंध में आयात काफी हैं। आयातों में वृद्धि की मात्रा आवश्यक नहीं थी क्योंकि घरेलू उत्पादकों के पास विद्यमान क्षमता का कम उपयोग हुआ है।

v. यद्यपि सूचीबद्ध आंकड़े सापेक्ष दृष्टि से आयातों में गिरावट दर्शाते हैं तथापि आयात भारतीय खपत के 86% और भारतीय उत्पादन के 874% है।

vi कीमत कटौती 2019-20 और 2021-22 में नकारात्मक थी परंतु 2021-22 से आगे संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से भी कम कीमतों पर बाजार में आने शुरु हुए। जांच की अवधि में कीमत कटौती और गहन हो गई।

vii. खुदरा स्तर पर कीमत कटौती का आरोप नहीं लगाया जा रहा है।

viii. संबद्ध आयात केवल घरेलू उद्योग की कीमत की ही कटौती नहीं कर रहे थे बल्कि 2021-22 और जांच की अवधि में उसकी लागतों की भी कटौती कर रहे थे।

ix. कीमत न्यूनीकरण अथवा ह्रास एक आयामीय संकल्पना नहीं है। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में वृद्धि का अकेले अर्थ यह नहीं है कि उसके निष्पादन में सुधार हुआ है। यद्यपि आवेदक की बिक्री लागत और बिक्री कीमत क्षति की अवधि में बढ़ी, तथापि बिक्री कीमत में वृद्धि लागत में वृद्धि से कम थी। संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण कर रहे थे जिससे काफी वित्तीय हानियां हुई।

x. उस कच्ची सामग्री की कीमतों में वृद्धि के कारण लागत में वृद्धि हुई थी जो लागत का महत्वपूर्ण भाग है। कोविड के बाद निकल की कीमतों में वृद्धि के कारण स्टेनलेस स्टील की कीमतों में भी काफी वृद्धि हुई। कीमतों में यह वृद्धि केवल घरेलू नहीं थी बल्कि विश्वव्यापी थी। यद्यपि लागतें पूर्व वर्ष से जांच की अवधि तक ***% तक बढ़ी, तथापि आयातों की पहुंच कीमत केवल ***% तक बढ़ी।

xi. आयातों की मात्रा और मूल्य का विश्लेषण करने के लिए आवेदन पत्र में डीजीसीआईएंडएस द्वारा प्रकाशित आंकड़ों पर विश्वास किया गया है। प्राधिकारी आयातों की वास्तविक पहुंच कीमत का मूल्यांकन करने और कीमत न्यूनीकरण अथवा ह्रास निर्धारित करने के लिए डीजीसीआईएंडएस के लेनदेन वार आंकड़ों अथवा डीजी सिस्टम के आंकड़ों पर विश्वास करेंगे।

xii. उपभोक्ता कीमत संवेदी होते हैं और कम कीमत के आयातों में वृद्धि यह बताती है कि इन कम कीमत के आयातों के लिए बाजार बढ़ने की संभावना है।

xiii. बाजार सूचना यह बताती है कि भारतीय उद्योग के पास देश की मांग के ***% पूर्ति करने की क्षमता है। आवेदक के पास जांच की अवधि में *** मी.ट. की मांग के विरुद्ध ***मी.ट. की क्षमता है। तथापि, क्षमता उपयोग फिर भी कम है।

xiv. मांग में वृद्धि से आवेदक के मात्रात्मक मापदंडों ने वृद्धि दर्शाई है, परंतु इन मापदंडों में निष्पादन ईष्टतम से कम है। पाटित आयातों से कीमत मापदंडों के संबंध में नकारात्मक वृद्धि हुई है और यह वृद्धि घरेलू उद्योग के मात्रात्मक मापदंडों के संबंध में प्रतिकूल रही है।

xv. आवेदक के उत्पादन और बिक्री मात्राओं में भी मांग में वृद्धि दर्शाई गई है।

xvi. घरेलू उद्योग अपनी बिक्री में सुधार लाने के लिए लागत से कम कीमत पर बिक्री करने के लिए मजबूर हुआ है। उसके लाभों पर आघात हुआ है और जांच की अवधि में उसे हानियां हुई हैं।

xvii. आवेदक द्वारा निर्मित मांग और क्षमता की तुलना में उनकी बिक्री काफी नहीं है।

xviii. आवेदक ने जांच की अवधि में ***मी.ट. तक अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाई परंतु उस बढ़ी हुई क्षमता का केवल ***% का ही उपयोग कर पाया।

xix. आवेदक तुलनात्मक रूप से एक नया उत्पादक है और क्षमताओं और उत्पादन में वृद्धि से कुछ बाजार ले पाया है। घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा 100 से 600 सूचकांक तक बढ़ा। तथापि, भारत में मांग आपूर्ति अंतराल होने के बावजूद आवेदक बाजार हिस्से का ***% का छोटा सा हिस्सा लेने में सक्षम रहा है। पाटित आयातों ने घेरलू उद्योग के वैध हिस्से को ले लिया है और ***% से अधिक के हिस्से से भारतीय बाजार पर वस्तुत: नियंत्रण रखता है।

xx. आवेदक 20-21 में क्षति का दावा नहीं कर रहा है। उसका निष्पादन कोविड-19 महामारी के कारण और किसानों के आंदोलन के कारण कम हुई दक्षता के कारण इस अवधि में प्रभावित हुआ था। आवेदक के निष्पादन में स्थिति सामान्य होने पर 21-22 में सुधार हुआ। सकारात्मक कीमत कटौती के कारण आवेदक इस अवधि में केवल लागत से अधिक पर बिक्री करने के लिए मजबूर था चूंकि जांच की अवधि में पाटन गहन हुए थे, अत: आवेदक के लाभ, पीबीटी, पीबीआईटी, नकद लाभ और आरओआई में भारी गिरावट दर्ज की।

xxi. यद्यपि जांच की अवधि में ब्याज लागत नहीं बढ़ी, तथापि पीबीआईटी में गिरावट यह दर्शाती है कि हुई हानियां उच्च ब्याज लागत के कारण नहीं हैं।

xxii. मांग पर विचार करते हुए, घरेलू उद्योग को बेहतर कीमतें और लाभ वसूल करने में समर्थ होना चाहिए था।

xxiii. यदि आयात इन पाटित कीमतों पर देश में आने जारी रहते हैं तो आवेदक को या तो अपनी कीमत और कम करनी होगी और परिणामस्वरूप अधिक हानियां उठानी होंगी अथवा जो बाजार हिस्सा उसके पास है उस थोड़े से को खोना होगा।

xxiv. मांग में वृद्धि से आवेदक को उत्पादित मात्रा में बिक्री करने और अपनी माल सूची कम करने में समर्थ होना चाहिए था। तथापि, आयातों में वृद्धि से मालसूची इकट्ठी हो गई, विशेष रूप से 2021-22 में और फिर जांच की अवधि में इकट्ठी हुई। यहां तक कि बिक्री और उत्पादन के दिनों की संख्या के रूप में औसत मालसूची स्तर क्षति की अवधि में काफी बढ़ा है।

xxv. मांग और क्षमता में वृद्धि के बावजूद सृजित रोजगार भी बढ़ा। इस वृद्धि के बावजूद प्रति कर्मचारी और प्रति दिन उत्पादकता ने क्षति की अवधि में गिरावट दर्शाई। पाटित आयातों के कारण क्षमता के कम उपयोग से कम हुई प्रति कर्मचारी उत्पादकता में योगदान हुआ है।

xxvi. पाटन मार्जिन न्यूनतम से कम ही नहीं है बल्कि काफी हैं।

xxvii. आवेदक को पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हो रही है, वास्तविक क्षति का खतरा आगे और अधिक बढ़ रहा है।

xxviii. आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और लागत से काफी कम होने के कारण उसने घरेलू उद्योग को लागत के स्तर से भी उसकी कीमतें बढ़ाने से रोका है। पहले ही ऐसी स्थिति में घरेलू उद्योग को या तो अपनी कीमतें कम करनी होंगी अथवा उसे बिक्री की वह छोटी सी मात्रा भी खोनी होगी, जो उसके पास है।

xxix. चीन जन.गण. संबद्ध सामानों का सबसे बड़ा उत्पादकों और निर्यातकों में से एक है। आवेदक की मानक परिवर्तन दर के आधार पर मी.ट. में परिवर्तित संबद्ध सामानों के चीनी उत्पादकों की वेबसाइट पर उपलब्ध क्षमता संबंधी सूचना (टुकड़ों में) यह दर्शाती है कि निर्यातकों के पास भारी क्षमताएं उपलब्ध हैं। यह भारतीय बाजार में बढ़े हुए पाटन की संभावना दर्शाता है।

xxx. इसके अतिरिक्त, चीन जन.गण. से संबद्ध सामान 2013 से अर्जेन्टीना में पहले ही पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन है। शुल्क अंत में 2019 में बढ़ाया गया था। यह विभिन्न बाजारों में सामानों का पाटन करने के चीनी उत्पादकों के व्यवहार को दर्शाता है। भारतीय बाजार में उम्मीद की गई वृद्धि से केवल यह संभावना है कि चीन जन.गण. से आयात उपाय न लगाए जाने की स्थिति में गहन होंगे।

xxxi. संबद्ध सामानों के आयातों के 99.5% से अधिक चीन जन.गण. से देश में आ रहे हैं। तीसरे देशों से आयात काफी कम मात्राओं में है।

xxxii. घरेलू उद्योग को मांग में संभावित संकुचन के कारण जांच की अवधि में क्षति नहीं हुई है। वस्तुत: मांग पूरी क्षति अवधि में बढ़ी है।

xxxiii. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

xxxiv. आवेदक को प्रतिस्थापनों की उपलब्धता के कारण क्षति नहीं हो रही है।

xxxv. पूरी क्षति अवधि में घेरलू उद्योग द्वारा कोई निर्यात नहीं किए गए हैं, अत: घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं है।

xxxvi. घरेलू उद्योग के पास इस उत्पाद के उत्पादन के लिए हाल की प्रौद्योगिकी है। प्रौद्योगिकी में संभावित विकास घरेलू उद्योग को क्षति के कारण नहीं हो सकते।

xxxvii. ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटी नहीं है जो घरेलू उद्योग को क्षति में योगदान कर सके।

xxxviii. क्यूसीओ आयात प्रतिबंधित नहीं करता। यह एक गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र है। यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि चीन से आयात भविष्य में बंद हो जाएंगे। यदि शुल्क नहीं लगाए जाते हैं और उत्तरदाताओं को बाद में बीआईएस लाइसेंस दिए जाते हैं तो पाटन और क्षति बनी रहेगी। आवेदक को पुन: फिर जांच प्रक्रिया करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए जब पाटन बढ़ रहे हों। किसी बात के होते हुए यदि क्यूसीओ का प्रभाव आयातों को रोकना है तो उत्तरदाताओं को शुल्क लगाए जाने के संबंध में शिकायत नहीं होनी चाहिए क्योंकि आयात इस बात को ध्यान में रखते हुए होंगे कि शुल्क लगाए जाते हैं।

xxxix. जहां तक संरक्षण देने वाले और कीमतें बढ़ाने वाले बीसीडी का संबंध है आयातों की पहुंच कीमत का बीसीडी में ध्यान रखा जाता है। पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की लागतों और कीमत की कटौती कर रही है और उसे जांच की अवधि में लागत से कम बिक्री कीमत रखने के लिए मजबूर कर रही है जिससे कीमत न्यूनीकरण हो रहा है और परिणामस्वरूप हानियां हो रही हैं। आयात के पहुंच मूल्य और घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत पर विचार करते हुए परिकलित क्षति मार्जिन भी काफी सकारात्मक है। सिद्ध रूप में, सीमा शुल्क पर्याप्त संरक्षण नहीं है और पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

107. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर ध्यान दिया है और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर विधिवत विचार करने के बाद नियमावली के अनुसार विभिन्न मापदंडों की जांच की है। प्राधिकारी द्वारा नीचे किया गया क्षति विश्लेषण यथातथ्यत: हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को हल करता है।

108. अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या इन आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों का काफी मात्रा में ह्रास करना अथवा कीमत में वृद्धि रोकना है जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। भारत में घरेलू उद्योगों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, इन सूचकांकों जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन आदि की मात्रा और मार्जिन पर नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है।

109. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों, जिन्हें प्राधिकारी द्वारा संगत माना गया है, की जांच की गई है और निम्नलिखित रूप में उन्हें हल किया गया है।

छ.3.1 मांग का मूल्यांकन/स्पष्ट खपत

110. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के लिए घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री मात्रा, अन्य घरेलू उत्पादकों की अनुमानित घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयातों के रूप में भारत में संबद्ध सामानों की मांग अथवा स्पष्ट खपत वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए परिभाषित की है। विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग निम्नलिखित है:

विवरण	**इकाई**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**जांच की अवधि**
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	381	578	915
अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	202	448	380
चीन जन.गण. से आयात	मी.ट.	11,241	11,852	11,268	16,302
अन्य देशों से आयात	मी.ट.	14	50	11	9
कुल मांग/,खपत	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	110	110	156

111. यह देखा जाता है कि संबद्ध सामानों की मांग जांच की अवधि में काफी वृद्धि दर्ज करते हुए मांग के साथ पूरी क्षति अवधि में बढ़ी है। आधार वर्ष में मांग *** मी.ट. थी जो जांच की अवधि में 56% तक बढ़ी है।

छ.3.2 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क) पूर्ण एवं सापेक्षण दृष्टि में आयात

112. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वे इस बात पर विचार करें कि क्या भारत में उत्पादन अथवा खपत के संबंध में अथवा पूर्ण दृष्टि से पाटित आयातों में काफी वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी

ने डीजीएस से लिए गए लेनदेन-वार आंकड़ों पर विश्वास किया है। संबद्ध सामानों की आयात मात्रा और क्षति जांच अवधि के दौरान उसका हिस्सा निम्नलिखित है:

विवरण	**इकाई**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**जांच की अवधि**
आयात मात्रा					
चीन जन.गण. से आयात	मी.ट.	11,241	11,852	11,268	16,302
अन्य देशों से आयात	मी.ट.	14	50	11	9
कुल आयात	मी.ट.	11,254	11,902	11,279	16,312
निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध देश के आयात					
कुल आयात	%	99.88	99.58	99.91	99.94
भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	41	21	29
भारतीय मांग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	96	91	93

113. यह देखा जाता है कि:

क) चीन जन.गण. से आयात क्षति की अवधि में काफी रहे हैं और जांच की अवधि में काफी बढ़े हैं।

ख) संबद्ध देशों के आयात भारत में उत्पाद के आयातों के लगभग पूर्णता में हैं।

ग) भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में क्षति की अवधि में आयात काफी रहे। यद्यपि उत्पादन के संबंध में आयातों में प्रवृत्ति आधार वर्ष की तुलना में भारी गिरावट दर्शाती है, तथापि वह इस तथ्य के कारण है कि देश में काफी नई क्षमताएं और निवेश आए।

घ) जबकि उत्पाद के लिए मांग क्षति की अवधि में ***मी.ट. तक बढ़ी, चीनी आयात, जो पहले से ही काफी थे, ***मी.ट. तक बढ़े।

ड.) कई घरेलू उत्पादकों ने उत्पादन क्षमताएं स्थापित की और क्षति की अवधि में उत्पादन आरंभ किया। घरेलू उद्योग ने भी क्षति की अवधि में अपनी क्षमता बढ़ाई। क्षमताओं में इस वृद्धि के बावजूद चीन जन.गण. से आयात, जो पहले से ही काफी थे, और बढ़े।

114. उत्तरदाताओं द्वारा यह तर्क दिया गया है कि जांच की अवधि में घरेलू मांग में वृद्धि चीन जन.गण. से आयातों में वृद्धि से अधिक रही है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति की अवधि में आयात मात्राओं में वृद्धि ***मी.ट. से ***मी.ट. रही है। आयात मात्राओं में यह वृद्धि घरेलू उद्योग में उपयोग में न लागई गई क्षमताओं के बावजूद थी। इसके अतिरिक्त, जबकि मांग ***मी.ट. तक बढ़ी, आयात ***मी.ट. तक बढ़े। इस प्रकार बढ़ी हुई मांग का ***% पाटित आयातों द्वारा लिया गया था।

छ.3.3. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

115. कीमतों पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में यह विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में आरोपित पाटित आयातों से काफी कीमत कटौती हुई है अथवा क्या इन आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों का ह्रास करना है अथवा कीमत वृद्धि रोकना है, जो सामान्य प्रक्रिया में काफी मात्रा तक हुई होती।

116. तद्नुसार, घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच कीमत कटौती और कीमत न्यूनीकरण/ह्रास, यदि कोई है, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के लिए घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और निवल बिक्री वसूली (एनएसआर) की तुलना संबद्ध देश से संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत से की गई है।

क) कीमत कटौती

117. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती कर रहे हैं, कीमत कटौती क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों के साथ संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत की तुलना करके निकाली गई है। कीमत कटौती के लिए विश्लेषण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि

आयात की पहुंच कीमत	रु./मी.ट.	4,80,924	4,92,554	4,83,453	4,58,879
निवल बिक्री वसूली	रु./मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	96	111	125
कीमत कटौती	रु./मी.ट.	***	***	***	***
	%	***	***	***	***
	रेंज	0-10%	0-10%	10-20%	40-50%

118. यह देखा जाता है कि क्षति की अवधि में आयातों की पहुंच कीमत घटी है। वह आधार वर्ष से घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के स्तर से कम रही है, इस प्रकार पूरी क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती हुई है। तथापि, कीमत कटौती 2021-22 में काफी बढ़ी जो फिर से जांच की अवधि में और बढ़ी। आयात जांच की अवधि में ***% तक घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती कर रहे हैं।

119. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग ने 2021-22 में भी उस समय लाभ कमाया जब कीमत कटौती नकारात्मक थी और 2020-21 में उस समय हानियां हुई जब कीमत कटौती सकारात्मक थी। अब यह नोट किया जाता है कि आयात पूरी क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती करते आए हैं, यहां तक कि यद्यपि आधार वर्ष में और वर्ष 2020-21 में कटौती की मात्रा कम थी। यह देखा जाता है कि प्रमुखत: कोविड-19 महामारी के कारण 20-21 में घरेलू उद्योग को हानियां हुई और उस क्षेत्र में किसानों के आंदोलनों से प्रभावित होने वाली दक्षता कम हुई जहां घरेलू उद्योग का संयंत्र स्थित है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग 2021-22 में आंशिक रूप से ठीक हुआ। चूंकि कीमत कटौती की मात्रा क्षति की अवधि में बढ़ी अत: आयातों की मात्रा बढ़ी और घरेलू उद्योग के निष्पादन में कीमत मापदंडों के संबंध में ह्रास हुआ।

ख) कीमत न्यूनीकरण अथवा ह्रास

120. घरेलू बाजार में कीमत न्यूनीकरण और ह्रास का विश्लेषण करने के लिए घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित तालिका में दिए गए अनुसार (क) बिक्री लागत((ख) घरेलू बिक्री कीमत संबंधी सूचना दी है।

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
बिक्री लागत	रु./मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	102	113	140
बिक्री कीमत	रु./मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	96	111	125
पहुंच कीमत	रु./मी.ट.	4,80,924	4,92,554	4,83,453	4,58,879
प्रवृत्ति		100	102	101	95

121. यह देखा जाता है कि:

क) घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत क्षति अवधि में बढ़ी। तथापि, लागत में वृद्धि बिक्री कीमत में वृद्धि से अधिक थी।

ख) आयातों की पहुंच कीमत क्षति की अवधि में कम हुई है जबकि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत बढ़ी है। इसके अतिरिक्त आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से भी कम है।

ग) संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की लागत से भी कम कीमत के थे जिससे घरेलू उद्योग लागत से काफी कम कीमतों पर अपना उत्पाद बेच रहा था। संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतें न्यूनीकृत हुई है।

122. जहां तक अन्य हितबद्ध पक्षकार के इस तर्क का संबंध है कि लागत, कीमत और पहुंच कीमत क्षति की अवधि में बढ़ी है, यह नोट किया जाता है कि डीजी सिस्टम के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि आयातों की पहुंच कीमत क्षति की अवधि में वास्तव में कम हुई है। यह स्थिति उस समय है जब बिक्री लागत बढ़ी है।

123. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि लाभ में गिरावट लागत में वृद्धि के कारण है न कि आयातों के कारण। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घेरलू उद्योग की बिक्री कीमत जांच की अवधि में बढ़ी है परंतु यह वृद्धि लागत में वृद्धि से कहीं कम है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है पहुंच कीमत, कीमत

तथा लागत से काफी कम है। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत पाटित आयातों के अभाव में बिक्री लागत में वृद्धि के मद्देनजर बढ़ी होती।

छ.3.4 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

124. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों की जांच में सभी संगत आर्थिक कारकों और तत्वों जिनका घरेलू उद्योग की हालत पर प्रभाव पड़ता हो, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; वे कारक जो घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा पर प्रभाव डालते हों; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव का वस्तुपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। तद्नुसार, घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों पर यहां नीचे चर्चा की गई है।

क) क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री

125. प्राधिकारी ने क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा पर विचार किया है।

विवरण	**इकाई**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**जांच की अवधि**
क्षमता	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	150	250	300
उत्पादन	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	303	597	625
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	202	239	208
घरेलू बिक्रियां	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	381	577	915

126. यह देखा जाता है कि:

क) क्षति की अवधि में विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग बढ़ी। घरेलू उद्योग ने बढ़ती हुई मांग के अनुसार अपनी क्षमता बढ़ाई।

ख) घरेलू उद्योग का उत्पादन और बिक्री स्तर क्षति की अवधि में बढ़े। तथापि, उत्पादन और बिक्री दोनों उन स्तरों से वास्तविक रूप से कम हैं जो घरेलू उद्योग की क्षमता को देखते हुए और बाजार में उत्पाद के लिए मांग में वृद्धि को देखते हुए हासिल किए जा सकती थे।

ग) घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग क्षति की अवधि में कम हुआ। क्षमता उपयोग में गिरावट क्षमताओं में वृद्धि के बावजूद है।

ख) मांग में बाजार हिस्सा

127. क्षति की अवधि में संबद्ध आयातों और घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा निम्नलिखित था:

विवरण	**इकाई**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**जांच की अवधि**
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	346	527	585
अन्य भारतीय उत्पादक	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	184	409	243
संबद्ध देश के आयात	%	98%	94%	89%	91%
प्रवृत्ति		100	96	91	93
अन्य देशों से आयात	%	0.1%	0.4%	0.1%	0.1%
प्रवृत्ति		100	329	71	44

128. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा क्षति की अवधि में बढ़ा है। तथापि, घरेलू उद्योग के पास भारतीय बाजार में ***% का कम हिस्सा है। मांग में वृद्धि और घरेलू उद्योग द्वारा क्षमता वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग अपना बाजार हिस्सा सुधारने में समर्थ नहीं रहा है। यह देखा जाता है कि बाजार की पूर्ति प्रभावी रूप से चीनी आयातों से थी। यहां

तक कि जब भारतीय उद्योग कुछ बाजार लेने में सक्षम रहा है, वह फिर भी काफी कम है और प्रमुख हिस्से की पूर्ति चीनी आयातों से है।

ग) लाभप्रदत्ता, नकद लाभ, और नियोजित पूंजी पर आय

129. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग का लाभ, लाभप्रदता, नकद लाभ, ब्याज पूर्व लाभ (पीबीआईटी) और निवेश पर आय का विश्लेषण निम्नलिखित रूप में किया गया है:

विवरण	**इकाई**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**जांच की अवधि**
चीन जन.गण. से पहुंच कीमत	रु./मी.ट.	4,80,924	4,92,554	4,83,453	4,58,879
बिक्री लागत	रु./मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	102	113	140
बिक्री कीमत	रु./मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	96	111	125
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	रु./मी.ट.	***	(***)	***	(***)
प्रवृत्ति		100	(7)	85	(137)
लागत के % के रूप में पीबीटी	%	***	(***)	***	(***)
प्रवृत्ति		100	(6)	75	(98)
नकद लाभ	रु./मी.ट.	***	***	***	(***)
प्रवृत्ति		100	20	59	(62)
आरओसीई	%	***	***	***	(***)
प्रवृत्ति		100	30	87	(66)

130. यह देखा जाता है कि:

क) आधार वर्ष में घरेलू उद्योग ने लाभ अर्जित किया है। तथापि, घरेलू उद्योग को वित्तीय हानियां होनी शुरु हो गई जो क्षति की अवधि में बढ़ी। यद्यपि 2020-21 में वित्तीय हानियां कोविड-19 महामारी और उस क्षेत्र में किसानों के आंदोलन के

कारण थीं जहां घरेलू उद्योग के संयंत्र स्थित हैं। तथापि घरेलू उद्योग ने अपनी लाभप्रदता में सुधार किया और 2021-22 में लाभ कमाया। तथापि उसकी लाभप्रदता तेजी से कम हुई और उसे जांच की अवधि में काफी वित्तीय हानियां हुई।

ख) आयातों की पहुंच कीमत भारतीय उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत के स्तर से कम है। आयातों की पहुंच कीमत बिक्री लागत से ***% कम है।

ग) लाभप्रदता में गिरावट के साथ घरेलू उद्योग के निष्पादन का नकद लाभ के संबंध में तेजी से ह्रास हुआ। जबकि घरेलू उद्योग ने आधार वर्ष में नकद लाभ कमाया, उसे जांच की अवधि में नकद हानियां हुई।

घ) घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित निवेश पर आय भी क्षति की अवधि में अत्यधिक कम हुई। जबकि घरेलू उद्योग को आधार वर्ष में निवेश पर सकारात्मक और काफी आय थी, उसे जांच की अवधि में निवेश पर काफी नकारात्मक आय हुई।

131. नोट करने योग्य है कि मांग और घरेलू उद्योग की बिक्री में वृद्धि के बावजूद कर-पूर्व लाभ, ब्याज पूर्व लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय जैसे प्रमुख कीमत मापदंडों सभी में क्षति की अवधि में काफी गिरावट आई और जांच की अवधि में नकारात्मक हो गई।

132. जहां तक उत्तरदाता के इस तर्क का संबंध है कि ब्याज लागत में वृद्धि से घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई, यह नोट किया जाता है कि ब्याज पूर्व और कर पूर्व भी घरेलू उद्योग का लाभ नकारात्मक था। इसके अतिरिक्त, जबकि क्षति की अवधि में लाभ *** रु. तक कम हुआ, ब्याज लागत उस अवधि में केवल *** रु. तक ही बढ़ी।

घ) मालसूची

133. क्षति की अवधि और जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की मालसूची से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं:

विवरण	**इकाई**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**जांच की अवधि**
आरंभिक मालसूची	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	898	1,394	6,656

अंतिम मालसूची	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	155	741	498
औसत मालसूची	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	230	807	1,115

134. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के पास मालसूची का स्तर 2021-22 में और देश में मांग में वृद्धि के बावजूद जांच की अवधि में काफी बढ़ा।

ड.) रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

135. घरेलू उद्योग के रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में स्थिति निम्नलिखित है:

विवरण	**इकाई**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**जांच की अवधि**
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	163	222	366
वेतन और मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	289	477	645
प्रति दिन उत्पादकता	मी.ट./दिन	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	303	597	625
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	186	269	171

136. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने क्षमता में वृद्धि से घेरलू उद्योग में कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ी है। प्रदत्त मजदूरी ने भी वही प्रवृत्ति अपनाई है। इसके अतिरिक्त, प्रति दिन उत्पादकता उत्पादन की गति के अनुरूप बढ़ी है।

च) पूंजी निवेश जुटाने में क्षमता

137. यह नोट जाता है कि घरेलू उद्योग क्षमता अभिवृद्धियों में निवेशकर्ता रहा है। उत्पाद में देश में काफी मांग-आपूर्ति अंतराल था और देश में काफी नए निवेश की आवश्यकता थी।

तथापि, घरेलू उद्योग को हानियां ही नहीं हुई बल्कि ब्याज और मूल्यह्रास से पूर्व उसका लाभ नकारात्मक है। घरेलू उद्योग एक एमएसएमई यूनिट है। अत: उत्पाद का पाटन पूंजी निवेश करने के लिए उद्योग की क्षमता को काफी प्रभावित कर रहा है।

छ) वृद्धि

138. घरेलू उद्योग की वृद्धि के संबंध में सूचना नीचे दी गई है:

विवरण	**इकाई**	**2020-20**	**2021-22**	**जांच की अवधि**
क्षमता उपयोग (%)	%	(14)	10	(9)
उत्पादन (मी.ट.)	%	29	83	9
बिक्री (मी.ट.)	%	281	51	58
औसत मालसूची (मी.ट.)	%	130	251	38
उत्पादकता (मी.ट.)	%	203	97	5
प्रति इकाई लाभ (रु./मी.ट.)	%	(107)	1,397	(261)
पीबीआईटी (रु./मी.ट.)	%	(68)	274	(170)
नकद लाभ (रु./मी.ट.)	%	(80)	192	(204)
नकद लाभ लाख रु. में	%	(22)	342	(265)
आरओआई	%	(70)	186	(176)

139. यह देखा जाता है कि पाटित आयातों ने कीमत मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग की वृद्धि नकारात्मक रूप से प्रभावित की है और मात्रात्मक मापदंडों के संबंध में वृद्धि प्रतिकूल रूप से प्रभावित की है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग में सभी प्रमुख मात्रात्मक मापदंडों में काफी वृद्धि हुई है। तथापि, यह नोट किया जाता है कि यद्यपि क्षमता, उत्पादन, बिक्री जैसे मापदंडों ने सुधार दर्शाया, तथापि यह संबद्ध सामानों के लिए मांग और घरेलू उद्योग में क्षमताओं में वृद्धि के अनुकूल है। जब वृद्धि के अवसर से तुलना की जाए कि मांग वृद्धि हुई थी तो मात्रात्मक मापदंडों में वृद्धि विचारणीय है। इसके अतिरिक्त, पाटित आयातों का प्रतिकूल प्रभाव पीबीटी, पीबीआईटी, नकद लाभ और आरओआई जैसे कीमत मापदंडों पर अधिक है। ये सभी मापदंड घरेलू उद्योग पर काफी वित्तीय दबाव दर्शाते हुए नकारात्मक वृद्धि दर्शाते हैं।

ज) पाटन की मात्रा और पाटन मार्जिन

140. यह देखा जाता है कि संबद्ध देश से पाटन मार्जिन केवल न्यूनतम से अधिक नहीं है, काफी भी है।

ज <u>क्षति और कारणात्मक संबंधी निष्कर्ष</u>

141. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग के निष्पादन का विश्लेषण यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक संबंध निम्नलिखित आधारों पर सिद्ध है:

क. संबद्ध सामानों के आयात जांच की अवधि में पूर्ण दृष्टि से बढ़े हैं और सापेक्ष दृष्टि से काफी रहे हैं।

ख. आयात बढ़ रही क्षमताओं और उपयोग में न लाई जा रही वर्तमान क्षमताओं के बावजूद बढ़ रहे हैं, इस प्रकार आयातों से उत्पादन क्षमताओं का अत्यधिक कम उपयोग हुआ है।

ग. आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती कर रहे हैं और घरेलू बाजार में कीमत न्यूनीकरण कर रहे हैं जिससे घरेलू उद्योग को वित्तीय हानियां हो रही हैं।

घ. उत्पादन और बिक्री बढ़ी है। तथापि ये उन स्तरों से कम थी जो घरेलू उद्योग की क्षमता और बाजार में उत्पाद के मामले में वृद्धि को देखते हुए हासिल की जा सकती थी।

ड. बढ़ती हुई क्षमता और मांग में वृद्धि के बावजूद संबद्ध आयात पूर्व प्रभावी रूप से घरेलू मांग को ले रहे हैं।

च. लाभप्रदता में गिरावट से घरेलू उद्योग के निष्पादन का नकद लाभ के संबंध में तेजी से ह्रास हुआ।

छ. घरेलू उद्योग की मालसूची बढ़ी क्योंकि घरेलू उद्योग पाटित आयातों की मौजूदगी के मद्देनजर मांग में वृद्धि के अनुपात में अपनी बिक्री बढ़ाने में सक्षम नहीं रहा।

142. इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि संबद्ध सामानों के पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति के बीच कारणात्मक संबंध मौजूद हैं।

झ. <u>गैर-आरोपण विश्लेषण (अन्य कारक)</u>

143. प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या पाटनरोधी नियमावली के तहत सूचीबद्ध अन्य कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है। प्राधिकारी ने पाटित आयातों को छोड़कर अन्य ज्ञात कारकों की जांच की है कि क्या ये साथ ही घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाते आ रहे हैं ताकि अन्य द्वारा यदि कोई क्षति पहुंचाई गई है तो वह पाटित आयातों के कारण नहीं है। इस संबंध में संगत कारकों में अन्य बातों के साथ-साथ पाटित कीमतों पर न बेचे गए संबद्ध सामानों की मात्रा मांग में संकुचन अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन और घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल हैं।

क) तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमतें

144. यह देखा जाता है कि संबद्ध देशों के लगभग सभी आयात संबद्ध देश से भारत में आ रहे हैं। किसी भी दशा में गैर-संबद्ध आयातों की मात्रा जांच की अवधि में केवल बहुत कम नहीं है बल्कि चीन जन.गण. से आयात कीमत की अपेक्षा बहुत अधिक कीमत वाली भी है। अत: अन्य देशों से आयात घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति का कारण नहीं है।

ख) मांग में संकुचन

145. यह देखा जाता है कि पूरी क्षति अवधि में मांग बढ़ी। जांच की अवधि में मांग अपने उच्चतम स्तर पर थी।

ग) खपत के पैटर्न में परिवर्तन

146. यह देखा जाता है कि क्षति की अवधि में विचाराधीन उत्पाद के लिए खपत के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं हुए हैं जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

घ) प्रतिस्पर्धा की स्थतियां और व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां

147. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने किसी व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटी के संबंध में कोई तर्क नहीं दिया है अथवा कोई साक्ष्य नहीं रखा है जिससे घरेलू उद्योग के निष्पादन पर प्रभाव पड़ सके। प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रतिस्पर्धा की स्थितियों में और किसी व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटी में जांच में कोई परिवर्तन सामने नहीं आया है।

ड.) प्रौद्योगिकी में विकास

148. यह देखा जाता है कि प्रौद्योगिकी में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं है। जांचकर्ता दल ने यह पाया है कि चीन जन.गण. से सहयोगी उत्पादकों की उत्पादन प्रक्रिया घरेलू उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया के समान है।

च) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

149. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने क्षति की अवधि में संबद्ध सामानों का निर्यात नहीं किया है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन से घरेलू उद्योग का बिक्री निष्पादन प्रभावित नहीं हुआ है।

छ) अन्य उत्पादों का निष्पादन

150. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षति संबंधी आंकड़े दिए हैं और क्षति विश्लेषण के लिए प्राधिकारी द्वारा उन्हें अपनाया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों के निष्पादन पर विचार नही किया गया है।

झ) क्षति मार्जिन की मात्रा

151. प्राधिकारी ने यथासंशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षतिरहित कीमत जांच की अवधि के लिए घरेलू उद्योग द्वारा दी गई उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित की गई है। क्षति रहित कीमत क्षति मार्जिन का परिकलन करने के लिए संबद्ध देश से पहुंच कीमत की तुलना करने हेतु मानी गई है। क्षतिरहित कीमत निर्धारित करने के लिए क्षति की अवधि में कच्ची सामग्री और यूटिलिटियों के सर्वोत्म उपयोग पर विचार किया गया है। क्षति की अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। उत्पादन लागत से असाधारण अथवा अनावर्ती खर्चों को अलग किया गया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए

नियोजित औसत पूंजी (अर्थात् औसत निवल नियोजित परिसंपत्तियां और औसत कार्यशील पूंजी) पर उपयुक्त आय (कर-पूर्व 22% की दर से) नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित किए गए अनुसार क्षतिरहित कीमत निकालने के लिए कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी।

152. ऊपर निर्धारित पहुंच कीमत और एनआईपी के आधार पर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार क्षति मार्जिन निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

विवरण	इकाई	राशि
गैर-क्षतिरहित कीमत	रु./मी.टन	***
पहुंच कीमत	रु./मी.टन	4,58,879
क्षति मार्जिन	रु./मी.टन	***
क्षति मार्जिन	डा./मी.ट.	***
क्षति मार्जिन **क्षति मार्जिन**	% रेंज %	*** 25-35

ट. <u>भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे</u>

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

153. जन हित के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i) आवेदक द्वारा उपभोक्ता के आय समूह के आधार पर किया गया प्रभाव विश्लेषण युक्तिसंगत नहीं है। संबद्ध सामानों की कीमत आय समूहों पर आधारित नहीं है। शुल्कों के कारण कीमत में कोई वृद्धि सभी के लिए विद्यमान रहेगी। प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए शुल्क लगाए जाने से पूर्व और उसके बाद संबद्ध सामानों की कीमत के बीच तुलना की जाएगी।

ii) पाटनरोधी शुल्क से उत्पाद की कीमत 40-50% की रेंज में ऊपर चली जाएगी जिसका काफी प्रभाव होगा। आवेदक ने क्रेताओं के आय समूह पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए असंगत मूल्यांकन का सहारा लिया है।

iii) संबद्ध सामान विद्यालय, कार्यालय आदि में पानी ले जाने के लिए अनिवार्य वस्तु हैं। मांग-आपूर्ति अंतराल के कारण शुल्क का बहुत बड़ी जनसंख्या पर प्रतिकूल प्रभाव होगा।

iv) चीन जन.गण; में संबद्ध सामानों के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त स्टील बेहतर गुणवत्ता का स्टील प्रयोग करके उत्पादित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, आयातित सामान ग्राहकों को व्यापक विकल्प देते हैं। प्रस्तावित शुल्कों से केवल आपूर्ति ही कम नहीं होगी बल्कि विकल्प भी कम हो जाएंगे।

v) चीनी विनिर्माताओं के पास कुशल श्रमिकों की उपलब्धता, बढ़ी विनिर्माण सुविधाओं, बहुविध उत्पादन लाइनों और समर्थक उद्योग की निकट समीपता के कारण घरेलू उद्योग से बेहतर नेतृत्व सीमा हैं।

vi) संबद्ध देश में निर्यातकों को लाभ है क्योंकि चीन जन.गण. भारी मात्राओं में स्टील के विभिन्न ग्रेडों का उत्पादन करता है। चीन जन.गण. में निर्यातकों द्वारा उत्पादन में प्रयुक्त स्टील के ग्रेड में अंतर के कारण संबद्ध सामानों की लागत में अंतर है।

vii) उत्तरदाता आयातकों के पास उच्च ब्रांड मूल्य है। यहां तक कि यदि शुल्क लगाए जाते हैं और आयातक अपनी कीमतें बढ़ाते हैं तो उपभोक्ता उनका उत्पाद खरीदना जारी रखेंगे।

ट.2 घरेलू उद्योग के विचार

153. जनहित के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i) वर्तमान में चीन जन.गण. से आयात भारत में संबद्ध सामानों के कुल आयातों के 99.5% से अधिक हैं और वे भारतीय बाजार के 85% से अधिक पर प्रभावी हैं। पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना उचित व्यापारिक क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है।

ii) बढ़ती हुई मांग से पेश किए गए अवसर पर विचार करते हुए कई उत्पादकों ने जांच की अवधि के बाद की अवधि में क्षमताएं स्थापित की हैं। तथापि, यदि पाटन जारी रहता है तो आवेदक, अन्य नए उत्पादकों जैसों को भी क्षति होगी। अंतत:

भारतीय उत्पादक धीरे-धीरे समाप्त हो जाएंगे और भारतीय बाजार को मांग पूरा करने के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर बनाने के लिए अपने प्रचालन बंद करने हेतु मजबूर हो जाएंगे जिससे उच्च कीमतें बाधायुक्त उपलब्धता अथवा बड़ी तस्वीर में व्यापारिक कमियां जैसे मुद्दे होंगे।

iii) घरेलू उद्योग द्वारा बनाए गए उचित कीमत के उत्पादों वाला बाजार लेना ग्राहक के हित में है जो आयातों से प्रतिस्पर्धा कर सकें।

iv) भारत में उत्साहवर्धक घरेलू विनिर्माण क्रियाकलाप उसके एक विनिर्माण पावर हाउस बनने में उसकी भूमिका में सहायता देने के लिए अनिवार्य है। घरेलू उत्पादन निवेश, रोजगार बढ़ाएगा और देश की जीडीपी बढ़ाएगा।

v) संबद्ध सामानों के अंतिम उपभोक्ता ने घरेलू और आयातित उत्पाद के बीच कीमत अंतर की मात्रा का लाभ नहीं उठाया। इस उत्पाद में वितरकों के माध्यम से बिक्री पूर्व प्रभावी रूप से होती है जो वितरण श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं परंतु पर्याप्त वृद्धि जोड़ने के बाद सामान बेचते हैं।

vi) विचाराधीन उत्पाद एक अंतिम प्रयोग उत्पाद है इसमें निचले स्तर का कोई उद्योग शामिल नहीं है। ग्राहकों पर प्रस्तावित शुल्क का प्रभाव, उनके आय स्तर को ध्यान में न रखते हुए, नगण्य होगा।

vii) संबद्ध सामान स्टेनलेस स्टील से बनाए जाते हैं। अत: वे नॉन-टाक्सिक हैं और प्लास्टिक बोतलों के लिए पर्यावरण मित्र हैं। यह प्लास्टिक बोतलों का संधारणीय विकल्प है और इस प्रकार, देश की जनता के स्वास्थ्य तथा पर्यावरण, वन्य जीव पर प्लास्टिक अपशिष्ट के हानिकारक प्रभाव को कम करने में मदद कर सकता है। इसके अतिरिक्त, प्लास्टिक के कुप्रभाव के प्रति बढ़ती हुई जागरुकता से ही संबद्ध सामानों के लिए मांग बढ़ती जा रही है।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

155. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य रूप में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का प्रयोजन पाटन की अनुचित व्यापारिक परिपाटियों से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली एवं उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुन: स्थापित की जा सके जो कि देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपाय लगाए जाने का उद्देश्य

किसी भी दशा में संबद्ध देश से आयात प्रतिबंधित करना नहीं है। व्यापार उपचारात्मक जांचों का आशय व्यापार को नष्ट करने वाले आयातों के विरुद्ध उपयुक्त शुल्क लगाकर घरेलू उत्पादकों के लिए उचित व्यापारक क्षेत्र सुनिश्चित कर घरेलू बाजार में समान प्रतिस्पर्धात्मक अवसर बनाना है। साथ ही, प्राधिकारी इस बात से अवगत है कि ऐसे शुल्कों का प्रभाव विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादकों तक ही सीमित नहीं है बल्कि विचाराधीन उत्पाद के प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं को भी प्रभावित करता है।

156. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य सहित, सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए जांच की शुरुआत की अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं के लिए उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के किसी संभावित प्रभाव सहित वर्तमान जांच की संबंध में संगत सूचना उपलब्ध कराने के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की। अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न देशों से विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की परस्पर परिवर्तनीयता, घरेलू उद्योग की स्रोतों में जाने की क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव, ऐसे कारकों जिनसे पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से उत्पन्न नई स्थिति में समायोजन को बढ़ाने अथवा उसमें विलंब करने की संभावना है, के संबंध में सूचना मांगी थी।

157. प्राधिकारी को घरेलू उद्योग से और एक आयातक (9 उत्तरदाता पक्षकारों में से) अर्थात सैलो से प्रभााव की मात्रा प्राप्त हुई है। घरेलू उद्योग ने उत्पाद के दीर्घ जीवनकाल पर विचार करते हुए उत्पाद का उपभोग करने वाली जनता पर प्रभाव का परिकलन किया है। आयातक ने वितरकों सहित वितरण श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर कीमत में वृद्धि करने पर विचार करने के बाद प्रति फ्लास्क पर प्रभाव पर विचार किया है। सैलो के प्रश्नावली के उत्तर से यह नोट किया जाता है कि वह पुन: बिक्री के तीन चैनल लगाता है, (क) वितरकों के माध्यम से (ख) ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से और (ग) वेबसाइट के माध्यम से। प्राधिकारी ने सैलो की आयात कीमत की तुलना अमेजन पर और वेबसाइट पर उत्पादों की कीमत से पुन: बिक्री कीमत के साथ की है। यह देखा जाता है कि अंतिम उपभोक्ता तक आयातों और पुन: बिक्री कीमत के बीच अत्यधिक अंतर है।

158. इस प्रकार यह सिद्ध नहीं है कि पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव उस श्रृंखला द्वारा नहीं लिया जा सकता और अंतिम उपभोक्ताओं पर प्रस्तावित उपायों का भी काफी प्रभाव पड़ेगा।

159. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि उपभोक्ताओं को पेश की जा रही संबद्ध सामानों की कीमत आयातों की पहुंच कीमत पर निर्भर नहीं हैं। संबद्ध सामानों के अंतिम उपभोक्ता ने घरेलू और आयातित उत्पाद के बीच कीमत अंतर की मात्रा का लाभ नहीं उठाया। घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए आंकड़ों से यह नोट किया जाता है कि इस उत्पाद में वितरकों के माध्यम से पूर्व प्रभावी रूप से बिक्री होती है जो आगे लाभ जोड़कर उत्पाद की बिक्री करते हैं। इसके अतिरिक्त खुदरा व्यापारी काफी मार्जिन से इस उत्पाद की बिक्री करते हैं। घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया कि वह इस उत्पाद को अपनी वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन बेचते हैं तथा ई-कॉमर्स प्लेट फार्म के माध्यम से भी बेचते हैं, जहां एजेंसियां लगभग 30% तक कीमत बढ़ाती हैं। इस प्रकार पाटनरोधी शुल्क के कारण किसी राशि से जनता पर प्रभाव पड़ने की कोई संभावना नहीं है। वितरण श्रृंखला इस कीमत वृद्धि को आसानी से ले सकती है।

160. यह नोट किया जाता है कि विभिन्न उत्पादकों ने घरेलू बाजार में वृद्धि देखते हुए संबद्ध सामानों का उत्पादन हाल ही में शुरु किया है। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि यद्यपि देश में मांग आपूर्ति अंतराल है, तथापि भारतीय उद्योग क्षमताएं बढ़ा रहा है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया कि ***मी.ट. की एक उत्पादन लाइन के लिए ***करोड़ रु. के निवेश की आवश्यकता होती है और इस प्रकार वृद्धि करने तथा रोजगार सृजित करने के लिए एमएसएमई क्षेत्र के लिए काफी अवसर प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, बाजार मे एक उचित व्यापारिक क्षेत्र से एक ऐसी स्थिति बनेगी जहां भारतीय उद्योग में क्षमता देश में वर्तमान और संभावित मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी।

161. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि देश में माग-आपूर्ति अंतराल घरेलू उद्योग को पाटित आयातों से समाधान की मांग करने से नहीं रोकता। प्राधिकारी *माननीय सेस्टेट के समक्ष डीएसएम इडेमित्सु लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी* के मामले का उल्लेख करते हैं जिसमें यह माना गया था कि मांग-आपूर्ति अंतराल पाटन का औचित्य नहीं बनाता। विदेशी उत्पादक हमेशा अपाटित कीमतों पर उत्पाद की बिक्री कर भारतीय मांग को पूरा कर सकते हैं। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से देश में आयात प्रतिबंधित नहीं होते अथवा रुकते नहीं हैं।

162. यह भी नोट किया जाता है कि यह उत्पाद श्रम गहन उद्योग होने के नाते भारी रोजगार अवसर प्रदान करता है। घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया कि यही स्थिति देश में रोजगार अवसर सृजित करने वाले अन्य घरेलू उत्पादकों की है।

163. एक हितबद्ध पक्षकार ने बीआईएस वेबसाइट पर प्रकाशित भारतीय उत्पादकों की एक सूची रिकॉर्ड में उपलब्ध कराई है। यह नोट किया जाता है कि संबद्ध सामानों के घरेलू उत्पादक और कई अन्य भारतीय उत्पादक पूर्व प्रभावी रूप से एमएसएमई श्रेणी के हैं जो बिखरे हुए और असंगठित हैं। यह अनिवार्य है कि एमएसएमई उद्योग अपने प्रचालनों को कार्यात्मक रखने के लिए लाभप्रदता के कतिपय स्तर बनाए रखें। शुल्क लगाए जाने से बिक्री और कीमत मापदंडों के संबंध में उनके निष्पादन में सुधार करने में सहायता मिलेगी। शुल्कों से उचित कीमत के आयातों की मौजूदगी में ग्राहकों को उत्पाद की आपूर्ति करने वाले प्रतिस्पर्धी घरेलू उद्योग को बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।

164. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि चीन जन.गण. में उत्पादित संबद्ध सामान उस बेहतर गुणवत्ता स्टील से विनिर्मित किया जाता है जो घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित किया जाता है। इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के पास इन उत्पादों का विनिर्माण करने के लिए बीआईएस लाइसेंस है। यह चीन जन.गण. से आयातों की तुलना करने पर घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद के मानक को प्रमाणित करता है।

165. प्राधिकारी ने भी संबद्ध सामानों से जुड़े पर्यावरणीय लाभों को स्वीकार किया है। यद्यपि प्लास्टिक से बनी बोतलों के पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव हैं और वे प्रदूषण में योगदान करते हैं, तथापि संबद्ध सामान उनमें स्पष्ट लाभ देते हैं और ऐसे पर्यावरण मित्र उत्पादों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

166. इसके अतिरिक्त, वैक्यूम फ्लास्क का प्रयोग करने के लाभों तथा स्वच्छता और पर्यावरणीय संरक्षण, स्वास्थ्य के संबंध में उपभोक्ता की बढ़ती हुई जागरुकता के कारण मांग बढ़ने की संभावना है। मांग में इस वृद्धि का शुल्क लगाए जाने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि इससे देश में निवेश, उत्पादन, रोजगार, सरकारी राजस्व, नवाचार बढ़ेगा।

ठ. <u>प्रकटन पश्चात टिप्पणियां</u>

ठ.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u>

167. प्राधिकारी द्वारा प्रकट किए गए अनिवार्य तथ्यों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियां प्रस्तुत की गई थी:

i. मार्जिन से इंकार करना प्राधिकारी की अपनी परिपाटी के असंगत है। निर्यातकों के साथ अंतर का व्यवहार वर्तमान जांच में बहुत ही स्पष्ट है। प्रकटन जारी किए जाने के बाद निर्दिष्ट प्राधिकारी से मिलने का अवसर भी नहीं दिया गया है।

ii. दिनांक 22 जून 2024 का ई-मेल आयातकों से संबंधित था और आयातकों से कोई विशिष्ट सूचना नहीं मांगी गई थी। प्राधिकारी अपनी टिप्पणियों को तद्नुसार संशोधित करें कि प्राधिकारी द्वारा ई-मेल का कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

iii. निर्यातक से 11 जुलाई, 2024 को पहली बार दस्तावेज मांगे गए थे। प्राधिकारी ने गलत ढंग से 'पुन:' शब्द का प्रयोग किया है। निर्यातक ने परिशिष्ट I के अनुसार सूचना दी थी। किसी समायोजन का दावा नहीं किया गया था अत: किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं थी।

iv. चीनी भाषा में दायर किए गए सीमित दस्तावेज़ों को समझने की अक्षमता टेबल सत्यापन के समय भी सूचित नहीं की गई थी। निर्यातक दस्तावेज़ों को चीनी भाषा में स्पष्ट करने में सक्षम था और ऐसा निर्णय अनावश्यक था।

v. सीमा शुल्क घोषणा प्रपत्र दिनांक 18 जुलाई 2024 के ईमेल का भाग नहीं थे। ये दस्तावेज अवकाशों और निर्यातक के स्तर पर व्यक्तिगत छुट्टियों के कारण एकत्रित नहीं किए जा सके। वे टेबल अध्ययन के समय प्रस्तुत किए गए थे और दिनांक 3 सितंबर, 2024 के मेल के उत्तर में 4 सितंबर, 2024 के मेल द्वारा भी प्रस्तुत किए गए थे। इस संबंध में कोई कमी जारी नहीं की गई थी और प्राधिकारी की टिप्पणी अनावश्यक है।

vi दो मेल उसी विषय पर उसी तारीख को निर्यातक को मार्क किए गए थे। कानूनी प्रतिनिधि गलती से दूसरे मेल को चूक गया और केवल एक मेल का उत्तर 11 जुलाई, 2024 को दिया। यह निर्णय की त्रुटि थी न कि जानबूझकर

किया गया कुछ। प्राधिकारी के साथ चर्चा के परिणामस्वरूप मांगी गई सूचना 7 अगस्त, 2024 को ही प्रस्तुत की गई थी।

vii. दिनांक 3 सितंबर, 2024 के ईमेल का उत्तर 4 सितंबर, 2024 को प्रस्तुत किया गया था। यह स्पष्ट किया गया था कि टाईप की त्रुटि हुई थी और वह टेबल अध्ययन के समय स्पष्ट कर दिया गया था। 2 ग्राम भार इस त्रुटि का परिणाम था और निर्यातक को उसे ठीक करने की अनुमति दी गई थी। 8 पंक्तियां हाइलाईट की जानी थी क्योंकि एक प्रविष्टि से अधिक के साथ दो बीजकों में त्रुटि हुई थी। यह नहीं कहा जा सकता कि निर्यातक अपने उत्तर में सूचना देने में विफल रहा। प्राधिकारी का दृष्टिकोण कतई उपयुक्त नहीं है और अत्यधिक लक्षित दृष्टिकोण है तथा अर्ध-न्यायिक जांच में असामान्य है।

viii. निर्यातक को प्राप्त एकमात्र मेल दिनांक 1 अक्तूबर, 2024 का था जो एनसीवी के परिचालन से संबंधित था जो कि निर्यातक द्वारा पूर्व में पहले ही किया जा चुका था तथा इसीलिए उन्होंने उपर्युक्त मेल का उत्तर नहीं दिया। प्राधिकारी ने नोट किया है कि यह स्पष्ट करने के लिए कि क्यों ना उत्तर को रद्द किया जाए, एक अवसर निर्यातक को दिया गया था। तथापि, ऐसा कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया था।

ix. प्राधिकारी ने दिनांक 3 अक्तूबर, 2024 को एक मेल भेजा। दिनांक 7.10.2024 को उत्तर दिया गया था जिसमें प्राधिकारी के प्रश्नों के विशिष्ट उत्तरों से संबंधित दो संलग्नक थे। उसके बाद कोई पत्राचार नहीं हुआ है।

x. उत्तर में इलैक्ट्रोप्लेटिंग स्तर का उल्लेख किया गया है और वह उपसंविदायुक्त है, अत: इस प्रक्रिया के लिए कोई समायोजन नहीं मांगा गया था। यह पीसीएन के लिए नहीं माना जाता है और न ही किसी पीसीएन की आवश्यकता थी। निर्यातक को किसी स्पष्टीकरण का अवसर नहीं दिया गया था। यहां तक कि प्रकटन में विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा इलैक्ट्रोप्लेटिंग के पहलू के संबंध में मौन है। विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से भीतरी परत के भीतरी ओर कॉपर लाइनिंग से युक्त इलैक्ट्रोप्लेटेड अथवा कोटेड अथवा फ्लास्क को हटाए जाने के संबंध में उल्लेख नहीं किया गया था। यह माना जाता है कि

विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा में ये सभी उत्पाद थे। इस संबंध में कोई कमी जारी नहीं की गई थी और टेबल सत्यापन के दौरान भी इसका उल्लेख नहीं किया गया था।

xi. प्राधिकारी द्वारा विचाराधीन उत्पाद को पहले ही उसे मिलाकर परिभाषित किया गया था और कॉपर लाइनिंग से युक्त "वैक्युम इन्सुलेटेड फ्लास्क अथवा स्टेनलेस स्टील के अन्य वैसल्स" के रूप में उल्लिखित नहीं किया गया था अथवा इलैक्ट्रोप्लेटेड विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर है। परिशिष्ट में विवरण कॉलम में उल्लिखित उत्पाद का नाम परिभाषित किए गए अनुसार विचाराधीन उत्पाद की पहचान करने के लिए ही था और उसके बाद पीसीएन के अनुसार विवरण दिए गए हैं। चूंकि कॉपर कोटिंग आदि पीसीएन के भाग नहीं रहे हैं, अत: उसे अलग से नहीं दिया गया था।

xii. प्राधिकारी ने कॉपर लाइनिंग के संबंध में सेलो के अनुरोध का उल्लेख किया है परंतु सेलो के दावों को स्वीकार नहीं किया है। प्राधिकारी ने कोटेड/इलैक्ट्रोप्लेटेड मद के बीच अंतर करके विचाराधीन उत्पाद की अपनी ही भाषा का विरोधाभाष किया है और यहां तक कि प्रकटन में भी ये मदें विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखी गई हैं।

xiii. निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में अलग अलग मार्जिन निर्धारित करने के लिए टेबल अध्ययन के माध्यम से सत्यापित किए गए अनुसार पूर्ण सूचना है। उल्लिखित मुद्दे प्रकृति में स्पष्ट करने वाले हैं और निर्यातक ने मांगे जाने पर स्पष्टीकरण दिए।

xiv. बोतल की क्षमता पीसीएन का भाग थी और तद्नुसार 750 एमएल की बोतल के लिए दिए गए संबंधित पीसीएन के तहत वही सूचित की गई है। परिशिष्ट 3क और 3ख के तहत की गई रिपोर्टिंग बीजक में उल्लिखित नाम अथवा "उत्पाद" कॉलम में उल्लिखित नाम की लंबाई केवल विचाराधीन उत्पाद में ही संबंधित नहीं है। टेबल अध्ययन के दौरान ऐसे कोई मुद्दे उल्लिखित नहीं किए गए थे। इस टिप्पणी के संबंध में कि "परिशिष्ट 4क में, निर्यातक ने उसके द्वारा निर्यातित उत्पाद "वैक्यूम बोटल", "वैक्यूम कप" के रूप में वर्णित किए, परिशिष्ट-4 निर्यातक द्वारा घरेलू बिक्री से संबंधित है। यह सूचित नहीं

किया गया था कि घरेलू बिक्री पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए आधार के रूप में विचार किया जाएगा, जब निर्यातक द्वारा एमईटी का दावा न किया गया हो। परिशिष्ट-4क का कोई स्पष्टीकरण जांच के दौरान नहीं मांग गया था। यहां तक कि यदि उत्पाद का नाम विचाराधीन उत्पाद के संदर्भ में फ्लास्क कप, बोतल, केतली, कैरेफ और डिस्पेंसर के रूप में उल्लिखित है तो वह फिर भी विचाराधीन उत्पाद है और ऐसी मदों का प्रयोग उत्तर को रद्द करने का कारण नहीं हो सकता।

xv. कुल लेनदेनों में से, सुपुर्दगी की शर्तें गलती से 12 लेनदेनों के लिए ही उल्लिखित नहीं की गई हैं। प्राधिकारी कमी वाला पत्र जारी कर सकते थे अथवा 12 लेनदेनों के लिए उपलब्ध तथ्यों को अपना सकते थे। भुगतान की शर्तों में गलती से 41 लेनदेनों के लिए चूक हुई। टेबल अध्ययन के समय प्राधिकारी द्वारा इस त्रुटि का उल्लेख नहीं किया गया था। इस संबंध में भी कोई कमी वाला पत्र जारी नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, उत्पाद का भार और पीसों के संदर्भ में इकाई परिशिष्ट 3क और 3ख और 4क में भी दिए गए थे। इस पहलू पर प्राधिकारी के साथ चर्चा की गई थी परंतु यह उल्लेख नहीं किया गया था कि इस कारण उत्तर रद्द किया जाएगा।

xvi. उत्तरदाता द्वारा दी गई सूचना को स्वीकार न करने के लिए प्राधिकारी द्वारा नोट की गई टिप्पणियां और कारण प्रकटन विवरण में पहली बार दिए जा रहे हैं। उत्तरदाता को जांच प्रक्रिया के दौरान इन मुद्दों को स्पष्ट करने का कोई अवसर नहीं दिया गया था।

xvii. प्राधिकारी ने नोट किया है कि निर्यातक ने महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए, समय पर उन उत्पाद मापदंडों का उल्लेख नहीं किया जो उचित तुलना करने के लिए और पीसीएन के उचित निर्धारण के लिए संगत थे। साथ ही, उन्होंने यह नोट किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान आयातित विचाराधीन उत्पाद की "समान वस्तु" है। अत: यह स्पष्ट नहीं है कि प्राधिकारी क्यों उचित तुलना सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं है।

xviii. अनुच्छेद 2.4 में यह अपेक्षित है कि प्राधिकारी उचित तुलना के लिए आवश्यक सूचना पक्षकारों को बताएंगे। अत:, उचित तुलना सुनिश्चित करने का प्राथमिक

दायित्व प्राधिकारी पर है। हितबद्ध पक्षकार अंतरों का दावा कर सकते हैं जो कीमत तुलनीयता को प्रभावित करते हैं, परंतु किसी एनएमई निर्यातक के लिए समान वस्तु का स्पष्ट रूप से अध्ययन करने, भौतिक विशेषताओं में प्रमुख अंतरों की पहचान करना और समायोजन का प्रस्ताव करना संभव नहीं है अथवा अनिवार्य नहीं है।

xix. घरेलू उद्योग उत्पाद विशेषताओं में इन विशिष्ट अंतरों की पहचान न करने के लिए भी जिम्मेदार है, जब जांच में एनएमई शामिल हो, जहां सामान्य मूल्य घरेलू उद्योग के आंकड़ों पर आधारित हो। प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वे उचित तुलना के लिए आवश्यक सूचना दर्शाएं और पक्षकारों पर सबूत का अनावश्यक भार नहीं डालेंगे।

xx. यदि निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर इस कारण ही रद्द किए जाते हैं तो यह घरेलू उद्योग के लिए पीसीएन संबंधी चर्चा के समय समान वस्तु की विशिष्टियों को रखने के लिए लाभप्रद होंगे क्योंकि जब बाद के चरण में पीसीएन के संबंध में संदेह उत्पन्न होते हैं तो निर्यातक जिम्मेदार माना जा सकता है और निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर रद्द किए जा सकते हैं।

xxi. प्राधिकारी उस स्थिति में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकॉर्ड कर सकते हैं कि हितबद्ध पक्षकार पहुंच से इंकार करता है, उपयुक्त समय के भीतर सूचना नहीं देता है अथवा जांच में काफी बाधा डालता है। तथापि, उत्तरदाता ने सभी अपेक्षाओं का पालन किया है और प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर पूरी सूचना दी है और किसी स्थिति में किसी सूचना की चूक भी हो सकती है अथवा सत्यापन करने योग्य नहीं है, जो पूरी सूचना को रद्द करने का औचित्य नहीं है।

xxii. डब्ल्यूटीओ का निर्णय इस बात का समर्थन करता है कि किसी सूचना की अनुपलब्धता से ही पूरी सूचना को रद्द करने का औचित्य नहीं बन सकता। जब तक चूक हुई सूचना विश्वसनीयता अथवा शेष सूचना की वैधता को प्रभावित करने के लिए नहीं दर्शाई जाती है तब तक प्रस्तुत सूचना का प्रयोग किया जा सकता है। चूंकि उत्तरदाता ने एफओबी सुपुर्दगी मदों के संबंध में विचाराधीन उत्पाद की सही निर्यात कीमत दी है, अत: प्राधिकारी को उत्तरदाता

की निर्यात कीमत और पहुंच मूल्य को निर्धारित करने के लिए उस पर विचार करना चाहिए।

xxiii. उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किसी निर्धारण का उद्देश्य अंतर अथवा चूक को पूरा करना होना चाहिए, इसके बताए कि उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए तथा जांच के दौरान उचित प्रक्रिया के लिए दंड लगाने के लिए प्रयोग किया जाए।

xxiv. प्राधिकारी देखते हैं कि उत्तरदाता को यह उल्लेख करने का निर्देश दिया गया था कि क्या उनके द्वारा निर्यातित उत्पाद विचाराधीन उत्पाद की परिभाषित परिधि के अन्तर्गत आते हैं अथवा ऐसी कोई विशिष्ट विशेषताएं अथवा प्रयोग हैं जो विचाराधीन उत्पाद के तहत आने वाले उत्पादों से भिन्न करती हों। प्राधिकारी द्वारा ऐसा कोई प्रश्न अथवा निर्देश जारी नहीं किया गया था। यहां तक कि यदि ऐसा कोई निर्देश जारी किया गया था तो आगे की सूचना प्रस्तुत करना निरर्थक होगा क्योंकि यह उत्पाद विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अन्तर्गत मुश्किल से आता है, जैसा कि दिनांक 26 फरवरी, 2024 के नोटिस द्वारा अधिसूचित है। उत्पाद के लिए "प्राधिकारी द्वारा परिभाषित विचाराधीन उत्पाद के विवरण के अन्तर्गत आने तक" के लिए संभव नहीं है जबकि "विचाराधीन उत्पाद से भिन्न" भी है।

xxv. निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर के खंड ख.2 में यह अपेक्षित है कि उस स्थिति में घरेलू बाजार में अथवा भारत को छोड़कर अन्य देशों में बेचे गए उत्पाद भौतिक/तकनीकी/रासायनिक विशेषताओं में भिन्न हो, तो उत्तरदता के लिए यह अपेक्षित है कि वे उत्पादन लागत और बिक्री कीमत पर प्रभाव सहित ऐसे अंतर का साक्ष्य दें; वर्तमान मामले में लागू नहीं है। प्रथमत:, उत्तरदाता ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि घरेलू तौर पर बेचे गए उत्पाद और भारत को निर्यातित उत्पाद के बीच कोई उत्तर नहीं है। दूसरे, चूंकि संबद्ध देश चीन जन.गण. है जो एक एनएमई है, अत: घरेलू बिक्री कीमत का न तो सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी द्वारा प्रयोग किया जाता है और न ही प्राधिकारी ने चीन जन.गण. में घरेलू बिक्री के संबंध में सत्यापन प्रक्रिया के दौरान किसी समर्थक दस्तावेज के लिए अनुरोध किया है।

xxvi. प्राधिकारी ने यह पाया है कि उत्तरदाता यह उल्लेख करने में विफल रहा कि उत्तरदाता द्वारा निर्यातित उत्पाद विचाराधीन उत्पाद से भिन्न है और उसमें वह विशेषताएं हैं जो उसे विचाराधीन उत्पाद से बाहर करती हैं। तथापि, इस टिप्पणी का समाधान नहीं हो सकता क्योंकि प्राधिकारी मानते हैं कि उत्तरदाता ने उल्लेख किया था कि उत्पाद विचाराधीन उत्पाद के अन्तर्गत आता है, उत्पादन लागत प्रति विशिष्टि भिन्न हो सकती है जिसमें कॉपर कोटिंग सामग्री शामिल है तथा यह निर्यातक प्रश्नावली के परिशिष्ट 3क में कॉपर कोटिंगयुक्त विचाराधीन उत्पाद के निर्यातों में उल्लिखित था। अत: यह विरोधाभाषी है कि उत्तरदाता यह प्रकट करने में विफल रहे कॉपर कोटेड उत्पादों का भारत को निर्यात किया गया था, साथ ही परिशिष्ट 3क में कॉपर कोटेड विचाराधीन उत्पाद का निर्यात प्रकट करने में भी विफल रहे।

xxvii. उत्तरदाता द्वारा किए गए विचाराधीन उत्पाद के निर्यातों में कॉपर कोटिंग है, जो फ्लास्क के कार्य को नियंत्रित करने के लिए तापमान का समर्थन करने के लिए लगाया जाता है, जोकि विचाराधीन उत्पाद की एक अंतर्निहित विशेषता और वैश्विक उद्योग मानक है। यह न तो विशेष है न विचाराधीन उत्पाद की असाधारण विशेषता, जो विचाराधीन उत्पाद में शामिल अन्य उत्पाद से उसे अलग निर्धारित करता है अथवा कीमत पर काफी प्रभाव है। घरेलू उद्योग उसी कार्य को लेने के लिए कॉपर के बजाए एल्युमिनियम परत/कोटिंग का प्रयोग करता है। तथापि, पूरी जांच के दौरान कॉपर कोटिंग और एल्युमिनियम परत के कारण संबद्ध सामानों के बीच अंतर पीसीएन के लिए अथवा उचित तुलना के लिए निर्यात कीमत में समायोजन करने हेतु किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा नहीं उठाया गया था। यह दर्शाता है कि परत/कोटिंग में अंतर उचित तुलना के लिए असंगत था।

xxviii. यहां तक कि घरेलू उद्योग ने कुल लागत और कीमत के संबंध में एल्युमिनियम परत की पृथक लागत/कीमत संबंधी सूचना नहीं दी है। उत्तरदाता इसके संबंध में सूचना न दिए जाने और अंतर देने के लिए, विशेष रूप से जब इस सूचना की मांग जांच के दौरान प्राधिकारी द्वारा न की गई हो, आवश्यक समायोजन के संबंध में रिकॉर्ड में पर्याप्त सूचना के अभाव के लिए जिम्मेदार नहीं माने जा सकते। प्राधिकारी उचित तुलना सुनिश्चित करने के

लिए उपलब्ध सूचना से उपयुक्त समायोजन करने के लिए अपने विवेक का सर्वोत्तम उपयोग कर सकते हैं।

xxix. कॉपर कोडिंग के संबंध में उत्तरदाता से उपयुक्त समायोजन की मात्रा संबंधी सूचना पर प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त रूप से जोर नहीं दिया जा सकता क्योंकि उसकी उत्पादन लागत पर संबद्ध देश के एनएमई की अवधारणा के कारण बिल्कुल भी विचार नहीं किया जाता है। इस बात पर ध्यान न देते हुए, कॉपर कोटिंग की लागत विचाराधीन उत्पाद की औसत बिक्री कीमत के 0.5% से कम है। इस प्रकार, प्राधिकारी की यह टिप्पणी कि विचाराधीन उत्पाद परिभाषित उत्पाद के विवरण में आता है परंतु विचाराधीन उत्पाद से भिन्न है, समाधान योग्य नहीं है।

xxx. यदि प्राधिकारी अब भी यह मत है कि कॉपर कोटिंग के साथ निर्यातित उत्पाद विचाराधीन उत्पाद नहीं है तो उसे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से पूरी तरह अलग किया जाए।

xxxi. प्राधिकारी ने यह दर्शाते हुए अंतिम पीसीएन में खोल/पाउच के आधार पर पीसीएन के दावे को रद्द किया कि यह उचित तुलना को प्रभावित करने वाला संगत कारक नहीं माना गया है। जब पीसीएन खुद ही पाउच/खोल आदि से युक्त विचाराधीन उत्पाद और पाउच/खोल आदि के बिना विचाराधीन उत्पाद के बीच अंतर नहीं करता तो फिर निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर परिशिष्ट 3क में ऐसी सूचना के लिए उसे प्रकट करना और समायोजन प्रदान करने के लिए उत्तरदाता पर ही कोई दायित्व नहीं है बल्कि इसका ऐसा करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

xxxii. रद्द किए जा रहे अलग पीसीएन और अंतिम पीसीएन पद्धति की उपेक्षा करने के लिए अनुरोध के बावजूद यदि उत्तरदाता कोई समायोजन देता है तो यह प्राधिकारी के स्पष्ट निर्देश की अनदेखी करना होगा और असहयोग तथा अनुपालन न करना माना जाएगा।

xxxiii. उत्तरदाता ने प्राधिकारी से अनुरोध किया कि वे उत्तरदाता द्वारा निर्यातित वैक्यूम फ्लास्क बॉडी की तुलना घरेलू उद्योग की वैक्यूम फ्लास्क बॉडी से करें ताकि उचित तुलना के लिए उपयुक्त समायोजन किए जा सके। उत्तरदाता

ने वैक्यूम इन्सुलेटेड बॉडी के आंकड़ें अलग से देते हुए अद्यतन प्रश्नावली प्रस्तुत कर दिनांक 10 मई, 2024 के प्राधिकारी के नोटिस का भी अनुपालन किया। अपने इनपुट के बावजूद, घरेलू उद्योग ने वैक्यूम फ्लास्क बॉडी के उपयुक्त समायोजन के अगोपनीय रूपांतर अथवा अन्य कोई आंकड़े नहीं दिए हैं। अत:, विपरीत साक्ष्य के अभाव में एनआईपी और सीएनवी में उत्तरदाता के प्रस्तावित समायोजनों पर विचार किया जाना चाहिए था। न तो घरेलू उद्योग द्वारा आंकड़ों की उपलब्धता अधिसूचित की गई थी और न ही उत्तरदाता द्वारा दी गई सूचना की पर्याप्तता दर्शाते हुए बाद में कोई निर्देश जारी किए गए थे।

xxxiv. तद्नरूपी भार समायोजनों के बिना लिड, कैप और बॉटम के लिए एक समान कीमत जोड़ते हुए उत्तरदाता का उल्लेख रिपोर्टिंग को सरल बनाना और निरंतरता सुनिश्चित करना था। उत्तरदाता ने परिष्कृत वैक्यूम फ्लास्क बनाने के लिए वैक्यूम फ्लास्क बॉडी के प्रसंस्करण के लिए जिम्मेदार आयातक हेमिल्टन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इंडिया से प्राप्त सूचना के आधार पर लिड्स, कैप्स और बॉटम की 'प्रति किलोग्राम' अनुमानित लागत परिचालित की। इसके अतिरिक्त, उत्तरदाता ने प्रस्तावित समायोजनों के लिए अद्यतन प्रश्नावली में संगत दस्तावेज और औचित्य भी दिए, जबकि घरेलू उद्योग ने इस मामले में किसी समायोजन का प्रस्ताव नहीं किया।

xxxv. उत्तरदाता के प्रश्नावली के उत्तर को इस प्रकार पूरी तरह से रद्द करना पूर्णत: अनावश्यक है। प्रथमत:, संबद्ध सामानों के लिए पाटनरोधी शुल्क में समायोजन की मांग करना एक नेमी मामला नहीं है, और इस प्रकार कठोर दिशानिर्देशों के अभाव के आलोक में उत्तरदाता ने पूरी सूचना अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं के अनुसार प्रस्तुत की। दूसरे, प्राधिकारी के पास डीजीसीआईएंडएस की सूचना उपलब्ध है जो उचित तुलना के लिए उपयुक्त समायेाजन निर्धारित कर सकती है, परंतु उस पर विचार नहीं किया गया है।

xxxvi. प्राधिकारी ने उत्तरदाता द्वारा दिए गए भाड़े के आंकड़ों और आयातक हेमिल्टन से प्रविशष्ट बिलों में विसंगतियां पाई, तथापि उत्तरदाता ने एफओबी सुपुर्दगी शर्तों पर भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात किया है जिसमें प्रश्नावली के

उत्तर में सूचित किए गए अनुसार निर्यात कीमत में समुद्री भाड़ा शामिल नहीं किया गया है। इस प्रकार, निवल निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए उत्तरदाता द्वारा समुद्री भाड़े के किसी समायोजन के लिए कोई दावा नहीं किया गया है। एफओबी की परिशुद्धता और समुद्री भाड़ा राशि के बीच कोई विसंगति नहीं है। प्राधिकारी समुद्री भाड़े की उपयुक्त राशि अभिज्ञात करने के लिए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों और डीजी सिस्टम के आंकड़ों पर विचार कर सकते हैं।

xxxvii. प्रधिकारी से दिनांक 22 जून, 2024 के मूल में सूचना के लिए परिशिष्ट 1, परिशिष्ट 2 और परिशिष्ट 4 में अनुरोध किया गया था न कि परिशिष्ट 3क/3ख और परिशिष्ट 4क/4ख के संबंध में(ये आयातक प्रश्नावली के भाग नहीं हैं)। इसके अतिरिक्त यह दावा कि प्राधिकारी ने आयातक मैसर्स हेमलिंटन हाउसवेयर्स प्राइवेट लिमिटेड से जुलाई 2024 में सहायक सूचना मांगी, मान्य नहीं है क्योंकि उन्होंने 4 अप्रैल 2024 को निष्कर्ष निकाला था कि उसके प्रश्नावली के उत्तर पर विचार नहीं किया गया है। 11 जुलाई, 2024 के ई-मेल अथवा किसी अन्य मेल में 4क/4ख में दी गई सूचना के लिए सहायक दस्तावेज़ों का अनुरोध नहीं किया गया था। इस प्रकार, दिए गए तथ्य, प्रमुख तारीखें मिलाए गए हैं और इनसे जांच तथा निर्यात कीमत का निर्धारण प्रभावित हुआ है।

xxxviii. यह टिप्पणी कि ऐक्सल शीट में उल्लिखित परिशिष्ट 1 से संबंधित रिकॉर्ड प्राधिकृत अथवा सत्यापित नहीं था, भी मान्य नहीं है। आंकड़े रिकॉर्ड करने के लिए ऐक्सल व्यापक रूप से प्रयुक्त टूल है। प्राधिकार और व्यावहारिक दस्तावेज़ों के संबंध में निर्धारित अपेक्षा अथवा दिशानिर्देश नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, सत्यापन प्रक्रिया, फार्मेट जिसमें वह प्रस्तुत की गई है, की अपेक्षा आंकड़ों पर विश्वास करेगी।

xxxix. चीन की भाषा का पूरा अनुवाद कभी नहीं मांग गया था और न ही पर्याप्त अनुवाद की कमी दर्शाने वाला कोई पत्र जारी किया गया था। अत:, उत्तरदाता को द्विअर्थी अपेक्षाओं के साथ अनुपालन न करने के लिए दंडित नहीं किया जा सकता।

xl. प्राधिकारी ने भाड़ा आदि के कतिपय समायोजनों के बेमेल होने अथवा संशोधन का आरोप लगाते हुए, उत्तरदाता की सूचना की अनदेखी की है। तथापि, घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सभी संशोधन स्वीकार किए गए हैं।

xli. प्राधिकारी 5 वर्षों के निर्धारित पाटनरोधी शुल्क के बजाए 2 वर्ष की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क के संदर्भ कीमत स्वरूप की सिफारिश कर सकते हैं क्योंकि घरेलू उद्योग ही विचाराधीन उत्पाद की कम कीमत से प्रभावित हैं, काफी मांग-आपूर्ति अंतराल है और आयात आवश्यक हैं, उत्तरदाता द्वारा नगण्य निर्यात हैं क्योंकि क्यूसीओ लागू हुआ तथा निर्यात उचित कीमत पर है।

xlii. प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में नोट किया कि निर्यातक द्वारा प्रस्तुत उत्पादन फ्लोचार्ट में कॉपर कोटिंग एक उत्पादन प्रक्रिया के एक चरण के रूप में शामिल है। इसके अतिरिक्त, यह दावा किया जाता है कि निर्यातक ने जांच की अवधि के दौरान भारत को कुछ कॉपर कोटेड उत्पादों का निर्यात किया है जिसे निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर परशिष्ट 3क में सूचित नहीं किया गया है। ये टिप्पणियां विरोधाभाषी हैं क्योंकि यह आरोप लगाया जाता है कि निर्यातक ने निर्यातित कॉपर कोटेड उत्पादों को प्रकट नहीं किया परंतु निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में स्पष्ट रूप से प्रकट किया गया कि कॉपर कोटिंग उत्तर उत्पादन प्रक्रिया का भाग थी।

xliii. प्राधिकारी ने यह दावा किया है कि डीजी सिस्टम के आंकड़ों में उत्पाद का विवरण उत्तरदाता द्वारा सूचित नहीं किया गया है। तथापि, संबद्ध सामान वस्तुत: परिशिष्ट 3क में जियोंगताई द्वारा सूचित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, यदि गलत होने के दावे वाले इन आंकड़ों पर विश्वास किया जाता है तो वे लेनदेनवार डीजी सिस्टम/डीजीसीआईएंडएस के आंकड़े प्रकट किए जाने चाहिए। इन्हें प्रकट न करने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ। सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रावधान किया है कि पाटनरोधी जांच में प्राधिकारी अपनी ओर से किसी सूचना को गोपनीय होने का दावा नहीं कर सकते। तद्नुसार विगत में इसी प्रकार की स्थिति में डीजी सिस्टम के आंकडें स्पष्टीकरण के लिए निर्यातक को दिए गए थे (चीन जन.गण. से स्टेनलेस

स्टील, सीमलेस ट्यूब्स एंड पाइप्स, अंतिम जांच परिणाम दिनांक 23 सितंबर, 2022)।

xliv. आयातक की प्रश्नावली के उत्तर (आईक्यूआर) निर्धारित समय सीमा के आठ दिन बाद 27 मार्च, 2024 को दायर किए गए थे, जो कि अपेक्षित सूचना की जटिलता के आलोक में एक उपयुक्त और थोड़ा सा विलंब था।

xlv. आयातक प्रश्नावली के उत्तर को रद्द करना जांच पर वास्तविक प्रभाव के साथ महत्वपूर्ण आंकड़ों की अनदेखी का जोखिम बताता है। प्राधिकारी ने विगत में समान विलंब को माफ किया है।

xlvi. घरेलू उद्योग द्वारा सुझाव गए सभी संशोधन प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किए गए हैं। प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन घरेलू उद्योग द्वारा दावा किए गए मार्जिन से चीन से कम औसत निर्यात कीमत और आयातों की पहुंच कीमत कम होने के बावजूद याचिका में दावा किए गए मार्जिन से कम है। इस प्रकार, प्रकटन विवरण में सीएनवी और एनआईपी पर्याप्त रूप से संशोधित की गई हैं।

xlvii. घरेलू उद्योग को घरेलू उत्पादकों द्वारा किए गए उत्पादन और आयातों के संबंध में सूचना के अभाव के बावजूद संदेह का लाभ दिया गया है, जबकि पात्र उत्पादकों के संबंध में उत्तरदाता के दावे को बीआईएस लाइसेंस, वेबसाइट, ब्रोसर आदि का सहयोग होने के बावजूद रद्द किया गया था।

xlviii. प्राधिकारी ने अनिवार्य तथ्य प्रकट नहीं किए हैं, यथा घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई कीमत से आयातों की पहुंच कीमत कैसे कम है, यदि पहुंच कीमत में समायोजन वैक्यूम फ्लास्क बॉडी पर विचार करते हुए किए गए हैं, मापन की इकाई पीसेज से भारतीय रुपए प्रति मी.ट. में कैसे परिवर्तित की गई है, सीएनवी और निर्यात कीमत में संशोधन के कारण अथवा घरेलू उद्योग द्वारा ऐसे गलत आवेदन पत्र को रद्द क्यों नहीं किया गया।

xlix. क्यूसीओ के लागू होने के समय से उत्तरदाता द्वारा संबद्ध सामानों का कोई निर्यात नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, पाटनरोधी शुल्क की कोई

आवश्यकता नहीं है क्योंकि क्यूसीओ आयात प्रतिबंध पर प्रचालन कर रहा है।

I. आयातक प्रश्नावली के उत्तर के अनुसार, आयातों की पहुंच कीमत एनआईपी से काफी अधिक है। इस प्रकार, उत्तरदाता कोई क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं और किसी पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश नहीं की जानी चाहिए।

Ii. झेजियांग जियोंगताई हाउसवेयर कार्पोरेशन लिमिटेड और झेजियांग हाओकी इंडस्ट्री एंड ट्रेड कंपनी लिमिटेड को सहयोगी उत्पादक/निर्यातक माना जाना चाहिए और इन कंपनियों के लिए पाटनरोधी शुल्क की अलग दर निर्धारित की जानी चाहिए।

Iii. प्रकटन विवरण कार्यालय समय के बाद 10.16 अपराह्न पर प्राप्त हुआ था और 4.12.2024 को ग्राहकों को सूचित किया जा सकता था। हमारे अनुरोधों के पूर्ण न होने का मुद्दा पहली बार हमें प्रकटन विवरण में ही सूचित किया गया है।

Iiii. उत्तर को स्वीकार न किए जाने का एकमात्र आधार यह है कि कुछ परिशिष्ट और ऐक्सल शीट दायर नहीं की गई थी। यह कमी ठीक की जा सकती थी और कुछ तकनीकी कमी के कारण उत्तर दायर करते समय गलती से चूक हो गई।

Iiv. परिशिष्ट 3 में पूर्व वर्ष के आंकड़ों का शुल्क परिकलन पर कोई प्रभाव नहीं है और इस प्रकार इस जांच के प्रयोजन के लिए संगत नहीं हैं। प्राधिकारी ने चीन जन.गण. और ओमान से जिप्सम बोर्ड/टाईल्स संबंधी जांच में पहले ही यही दृष्टिकोण अपनाया है।

Iv. प्राधिकारी असंबद्ध आयातकों का सत्यापन नहीं करते। इस सुस्थापित परिपाटी से किसी विचलन के कारण प्रकटन विवरण से भिन्न नहीं है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी द्वारा जारी दिनांक 11.6.2024 का ईमेल यह उल्लेख करते हुए था कि "विषय- चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "स्टेनलेस स्टील के वैक्यूम इन्सुलेटेड फ्लास्क अथवा अन्य वैक्यूम वैसल्क"

के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच में पुन: निर्धारित मौखिक सुनवाई ", जिससे उत्तरदाता भ्रमित हुए।

lvi. चूंकि सत्यापन के लिए अन्य पत्र, यद्यपि उत्तरदाता को संबोधित थे, हमेशा निर्यातक के संबंध में बात हुई और निर्यात कीमत पर पहुंच मूल्य के संबंध में सूचना के संबंध में बात हुई, उत्तरदाता हमेशा यह सोचकर चल रहा था कि डीजीटीआर अपनी परिपाटी के अनुसार आयातक से सत्यापन के लिए कोई आंकड़ा मंगाने का प्रस्ताव नहीं करते।

lvii. यह भी स्पष्ट नहीं है कि उत्पादक/निर्यातक के लिए बनाया गया सत्यापन मेल आयातक को मार्क क्यों नहीं किया गया था।

lviii. यह तथ्य कि प्राधिकारी ने सत्यापन आंकड़ों की मांग की (जिसकी गलत विषय के कारण अनदेखी की गई थी) स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उपर्युक्त कमी को प्रस्तुत न करना प्राधिकारी के लिए चिंता का विषय नहीं था। इस प्रकार, प्रकटन विवरण के स्तर पर अचानक रद्द किया जाना पूर्णत: स्वैच्छिक और भेदभाव पूर्ण है।

lix. दिनांक 1.10.2024 का ईमेल, जिसका प्रयोग सकारात्मक दृष्टि बनाने के लिए किया गया था कि प्राधिकारी ने वास्तव में रद्द न किए जाने के कारण स्पष्ट करने के लिए अवसर प्रदान किया था, एनसीवी अनुरोधों के परिचालन के लिए था। चूंकि अनुदेश केवल पहले साझा न किए गए उत्तरों के अगोपनीय रूपांतर को साझा करने के लिए ही यह प्रयोग करने के लिए थे कि हितबद्ध पक्षकारों को दिए गए अवसर के रूप में पत्राचार साधारण रूप से व्यापकतापूर्ण नहीं हैं।

lx. प्राधिकारी से 4.10.2024 का बाद का ईमल भी एनसीवी अनुरोधों के परिचालन के संबंध में था। इस ईमेल में भी, किसी कमी के संबंध में अथवा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गलती से की गई त्रुटियों को सुधारने के तथाकथित अवसर के संबंध में कोई बात नहीं थी। किसी संशोधन के लिए निर्यातकों को दिए गए अवसर के रूप में 1.10.2024 के ईमेल का उल्लेख करना सही नहीं है।

lxi उत्तरदाताओं द्वारा दायर उत्तर को रद्द करना पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.1, 6.9 और 6.13 के तहत दायित्वों के विरुद्ध है। प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वे निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को उनसे अपेक्षित सूचना के संबंध में नोटिस दें। तथापि, वर्तमान जांच में प्राधिकारी ने उत्तरदाता को कोई नोटिस नहीं दिया है जो सूचना का आंशिक अनुरोध दर्शाता है।

lxii. आवेदन पत्र के अगोपनीय रूपांतर में दिए गए आयात आंकड़ों और प्रकटन विवरण में प्राधिकारी द्वारा प्रयुक्त आंकड़ों में काफी अंतर है। चूंकि प्राधिकारी के पास मापन की अनेक यूनिटों के कारण आयात आंकड़ों की छंटनी करते समय मुद्दे थे, अत: हितबद्ध पक्षकारों की सहायता से भी आयात आंकड़ों की मात्रा की पुन: जांच कराने के लिए प्राधिकारी के स्तर पर उपयुक्त होगा।

lxiii. यद्यपि आयात मात्रा बढ़ी, तथापि पहुंच मूल्य में काफी गिरावट आई। आयात आंकड़ों के परिवर्तन में प्राधिकारी के सामने स्वीकृत मुद्दों के आलोक में इसकी भी पुन: जांच किए जाने की आवश्यकता है।

lxiv. पूंजी जुटाने की क्षमता के संबंध में यह अनुरोध है कि डीजीटीआर ने नोट किया है कि कई उद्योगों ने जांच की अवधि के बाद अपनी सुविधाएं स्थापित की। यहां प्राधिकारी देश में अन्य घरेलू उत्पादकों द्वारा विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माण आरंभ करने के कारणों को पहचानने में विफल रहे।

lxv. प्राधिकारी ने इस तथ्य की भी अनदेखी की है कि उत्पादन और बिक्री में वृद्धि के बावजूद उनकी अंतिम मालसूची आरंभिक मालसूची की तुलना में काफी कम हुई। यह उद्योग की सकारात्मक वृद्धि दर्शाता है न कि आयातों का प्रतिकूल प्रभाव।

ठ.2 <u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

168. प्रकटन विवरण के संबंध अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं:

i. घरेलू उद्योग कई तारीखों में संबद्ध सामानों के तथाकथित अन्य घरेलू उत्पादकों के पास गए। प्राधिकारी ने इन तथाकथित उत्पादकों तथा उपभोक्ता

मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को भी पत्र भेजे। प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित नहीं है कि वे सूचना और साक्ष्य के लिए मरते रहे। प्राधिकारी का दायित्व पक्षकारों से सूचना मांगने तक और फिर प्राप्त सूचना के आधार पर उपयुक्त निर्धारण करने तक सीमित है।

ii. इन प्रयासों के बावजूद न तो प्राधिकारी को और न ही घरेलू उद्योग को हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सूचीबद्ध इन कंपनियों द्वारा उत्पादन के संबंध में कोई सूचना प्राप्त हुई। तथापि, इन कंपनियों ने उस क्राउन क्राफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को छोड़कर आंकड़े नहीं दिए हैं, जिसने संगत उत्पादन सूचना प्रस्तुत की। प्राधिकारी आवेदक के पूर्वाग्रह में अन्य कंपनियों द्वारा असहयोग को नहीं मान सकते परंतु इन पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए सर्वोत्तम तथ्यों पर ही कार्यवाही कर सकते हैं।

iii. जिन अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अन्य घरेलू उत्पादकों की मौजूदगी का आरोप लगाया उन्होंने अन्य कंपनियों द्वारा उत्पादन की मात्रा के संबंध में कोई वास्तविक साक्ष्य नहीं दिया। इन हितबद्ध पक्षकारों ने केवल आरोप लगाया और उसे खुला छोड़ दिया।

iv. निर्यातक के उत्तर रद्द किए जाने चाहिए। निर्यातक के उत्तर, जो या तो अपूर्ण थे या नहीं थे, पूरी तरह से रद्द किए जाने चाहिए थे और निर्यातकों को असहयोगी माना जा चाहिए था। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी को पहली बार में तब उत्तरदाताओं को इतने सारे अवसर दिए जाने की आवश्यकता नहीं थी जब हितबद्ध पक्षकारों ने समय पर अपेक्षित आंकड़े नहीं दिए। सूचना प्रस्तुत करने का अधिकार असीमित नहीं है।

v. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा का पालन करने में विफल होता है तो प्राधिकारी को उत्तर स्वीकार नहीं करने चाहिए। *यूएस -हॉट-रोल्ड स्टील* में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्राधिकारियों ने दो जापानी निर्यातकों द्वारा दी गई कुछ सूचना रद्द की थी जो प्रश्नावली के उत्तरों के लिए निर्धारित समय सीमा के बाद प्रस्तुत की गई थी, और इस प्रकार पाटन मार्जिन के परिकलन में "प्रतिकूल तथ्य" लागू किए।

vi निर्यातकों के अनुरोधों के अगोपनीय रूपांतर घरेलू उद्योग के साथ साझा नहीं किए गए थे और इस प्रकार रद्द किए जाने योग्य हैं। घरेलू उद्योग को उस पर सार्थक टिप्पणियां करने के अवसर से वंचित रखा गया था। प्राधिकारी द्वारा जारी (क) पाटनरोधी नियमावली का नियम 7, (ख) जांच की शुरुआत की सूचना के तहत दिए गए निर्देश और (ग) प्राधिकारी द्वारा जारी व्यापार सूचनाओं के उल्लंघन, का उल्लंघन रहा है। समय सीमा समाप्त होने, कमी पूर्ण उत्तरों अथवा समय से नए तथ्यात्मक सूचना के संबंध में अन्य देशों की परिपाटियों का संदर्भ भी पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

vii. प्राधिकारी ने निर्यात कीमत निर्धारण के लिए उत्तरों को सही रद्द किया है। कमियां अपूर्ण गलत, अथवा अपर्याप्त सूचना और अपेक्षित दस्तावेज नयाचार का पालन करने में विफलता और समय सीमाओं से संबंधित है। उनमें अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने, अस्पष्ट अथवा अपूर्ण उत्पाद विवरण देने, असत्यापित भाषा में दस्तावेज प्रस्तुत करने (बिना अनुवाद के चीनी भाषा), और समुद्री भाड़ा तथा संगठकों के लिए कीमत जैसी सूचित लागतों में विसंगतियां भी शामिल हैं।

viii. पूछे जाने पर वाणिज्यिक बीजकों और पैकिंग सूची जैसे प्रमुख दस्तावेज़ों का प्राधिकार गलत प्रतिनिधित्व अथवा धोखाधड़ी की संभावना के संबंध में चिंताएं उठाने वाले निर्यातक के दावों की विश्वसनीयता कम करते हैं। उत्पादन प्रक्रियाओं की गलत रिपोर्टिंग, यथा - इलैक्ट्रोप्लेटिंग का हटना, सामानों के सही वर्गीकरण और विनियामक मानकों को प्रभावित कर सकता है। इसके अतिरिक्त, सुपुर्दगी की शर्तों, भुगतान और भार अथवा भाड़ा लागत की गलत रिपोर्टिंग संबंधी स्पष्टता का अभाव गलत प्रशुल्क मूल्यांकन को परिणाम दे सकता है और सीमा शुल्क प्रक्रिया में विलंब कर सकता है।

ix. निर्यातकों द्वारा तथ्यों को छुपाया भी गया है। कॉपर कोटिंग वाले उत्पाद पक्षकारों द्वारा निर्यात किए गए थे परंतु पीसीएन पद्धति पर टिप्पणी देते समय उल्लिखित नहीं किए गए। प्राधिकारी को सूचित नहीं किया गया था कि कुछ विशेषताओं से 5% से अधिक का लागत अंतर हो सकता है। यह आरंभिक स्तर पर उल्लिखित किया जाना चाहिए था और एक पृथक पीसीएन

माना जाना चाहिए था। उत्पादों का अपूर्ण विवरण भी निर्यातकों द्वारा संगत परिशिष्टों में दिया गया था। निर्यातक उस समय अपनी निर्यात कीमतों में सहायक हिस्से पुर्जों की कीमतों की पहचान और समायोजन करने में भी विफल रहे जब उन्होंने वैसल के खोल के आधार पर पूर्व में पीसीएन प्रस्तावित किया था।

x. निर्यातक, अर्थात झेजियांग हाओकी इंडस्ट्री एंड ट्रेड कंपनी लिमिटेड और झेजियांग जियोंगतई हाउसवेयर कारपोरेशन लिमिटेड अपनी निर्यात कीमत में केस/पाउच/प्लास्टिक जैसे हिस्से पुर्जों की कीमत चिन्हित और समायोजित करने में विफल रहे। यह चूक विशेष रूप से इस बात को देखते हुए है कि निर्यातकों ने विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन पर अपनी टिप्पणियों में वैसल की केसिंग के आधार पर पीसीएन प्रस्तावित किया था। अपने अनुरोध में निर्यातकों ने माना कि वैक्यूम इन्सुलेटेड की लागत और कीमत इस बात पर अलग अलग होगी कि वे केस सहित अथवा केस के बिना बेचे जाते हैं और उन्होंने इस अंतर को दर्शाने के लिए पृथक पीसीएन श्रेणियां बनाने का अनुरोध किया। तथापि, यह प्रस्ताव करने के बावजूद केस अथवा पाउच की मौजूदगी के लिए उत्पाद की कीमत समायोजित नहीं की।

xi. अनिवार्य तथ्य छिपाकर, यथा- कॉपर कोटिंग की मौजूदगी तथा केस अथवा पाउच जैसे सहायक हिस्से पुर्जों के लिए समायोजन, निर्यातकों ने उनके द्वारा निर्यातित उत्पादों और घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित समान वस्तुओं के बीच उचित, एक एक करके तुलना रोकी है। महत्वपूर्ण सूचना को इस प्रकार जानबूझकर छोड़ना प्राधिकारी के लिए यह आवश्यकता दर्शाता है कि वे निर्यातकों के अनुरोधों को रद्दे करें।

xii. केवल मूल्य के लिए समायोजन की ही सूचना देना और उत्पाद की मात्रा (भार) के लिए नहीं देकर, निर्यातक ने अपूर्ण उत्पादों की यूनिट निर्यात कीमत कृत्रिम रूप से बढ़ाई है। यह महत्वपूर्ण विसंगति है क्योंकि भार के लिए हिसाब लगाए बिना मूल्य के आधार पर समायोजन निर्यात कीमत को उसकी वास्तविक कीमत से अधिक दर्शाता है और इस प्रकार, पाटन मार्जिन कम करता है। यद्यपि प्राधिकारी ने निर्यातक द्वारा निर्यातित उत्पादों के कुल

निर्यात मूल्य के संबंध में कैप/बॉटम/लिड के निमित्त निर्यातक द्वारा प्रस्तावित मूल्यवर्धन की प्रतिशतता प्रकट नहीं की है, यह देखा जाता है कि प्राधिकारी ने उल्लेख किया है कि वह मूल्य पर्याप्त सहयोगी साक्ष्य के बिना स्वीकार किए जाने के लिए काफी महत्वपूर्ण था।

xiii. यह देखा जाता है कि यद्यपि निर्यातक ने कैप/बॉटम/लिड आदि का मूल्य बताया है, तथापि उसने उससे जुड़ा भार नहीं बताया है। प्राधिकारी ने नोट किया है कि निर्यातक ने अपनी पैकिंग सूची के आधार पर सूचित भार को लेकर उल्लेख किया है, जहां आयात वैक्यूम इन्सुलेटेड बॉडी से बने थे। यह स्वाभाविक रूप से यह दर्शाता है कि कैप/बॉटम/लिड का भार नहीं दिया गया है।

xiv. निर्यातकों द्वारा दायर दस्तावेज़ों के प्राधिकार पर प्रश्न किया जा सकता है। यह प्राधिकारी द्वारा अपने प्रकटन विवरण में देखा गया है।

xv. भारतीय उद्योग को पाटित आयातों के आने के कारण वास्तविक क्षति हो रही है। यह घरेलू उत्पादकों को उनके प्रचालनों को बढ़ाने अथवा नई क्षमताओं में निवेश करने से हतोत्साहित कर रहा है। तथापि, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से घरेलू विनिर्माताओं को पाटित आयातों से उपचार मिलेगा जिससे नए निवेशों के लिए एक अनुकूल वातावरण बनेगा। लागू शुल्कों से केवल मौजूदा उत्पादक ही नहीं बल्कि नए प्रवेशकों को भी भारत में विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने में प्रोत्साहन मिलेगा जो सरकार की "मेक इन इंडिया' पहल के अनुरूप होगा।

xvi. प्राधिकारी ने लेनदेनों, विशेष रूप से कैप/बॉटम और लिड जैसे गायब भागों के लिए निर्यातकों द्वारा किए गए समायोजनों के संबंध में, का मूल्यांकन करने में सही दृष्टिकोण अपनाया है। निर्यातकों ने पुर्जों का मूल्य बताया है न कि संबद्ध भार का। उन्होंने अपूर्ण उत्पादों की निर्यात कीमत कृत्रिम रूप से बढ़ाई है।

xvii. दायर सूचना अंग्रेजी भाषा में नहीं दी गई है जबकि यह व्यापार सूचना सं. 01/2012 के तहत यह प्रावधान है कि जांच में पक्षकारों के लिए यह अपेक्षित

है कि वे उस किसी सूचना की अंग्रेजी अनुदित प्रति दें जो अंग्रेजी अथवा हिंदी को छोड़कर किसी अन्य भाषा में दी गई है।

xviii. शुल्क लगाए जाने से नए निवेश प्रोत्साहित होंगे।

xix. लगाए गए शुल्क, शुल्क के निर्धारित स्वरूप में होने चाहिए। इसके अतिरिक्त, इन्हें अम.डा. रूप में 5 वर्षों के लिए लगाया जाना चाहिए।

ठ.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

169. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई प्रकटन पश्चात टिप्पणियों की जांच की है। यह नोट किया किया जाता है कि जो टिप्पणियां पुनरावृत्ति की हैं और जिनकी पहले ही उपयुक्त रूप से जांच की गई है तथा अंतिम जांच परिणामों के संगत पैराओं में पर्याप्त रूप से हल कर दी गई हैं, संक्षिप्तता के लिए प्राधिकारी द्वारा प्रकटन पश्चात जांच में उन्हें दोहराया नहीं जा रहा है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियों/अनुरोधों में पहली बार उठाए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए मुद्दों की नीचे जांच की गई है:

क. कुआंगडी, जिनडुओ ने यह तर्क दिया है कि उन्हें पहला ईमेल 11 जुलाई को था और यह कि 22 जून, 2024 का ईमेल केवल आयातकों से संबंधित था। इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि यह विवरण गलत है। प्राधिकारी ने परिशिष्ट 1, परिशिष्ट 3क/3ख, परिशिष्ट 4क/4ख के लिए उत्पादकों और निर्यातकों से सहायक सूचना तथा सूचित समायोजनों के लिए सहायक दस्तावेज की मांग करते हुए 22 जून, 2024 को ईमेल भेजा था। यह भी तर्क दिया गया है कि सीमा शुल्क घोषणा दस्तावेज़ निर्यातकों के स्तर पर अवकाशों और छुट्टियों के कारण एकत्रित नहीं किए जा सके, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। जुलाई में मांगी गई सूचना काफी बाद में सितंबर में प्रस्तुत की गई है। यह भी नोट किया जाता है कि निर्यातकों ने सूचना देने के लिए समय बढ़ाने की मांग भी नहीं की। जैसा कि *यूएस - कोरोजन - रेसिसटेंट स्टील निर्णायक समीक्षा के संबंध में, "निर्णायक समीक्षा में सूचना प्रस्तुत करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों का अधिकार सीमित नहीं हो सकता। एक महत्वपूर्ण सीमा जो उस अधिकार पर वैध रूप से लगाई जा सकती है वह सूचना को प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समय सीमा है "।* यदि ये

माना भी जाए कि निर्यातक गलती से 11 जुलाई, 2024 का ईमेल चूक गए, फिर भी देरी से उत्तर ने उठाए गए और मांगी गई सूचना को पूर्णत: हल नहीं किया।

ख. जहां तक उत्तरदाता के साथ बातचीत के समय भी अनुदित न किए गए दस्तावेज की प्राप्ति का मुद्दा सूचित न करने का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि निर्धारित प्रश्नावली में हितबद्ध पक्षकारों के लिए अपेक्षित है कि वे दस्तावेज देते समय अंग्रेजी अनुवाद दें। इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकारों के साथ बातचीत का प्रयोजन उस सूचना की समझ तक सीमित था जो पक्षकारों द्वारा दी गई थी। किसी भी दशा में इस बातचीत का प्रयोजन रिकॉर्ड में सूचना से प्राधिकारी की संतुष्टि तक सीमित है। यह नई सूचना दायर करने का अवसर नहीं है। इसके अतिरिक्त, यह निर्यातकों का दायित्व है कि वे अंग्रेजी में सूचना दें। अंग्रेजी में अनुवाद के बिना चीनी भाषा में दायर दस्तावेज़ वर्तमान प्रयोजन के लिए अपर्याप्त हैं।

ग. कुआंगडी द्वारा तर्क और भार में संशोधन का जहां तक संबंध है, यह नोट किया जाता है कि निर्यातक ने आंकड़े बदलने के लिए कोई स्पष्टीकरण और औचित्य नहीं दिया। इसके अतिरिक्त, बिना किसी स्पष्टीकरण के बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे और इस प्रकार आंकड़ों की विश्वसनीयता पर गंभीर चिंताएं उठती हैं।

घ. जहां तक यह स्पष्ट करने के अवसर की मांग का संबंध है कि उत्तर को क्यों न रद्द किया जाए, प्राधिकारी का रिकॉर्ड यह दर्शाता है कि वह ईमेल वस्तुत: 1 अक्तूबर, 2024 को निर्यातक को भेजा गया था। इसके अतिरिक्त, प्रकटन विवरण ही उसके हितों की रक्षा के लिए निर्यातक को दिया गया एक अवसर था।

ड. जहां तक कुआंगडी के इस तर्क का संबंध है कि उसने 3 अक्तूबर, 2024 के ईमेल द्वारा 7 अक्तूबर, 2024 को प्राधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना का उत्तर दे दिया था, यह नोट किया जाता है कि यद्यपि उत्तर में प्राधिकारी को दो संलग्नक प्राप्त हुए थे, तथापि, उत्तर कमीपूर्ण था और उसमें प्राधिकारी द्वारा उठाए गए सभी मुद्दे हल नहीं किए गए थे। यह सिद्ध है कि निर्यातकों

ने सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए और प्राधिकारी द्वारा मांगी गई पूरक सूचना भी नहीं दी।

च. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि निर्यातक अवगत नहीं थे कि इलैक्ट्रोप्लेटेड वैक्यूम फ्लास्क विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर है, यह स्पष्ट किया जाता है कि इलैक्ट्रोप्लेटेड स्टीनलेस स्टील वैक्यूम फ्लास्क को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर नहीं किया गया है। निर्यातक के उत्पाद विवरण अपूर्ण तथा गलत थे, विशेष रूप से कुछ उत्पादों पर कॉपर प्लेटिंग के संबंध में। यद्यपि उत्पादन प्रक्रिया में कॉपर प्लेटिंग शामिल थी, यह महत्वपूर्ण विवरण निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर से छोड़ दिया गया था, जिससे निर्धारण के लिए आवश्यक अनिवार्य सूचना प्रकट करने में विफलता हुई। हितबद्ध पक्षकारों को वे मापदंड प्रकट करने चाहिए थे जो कीमत तुलनीयता को प्रभावित करते हैं। इलैक्ट्रोप्लेटिंग का संबद्ध सामानों की लागत पर प्रभाव है और उसे प्रकट किया जाना चाहिए था और उपयुक्त समायोजन के लिए सूचना दी जानी चाहिए थी। हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर टिप्पणी करने और पीसीएन पद्धति पर सुझाव देने के लिए अवसर प्रदान करने का प्रयोजन यह सुनिश्चित करना है कि उचित तुलना करने के लिए सभी संगत मापदंड रिकॉर्ड में लाए जाते हैं। हितबद्ध पक्षकारों का ऐसे सभी मापदंडों का उल्लेख करने का दायित्व है जो उचित तुलना प्रभावित करें। इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकारों का यह दायित्व है कि वे उपयुक्त रूप से, सच्चाई से और पूरी तरह पीसीएन मापदंडों की पहचान करें। हितबद्ध पक्षकारों ने वास्तव में पीसीएन पद्धति पर टिप्पणियां दी हैं परंतु प्राधिकारी और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सूचित करने में विफल रहे कि ऐसे अन्य महत्वपूर्ण और संगत मापदंड हैं जिन पर विचार किए जाने की आवश्यकता है, जहां तक उनके निर्यातों का संबंध है। विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पर टिप्पणी देते समय यह वास्तविक तथ्य को महत्वपूर्ण रूप से छिपाना था। इसके अतिरिक्त, यह प्राधिकारी की जानकारी में जांचों की अग्रिम स्तर पर और निर्यातकों के साथ में बातचीत के दौरान आया। प्राधिकारी मानते हैं कि यह बातचीत प्रश्नावली के उत्तर और निर्यातकों द्वारा दायर सूचना/दस्तावेज़ों को समझने तक सीमित थी। उपर्युक्त् अवसर नई सूचना देने के लिए अवसर

नहीं था। निर्यातकों ने संगत सूचना रोकी है और वह संगत सूचना नहीं दी है।

छ. निर्यातकों ने उल्लेख किया है सेलो के दावों को स्वीकार न करते हुए भी सेलो के अनुरोधों का उल्लेख किया। यह स्पष्ट किया जाता है कि सेलो का अनुरोध रिकॉर्ड में सूचना को संगत बनाने के लिए ही प्राधिकारी द्वारा उल्लिखित किया गया है।

ज. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि पूर्ण तथा समुचित उत्पाद विवरण, भुगतान की शर्तें और सुपुर्दगी की शर्तें प्रदान न करना उत्तर को रद्द करने का कारण नहीं हो सकता, यह नोट किया जाता है कि ये पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण हैं। पीसीएन पर्याप्त और उचित उत्पाद विवरण के बिना उपयुक्त रूप से सत्यापित नहीं किया जा सकता।

झ. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि परिशिष्ट 3क, 3ख और 4क में सूचना कुआंगडी और जिंगडुओ द्वारा भार और संख्याओं, दोनों के संदर्भ में दी गई थी, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने इन परिशिष्टों के संबंध में ही टिप्पणी नहीं की है बल्कि अकेले संख्याओं के संबंध में सूचित किए जा रहे परिशिष्ट 1 के संबंध में भी की।

ञ बोरोसिल का यह तर्क कि परिशिष्ट 3 में पूर्व वर्ष के आंकड़े संगत नहीं हैं और इस प्रकार नहीं दिए गए, स्वीकार नहीं किया जा सकता। हितबद्ध पक्षकार खुद यह निर्णय नहीं ले सकते कि कौन सी सूचना संगत है, जब प्राधिकारी ने प्रश्नावली के उत्तर दायर करने के लिए निर्धारित प्रपत्र जारी कर दिया हो। जैसा कि पहले परिशिष्ट 1 और 2 में नोट किया गया है, केवल पहले और अंतिम बीस (20) लेनदेन आयातक द्वारा उल्लिखित किए गए हैं जबकि आयातक द्वारा प्रकटन विवरण पर अपनी टिप्पणियों में साझा किए गए संशोधित परिशिष्ट 400 से अधिक लाइन के लेनदेन दर्शाते हैं। इस प्रकार, प्रमुख आयातों संबंधी सूचना आयातक द्वारा छिपाई गई थी और उसका कारण आज की तारीख तक नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त, आयातक प्रश्नावली के उत्तर के एनसीवी उल्लिखित हैं कि परिशिष्ट 4 और 5 आयातक प्रश्नावली के उत्तर के गोपनीय रूपांतर में संलग्न है, यह पाया

गया था कि उपर्युक्त परिशिष्ट अगोपनीय रूपांतर में भी नहीं दिए गए थे। अगोपनीय रूपांतर इस प्रकार भ्रामक था। इसके अतिरिक्त, यह नोट करने के बावजूद कि प्राधिकारी ने यह पाया कि जो आंकड़े ऐक्सल शीट में दिए जाने अपेक्षित थे, वे पीडीएफ फार्मेट में दिए गए थे।

ट. जहां तक बोरोसिल के इस तर्क का संबंध है कि डीजीटीआर आयातक प्रश्नावली के उत्तर सत्यापित नहीं करता, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रश्नावली और सूचना संगत सूचना एकत्रित करने और उसे उपयुक्त रूप से प्रयुक्त करने के उद्देश्य से मांगी जाती है। आयातक पहले प्रश्नावली के उत्तर दायर नहीं कर सकता और फिर यह तर्क नहीं दे सकता कि वह संगत और जांच करने तथा किए गए निर्धारण के लिए संगत और आवश्यक नहीं है। प्राधिकारी ऐसे उत्तर पर विचार करने और आवश्यक समझी गई सीमा तक उसका सत्यापन करने में औचित्यपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, गलत विषय शीर्षक के आधार पर सूचना/दस्तावेज़ों के लिए अनुरोध का उत्तर देने में अपनी विफलता का औचित्य बनाने का प्रयास स्वीकार नहीं किया जा सकता। यद्यपि यह माना जाता है कि मौखिक सुनवाई में उल्लिखित ईमेल का विषय(जैसा कि वह पूर्व के ईमेल पर आधारित था), इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता कि आयातक ने केवल विषय लाइन के कारण ईमेल की विषय वस्तु नहीं पढ़ी। यह आयातक पर था कि वे उपयुक्त स्पष्टीकरण मांगते। किसी भी दशा में, प्राधिकारी द्वारा उठाई गई अपेक्षाओं के किसी उत्तर की इस कारण ही उपेक्षा नहीं की जा सकती। आयातक को अपेक्षाएं नोट करनी चाहिए थीं और प्राधिकारी द्वारा अनुरोध की गई संगत सत्यापन सूचना देनी चाहिए थी।

ठ. यह प्रमाणित किया जाता है कि 1 अक्तूबर, 2024 को भेजे गए दो मेल थे, एक आगोपनीय रूपांतर के परिचालन से संबंधित और दूसरा उपर्युक्त पक्षकारों को रद्द न किए जाने के कारण स्पष्ट न किए जाने के लिए अवसर दिए जाने संबंधी था। पक्षकार ने चुनिंदा रूप से एक ही मेल का उल्लेख किया।

ड. जहां तक हाओकी के इस तर्क का संबंध है कि यह स्पष्ट नहीं है कि प्राधिकारी उचित तुलना क्यों नहीं कर सकते जब घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामान विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु है। प्राधिकरण स्वीकार करता है कि ऐसी

स्थिति में जब विचाराधीन उत्पाद में लागत में काफी अंतर वाला उत्पाद शामिल है, प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वे पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन निर्धारित करने के लिए उसके लिए भिन्न पीसीएन बनाएं। इसके अतिरिक्त, कुछ अंतर अथवा कारक ऐसे हो सकते हैं जो कीमत समायोजनों का भाग बन सकते हैं और पीसीएन के माध्यम से हल नहीं किए जा सकते हैं। यह हितबद्ध पक्षकारों का दायित्व है कि वे उन कारकों की पहचान करें जिन पर विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को परिभाषित करने और पीसीएन निर्धारित करने के लिए विचार किया जा सकता है। निर्यातक का यह तर्क कि किसी गैर बाजार अर्थव्यवस्था में किसी निर्यातक के लिए पूर्णत: यह अध्ययन करना असंभव है और समान वस्तु और विचाराधीन उत्पाद में प्रमुख अंतर की पहचान करना असंभव है, का कोई तर्क नहीं बनता है। निर्यातक से यह अपेक्षा की गई थी कि वे अपने उत्पाद में आरोपणों की पहचान करें और वह निर्यातक की पूरी जानकारी में था। यह भी नोट किया जाता है कि निर्यात ने खुद ही उल्लेख किया है घरेलू उद्योग ने अपने उत्पाद में एल्युमिनियम परत का प्रयोग किया है। यह दर्शाता है कि निर्यातक घरेलू उद्योग के उत्पाद के आरोपणों से अच्छी तरह अवगत है।

ढ. निर्यातकों ने यह भी तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग तब उत्पाद विशेषताओं की पहचान न करने के लिए भी जिम्मेदार है जब सामान्य मूल्य घरेलू उद्योग के आंकड़ों पर आधारित है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संगत विचार यह है कि क्या निर्यातक ने अपने उत्पाद में उपयुक्त रूप से और पर्याप्त रूप से पहचान की। यह सिद्ध है कि निर्यातक ने ऐसा नहीं किया। निर्यातक आयातित उत्पाद में इन वस्तुओं की पहचान करने का भार घरेलू उद्योग पर नहीं डाल सकता। यह निर्यातक का दायित्व था कि वे अपने उत्पाद में विशेषताओं की पहचान करें और प्राधिकारी को उपयुक्त रूप से सूचित करे। निर्यातक अपने विनिर्मित उत्पाद और भारत को निर्यातित उत्पाद से अच्छी तरह अवगत था।

ण. हाओकी और जियांगतई द्वारा लिया गया यह तर्क कि प्राधिकारी की टिप्पणी उत्पाद प्रक्रिया के भाग के रूप में उल्लिखित किए जाने पर कॉपर कोटिंग प्रकट न करने के उत्तरदाता के संबंध में विरोधाभाषी है, यह नोट किया जाता

है कि हितबद्ध पक्षकारों को जांच की शुरुआत के समय विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और प्रस्तावित पीसीएन पद्धति पर अपनी टिप्पणी देने के लिए अवसर दिया गया था। हितबद्ध पक्षकारों ने इस संबंध में विस्तृत अनुरोध किए परंतु निर्यातकों ने अपने उत्पादों पर कॉपर कोटिंग का तथ्य कभी उल्लिखित नहीं किया। यह तथ्य विशेषरूप से और अलग से प्राधिकारी को सूचित किया जाना चाहिए था। निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर यह मानते हुए पीसीएन की उपयुक्तता पर विचार करने के लिए अत्यधिक देरी के स्तर पर हैं कि निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर पीसीएन को अंतिम रूप दिए जाने के काफी बाद दायर किया गया था। यह नोट किया जाता है कि निर्यातक ने प्रस्तावित पीसीएन पद्धति पर अपनी टिप्पणियों में यह उल्लेख किया कि "*उत्पादन लागत प्रयुक्त संगठकों और हिस्से पुर्जों में, आकार में, कोटिंग सामग्री में, डिजाइन में, विशिष्ट विशेषताओं आदि में अंतर के कारण है जो विभिन्न प्रकार के वैक्यूम इन्सुलेटेड वैसल्स में लागू है*"। तथापि, निर्यातक ने कभी भी प्राधिकारी को सूचित नहीं किया कि कॉपर कोटिंग वाले उत्पादों के संबंध में उसके उत्पाद की कीमत में काफी अंतर है। वस्तुतः, कॉपर कोटेड उत्पाद के निर्यात से संबंधित लेनदेन यद्यपि जियोंगताई द्वारा सूचित किए गए थे, तथापि निर्यातक ने उत्पाद के विवरण में परिशिष्ट 3क में कॉपर कोटिंग सूचित नहीं किया। यह तथ्य कि उन्होंने कॉपर कोटेड उत्पाद का निर्यात किया, प्राधिकारी द्वारा डीजी सिस्टम के आंकड़ों से देखा गया था। यह तथ्य का स्पष्ट रूप से छिपाया जाना है।

त. उपर्युक्त के होते हुए, यह देखा जाता है कि निर्यातक अर्थात हाओकी और जियोंगताई ने प्रकटन विवरण पर अपनी टिप्पणियों के साथ केवल एक नमूना बीजक कॉपर कोटिंग के लिए उनके द्वारा लगाई गई कोटिंग लागत (सामग्री लागत सहित) दर्शाते हुए, साझा की है। सबसे पहले, यह नोट किया जाता है कि निर्यातकों ने साक्ष्य के रूप में केवल एक बीजक दिया है। दूसरा, यह देखा जाता है कि यद्यपि हाओकी द्वारा प्रस्तुत बीजक के विवरण में "कॉपर प्रोसेसिंग फी शुल्क" का उल्लेख है, जियोगताई द्वारा प्रस्तुत में "थर्मस फ्लास्क लाइनर के लिए **लेबर** कॉपर प्लेटिंग प्रोसेसिंग फी का उल्लेख है", तथापि, दोनों बीजकों का बीजक मूल्य व्यापक रूप से तुलनीय है। यह दर्शाता

है कि वह बीजक केवल कॉपर प्लेटिंग के लिए लेबर शुल्क से संबंधित है और उसमें सामग्री लागत शामिल नहीं है, यद्यपि निर्यातकों ने दावा किया है कि उसमें सामग्री लागत शामिल है। अंत में, यह देखा जाता है कि हाओकी और जियोंगताई द्वारा साझा किए गए उपर्युक्त साक्ष्य पर विक्रेता का नाम "***" और "*** है", जो यह बता रहे हैं कि उत्पाद प्रक्रिया का यह चरण तीसरे पक्षकार से लिया गया था/उप संविदागत था। तथापि, निर्यातकों ने अपने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में इस तथ्य को छिपाया और केवल बताया कि "*उत्पादन प्रक्रिया का कोई भी चरण उप संविदागत नहीं था*"।

थ. निर्यातकों द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि यह उल्लेख करने के लिए उत्तरदाताओं के लिए प्राधिकारी द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किए गए थे कि क्या उनके द्वारा निर्यातित उत्पाद विचाराधीन उत्पाद की परिभाषित परिधि में आता है या कोई विशेष विशेषताएं हैं अथवा ऐसे प्रयोग हैं जो उसे विचाराधीन उत्पाद के तहत आने वाले उत्पादों से अलग करते हैं और नही ऐसे पत्राचार की तारीख उल्लिखित की गई है। यह स्पष्ट किया जाता है कि ये निर्देश जांच की शुरुआत की सूचना का भाग थे जिनमें निर्यातकों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर टिप्पणी करने का अवसर दिया गया था और उनसे यह अपेक्षा की गई थी कि वे उपयुक्त पीसीएन के निर्धारण के लिए संगत मापदंडों की पहचान करें। इसके अतिरिक्त, निर्धारित निर्यातक प्रश्नावली में संगत सूचना अपेक्षित थी और इसीलिए इस संबंध में कोई पृथक पत्राचार आवश्यक नहीं है।

द. हाओकी और जियांगताई द्वारा यह तर्क दिया गया है कि जब उनका केसिंग/पाउच पर निर्धारित पीसीएन का दावा प्राधिकारी द्वारा रद्द कर दिया था तो केसिंग/पाउच के लिए समायोजन देने और प्रकटन करने का दायित्व उत्तरदाता पर नहीं था। यह नोट किया जाता है कि केसिंग/पाउच की लागत और कीमत पर प्राधिकारी द्वारा अलग पीसीएन निर्धारित करने के लिए काफी विचार नहीं किया गया था। तथापि, पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए उपयुक्त समायोजन करने हेतु यह एक संगत कारक है। वस्तुत: प्राधिकारी को विस्तृत सूचना प्रदान करना अपेक्षित था, यदि वह यह माने कि उसका उत्पाद, यद्यपि प्राधिकारी द्वारा परिभाषित उत्पाद विवरण के

अंतर्गत आता है, विचाराधीन उत्पाद से भिन्न है अथवा उसमें ऐसी विशेषताएं हैं जो उसे विचाराधीन उत्पाद से अलग करती हैं। निर्यातकों ने इस बात पर निर्भर रहते हुए कि क्या उत्पाद केस के साथ है अथवा बिना केस के है, लागत और कीमत में अंतर स्वीकार करने के बावजूद आवश्यक समायोजन करने के लिए सूचना प्रकट नहीं की अथवा नहीं दी।

ध. केवल दो वर्ष की अवधि के लिए संदर्भ मूल्य आधारित शुल्क लगाने के निर्यातकों के अनुरोध के संबंध में यह नोट किया गया है कि निर्यातक द्वारा शुल्क के स्वरूप और अवधि के लिए संतोषजनक औचित्य उपलब्ध नहीं कराया गया है, विशेष रूप से जब प्राधिकरण सामान्यत पांच वर्ष की अवधि के लिए एडीडी की सिफारिश करता है। संदर्भ मूल्य आधारित शुल्क मामले की तथ्यात्मक परिस्थितियों में उचित नहीं होगा, यह देखते हुए कि (i) उत्पाद की आपूर्ति स्टील के विभिन्न ग्रेड (200 और 300 श्रृंखला) का उपयोग करके की जाती है, जिसमें काफी भिन्न मूल्य होते हैं, (ii) उत्पाद अलग-अलग आकार में उत्पादित होता है, (c) उत्पाद तैयार रूप में और एक निकाय के रूप में बेचा जाता है, (d) उत्पाद अन्य वस्तुओं के साथ या बिना सहायक उपकरण के बेचा जाता है।

न. यह सुझाव दिया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा वैक्यूम फ्लास्क बॉडी के उपयुक्त समायोजन के संबंध में विरोधी साक्ष्य के अभाव में एनआईपी और अगोपनीय रूपांतर में उत्तरदाता के प्रस्तावित समायोजन पर विचार किया गया है। यह नोट किया जाता है कि उपयुक्त समायोजन करने के लिए सूचना के संबंध में प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को गायक संगठकों के संबंध में सूचना प्रदान करने के लिए विशेष निर्देश दिया था। हितबद्ध पक्षकारों ने तदनुरूपी संबद्ध भार दिए बिना गायब संगठकों का मूल्य ही चिन्हित किया। हितबद्ध पक्षकारों ने भार के निमित्त उपयुक्त अभिवृद्धि के बिना काफी 49% तक ऐसे लेनदेनों का कुल निर्यात मूल्य बढ़ाया। यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि गायब पुर्जों का मूल्य ऐसे गायब पुर्जों के भार को जोड़े बिना 49% तक बढ़ाया जाना चाहिए।

प. जहां तक हाओकी द्वारा लिए गए इस तर्क का संबंध है कि उन्होंने कैप/बॉटम/लिड के लिए, मूल्यवर्धित हेतु प्रश्नावली के उत्तर के साथ संगत दस्तावेज और औचित्य दिए, प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में कैप/लिड/बॉटम की एक समान कीमत समायोजित करने वाले निर्यातक को स्वीकार किया। तथापि, निर्यातक ने केवल कैप/लिड/बॉटम के निमित्त भार के लिए अभिवृद्धि का प्रस्ताव किए बिना मूल्य की अभिवृद्धि प्रस्तावित की। इसके अतिरिक्त, उल्लिखतानुसार निर्यातक द्वारा दिया गया "संगत दस्तावेज" केवल ऐक्सल फाइल है। निर्यातक द्वारा परिकलित मूल्य की पहचान करने के लिए उसके द्वारा कोई औचित्य अथवा पद्धति प्रकट नहीं की गई थी।

फ. जहां तक हाओकी और जियोंगताई द्वारा दिए गए इस तर्क का संबंध है कि निर्यात एफओबी आधार पर किए गए थे और कोई भाड़ा सूचित नहीं किया गया था अथवा उस निमित्त कोई समायोजन निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में दावा नहीं किया गया था, यह नोट किया जाता है कि निर्यातकों को उनकी दावा की गई निर्यात कीमत और पहुंच मूल्य दिए जाने का निदेश दिया गया था। 11 जुलाई, 2024 को, निर्यातक को कारखानागत निर्यात कीमत और पहुंच मूल्य के लिए दावा किए गए समायोजन बताए जाने के लिए कहा गया था। आयात का पहुंच मूल्य निकालने के लिए निर्यातक द्वारा हेमिल्टन के प्रविष्ट बिल के आधार पर समुद्री भाड़ा सूचित किया गया था। वस्तुत: निर्यातक द्वारा सूचित समुद्री भाड़ा और प्रविष्टि बिल में दर्शाए गए भाड़े के बीच विसंगति थी और इसीलिए त्रुटियों की सूची दिए बिना और प्राधिकारी द्वारा कहे गए अनुसार किए गए संशोधनों के बिना निर्यातक द्वारा संशोधन किए गए थे।

ब. यह तर्क दिया गया है कि परिशिष्ट 4क अथवा 4ख में दी गई सूचना के सत्यापन के लिए सहायक दस्तावेज के लिए किसी मेल का अनुरोध नहीं किया गया था। प्राधिकारी ने परिशिष्ट 1, 3क/3ख, 4क/4ख से संबंधित सूचना/दस्तावेज और उत्तर में दावा की गई कटौती से संबंधित सहायक दस्तावेज की मांग करते हुए 22 जून को एक मेल निर्यातकों को भेजा था। यह ईमेल प्राधिकारी के पास रिकॉर्ड में है।

भ. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि आयात नगण्य हैं क्योंकि क्यूसीओ लागू था, यह नोट किया जाता है कि क्यूसीओ व्यापार उपचार उपायों से भिन्न कार्य करता है। क्यूसीओ का उद्देश्य पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को हुई क्षति का उपचार करना नहीं है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा की गई बातों के विपरीत क्यूसीओ आयातों पर प्रतिबंध के रूप में प्रचालन नहीं करता।

म. हेमिल्टन ने तर्क दिया है कि उत्तर दायर करने में थोड़ा सा विलंब अपेक्षित सूचना की जटिलता के आलोक में उपयुक्त है। यह नोट किया जाता है कि आयातक ने न तो निर्धारित समय सीमा के भीतर उत्तर दायर किया और न ही उत्तर दायर करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की, न ही उत्तर दायर करते समय विलंब के लिए कोई कारण उल्लिखित किया, न ही समय पर उत्तर दायर करने में तथाकथित जटिलताएं सिद्ध कीं। जांच में कोई पक्षकार जांच करने के लिए प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा की उपेक्षा नहीं कर सकता। नियमावली के अनुसार और जांच की शुरुआत के समय भी अधिसूचित किए गए अनुसार, यदि कोई सूचना निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त नहीं होती है अथवा अपूर्ण सूचना प्राप्त होती है तो प्राधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकॉर्ड कर सकते हैं।

य. यह तर्क दिया गया है कि प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन याचिका में दावा किए गए मार्जिन से यह दर्शाते हुए कम है कि अगोपनीय रूपांतर और एनआईपी पर्याप्त रूप से संशोधित किए गए हैं। यह नोट किया जाता है कि आवेदक ने कोड 96170011 और 96170012 के लिए डीजीसीआईएंडएस के प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार अनुमानित निर्यात कीमत और पहुंच मूल्य के आधार पर मार्जिन परिचालित किए थे। तथापि, प्राधिकारी ने अपने स्रोतों से आंकड़ों के आधार पर निर्धारण किया है। वर्तमान जांच में प्राधिकारी ने कोड 96170011, 96170012 और 96170090 के लिए डीजीसीआईएंडएस के लेनदेनवार आयात आंकड़ों पर विश्वास किया है। जहां एक सीएनवी और एनआईपी में संशोधन का संबंध है, इनका निर्धारण प्राधिकारी द्वारा उन लागतों के आधार पर किया गया है जिन्हें उपयुक्त माना गया है न कि आवेदन-पत्र में किए गए दावे के अनुसार।

ड. <u>निष्कर्ष और सिफारिशें</u>

170. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए तर्कों, दी गई सूचना, किए गए अनुरोधों और ऊपर रिकॉर्ड किए गए अनुसार प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तथा उपर्युक्त पाटन के विश्लेषण और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के आधार पर प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं:

क) विचाराधीन उत्पाद "वैक्यूम इन्सुलेटेड फ्लास्क और स्टेनलेस स्टील के अन्य वैक्यूम इन्सुलेटेटेड वैसल्स" यथा - वैक्यूम इन्सुलेटेड कम/मग, बोतल/फ्लास्क, और कैरेफ्स/केतली हैं। विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में लिड, कैप और बॉटम जैसे भागों के सहित अथवा भागों के बिना फ्लास्क "वैक्यूम इन्सुलेटेड बॉडी" भी शामिल है।

ख) डिस्पेंसर, केसरोल्स, वैक्यूम लंच बॉक्स/टिफिन, आईस बैकेट्स और बक्से जैसे वैकसल्स और कंटेनर्स विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के बाहर आते हैं।

ग) सिंगल वाल फ्लास्क अर्थात, वे फ्लास्क जिसमें वैक्यूम नहीं है, इलैक्ट्रिक केतली और अन्य इलैक्ट्रिक वैसल्स विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग किए गए हैं।

घ) संबद्ध सामानों का आयात सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के सीमा शुल्क उप शीर्ष कोड 96170011, 96170012, 96170090 के तहत किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

ड.) प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को संगत सूचना प्रदान करने के लिए अवसर दिया और उसके बाद विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र निर्धारित करने के लिए और उपयुक्त पीसीएन पद्धति अधिसूचित करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों के साथ विचार-विमर्श किया। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सूचित उत्पाद मिश्रणों के आधार पर पीसीएन पद्धति अधिसूचित की और हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र तथा प्रस्तावित पीसीएन अधिसूचित किया।

च) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामान पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के अनुसार संबद्ध देश से आयात किए जा रहे संबद्ध सामानों की समान वस्तु है।

छ) चीन जन.गण. से संबद्ध सामानों के आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी जांच शुरु करने के लिए आवेदन-पत्र प्लेसरो इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, जिसे "पेक्सपो" के रूप में भी जाना जाता है, द्वारा दायर किया गया था।

ज) आवेदक के अलावा, भारत में संबद्ध सामानों के अन्य उत्पादक हैं। यद्यपि आवेदक ने अन्य उत्पादकों जिन्होंने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है, के उत्पादन की मात्रा बताकर कुल भारतीय उत्पादन का अनुमान लगाया, तथापि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने कुल भारतीय उत्पादन और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अभिज्ञात कई कंपनियों द्वारा उत्पादन का कोई साक्ष्य नहीं दिया। संबद्ध सामानों के अधिकतर भारतीय उत्पादक एमएसएमई श्रेणी में आते हैं। भारत में संबद्ध सामानों के उत्पादन और बिक्री के संबंध में कोई प्रकाशित सूचना नहीं है। अत:, सरकारी राजपत्र में जांच की शुरुआत अधिसूचित करने के अलावा और डीजीटीआर की वेबसाइट पर, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अभिज्ञात विभिन्न कंपनियों को उनके उत्पादन, आयात और अन्य कोई ऐसी सूचना जिसे वे संगत मानते हों, मांगते हुए लिखा। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को लिखा। संबद्ध सामानों के 4 उत्पादकों ने शुल्क लगाए जाने का समर्थन करने वाले प्राधिकारी के ईमेलों का उत्तर दिया। तथापि, क्राउन क्राफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को छोड़कर किसी भी कंपनी ने अपने उत्पादन और आयात मात्राओं के संबंध में सूचना नहीं दी। इसके अतिरिक्त, 4 उत्तरदाता घरेलू उत्पादकों में से दो ने जांच की अवधि के बाद की अवधि में संबद्ध सामानों का विनिर्माण शुरु किया था। घरेलू उद्योग ने अन्य घरेलू उत्पादकों को बार-बार लिखे जाने का साक्ष्य दिया जिसमें उनसे प्राधिकारी को उनके उत्पादन और बिक्री से संबंधित सूचना देने का अनुरोध किया गया था।

झ) यद्यपि प्राधिकारी कुछ अन्य आरोपित घरेलू उत्पादकों द्वारा किए गए आयातों की जांच कर पाए, क्योंकि उनमें से अधिकतर कंपनियों असहयोग पसंद करती हैं, तथापि, प्राधिकारी उनका स्तर निश्चित रूप से सुनिश्चित नहीं कर पाए। डीजी सिस्टम के आंकड़ों की जांच यह दर्शाती है कि कुछ कंपनियों ने जांच की अवधि में संबद्ध सामानों का आयात किया है परंतु उनके उत्पादन के संबंध में सूचना की उपलब्धता के अभाव के कारण उनकी पात्रता सुनिश्चित नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त, कुछ ने व्यापारियों के माध्यम से आयात किए जाने का आरोप लगाया

है परंतु उनके व्यापारियों के नाम के संबंध में कोई सूचना न होने के कारण उनके आयात निर्धारित नहीं किए जा सके। अत:, प्राधिकारी ने भारतीय उत्पादन निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना पर विचार किया है।

ञ) प्राधिकारी ने रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर निर्धारित किया है कि आवेदक द्वारा उत्पादन भारतीय उत्पादन का ***% है। अत:, प्राधिकारी ने निर्धारित किया है कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के तहत भारतीय उद्योग है और नियम 5(3) के अनुसार आधार के लिए मानदंड पूरा करता है।

ट) प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए गोपनीयता के दावों से संतुष्ट हैं और उन्होंने गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना को स्वीकार किया है।

ठ) संबद्ध देश के 4 निर्यातकों अर्थात योंगकांग जिंडुओ कर्प्स कंपनी लिमिटेड, झेजियांग कुआंगडी इंडस्ट्री एंड ट्रेड कंपनी लिमिटेड, झेजियांग हाओकी इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड कंपनी लिमिटेड, और झेजियांग जियोंगति हाउसवेयर कर्प्स लिमिटेड ने खुद को वर्तमान जांच में पंजीकृत किया और निर्धारित निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए। प्राधिकारी ने पाया कि निर्यातकों ने निर्धारित स्वरूप और तरीके में सूचना नहीं दी, प्राधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में विफल रहे और अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार कार्य नहीं किया।

ड) प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों के लिए अपेक्षित है कि वे समय से पूर्ण सूचना दें और सभी संगत सूचना/दस्तावेज सत्यता से प्रकट करें। यह वैश्विक परिपाटी है कि जांचकर्ता प्राधिकारी समय सीमा निर्धारित करते हैं और उसका कड़ाई से पालन करते हैं। इसके अतिरिक्त, जांचकर्ता प्राधिकारी वैश्विक रूप से प्रश्नावली के उत्तर स्वीकार करते हैं और अलग पाटन मार्जिन तभी निर्धारित करते हैं जब निर्यातकों ने अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार कार्य किया हो और सत्यता से तथा पूर्ण रूप से संगत सूचना प्रकट की हो। यह भी नोट किया जाता है कि जांचकर्ता प्राधिकारी वैश्विक रूप से उन दस्तावेज़ों को स्वीकार नहीं करते, जिनमें वांछित अंग्रेजी में अनुवाद साथ में न हो। वर्तमान मामले में, उत्तरदाता निर्यातकों द्वारा महत्वपूर्ण दस्तावेज दिए गए थे जिनमें अंग्रेजी में पूर्ण अनुवाद नहीं लगा हुआ था।

ढ) जिंडुओ और कुआंगडी ने या तो कमीपूर्ण उत्तर देकर अथवा निर्धारित समय सीमा के भीतर उत्तर दायर न कर अथवा प्राधिकारी द्वारा मांगी गई कुछ सूचना/स्पष्टीकरण/दस्तावेज़ों के संबंध में उत्तर दायर न कर प्राधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना की समय से पहुंच से इंकार किया। परिशिष्ट 3क/3ख से संबंधित अधिकतर सूचना निर्यातकों द्वारा सार्थक तरीके में नहीं दी गई थी। वस्तुत: इन निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत कुछ वाणिज्यिक बीजक और पैकिंग सूची उपयुक्त रूप से प्राधिकृत नहीं की गई थी, जो उनके आंकड़ों की विश्वसनीयता को संदिग्ध बनाती है। कुआंगडी द्वारा निर्यातक प्रश्नावली के अपने उत्तर के परिशिष्ट 3क में स्पष्ट न किए गए संशोधन किए गए हैं। यद्यपि जिंडुओ ने यह स्पष्ट नहीं किया कि कया उसकी सभी अथवा कुछ निर्यात मात्राएं इलैक्ट्रोप्लेटेड थी, तथापि कुआंगडी ने अपनी उत्पादन प्रक्रिया के भाग होने के बावजूद कॉपर कोटिंग के संबंध में तथ्य छुपाए। प्राधिकारी ने फिर भी इन निर्यातकों को उनके उत्तर रद्द न किए जाने के लिए कारण स्पष्ट करने का अवसर दिया। परंतु निर्यातकों द्वारा कोई कारण नहीं दिया गया था।

ण) हाओकी और जियोंगतई ने विचाराधीन उत्पाद/पीसीएन पर अपनी टिप्पणियों में यह उल्लेख करने के बावजूद कि कोटिंग सामग्री से उत्पाद की लागत भिन्न होती है, यह तथ्य छिपाया कि उन्होंने कॉपर कोटेड उत्पादों का निर्यात किया है जिससे उपयुक्त पीसीएन का निर्धारण रुका। उन्होंने उस निमित्त निर्यात कीमत में आवश्यक समायोजनों की सूचना भी नहीं दी। इसी प्रकार, केसिंग के आधार पर प्रस्तावित पीसीएन उनके द्वारा लिए जाने के बावजूद और इसका संज्ञान होने पर भी कि ये हिस्से पुर्जे अतिरिक्त लागत मद है, निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में उन हिस्से पुर्जों की कीमत समायोजित नहीं की, जिससे उचित निर्धारण नहीं हो सका। वस्तुत:, यद्यपि हाओकी ने दावा किया कि उन्होंने वैक्यूम फ्लास्क बॉडी और परिष्कृत उत्पाद, दोनों का निर्यात किया है और यह कि उन्होंने प्राधिकारी के अनुदेशों के अनुसार समुचित समायोजन सूचित किए हैं, तथापि निर्यातक ने कैप/लिड/बॉटम का मूल्य ही बताया परंतु इस निमित्त भार के लिए किसी तदनुरूपी किसी समायोजन का प्रस्ताव नहीं किया, जिससे निर्यात कीमत कृत्रिम रूप से बढ़ गई। इसके अतिरिक्त, यद्यपि दोनों निर्यातकों ने अपने(प्रतिभागी) आयातक अर्थात हैमिल्टन के बीओई के आधार पर समुद्री भाड़ा पर विचार करते हुए सीआईएफ

कीमत सूचित की, तथापि उनके द्वारा सूचित समुद्री भाड़ा सहायक दस्तावेज़ों के अनुरूप नहीं था। यद्यपि, निर्यातकों ने औसत समुद्री भाड़ा बाद में संशोधित किया, तथापि वह संशोधन किसी औचित्य के बिना किया गया था। किसी भी दशा में, यह देखा गया था कि कुल समुद्री भाड़े में वृद्धि के बावजूद औसत समुद्री दर कम हुई। इसके अतिरिक्त, दोनों निर्यातकों ने दी गई पूरी सूचना के अनुवाद नहीं दिए। यद्यपि निर्यातक निर्धारित समय सीमा के भीतर कुछ मांगी सूचना/दस्तावेज देने में विफल रहे, तथापि उनके द्वारा प्रस्तुत कुछ दस्तावेज़ प्राधिकृत भी नहीं किए जा सके।

त) प्रस्तुत सूचना की सत्यता और उत्तरदाता निर्यातकों द्वारा सूचित निर्यात कीमत सिद्ध नहीं की जा सकी। निर्यात कीमत का सही निर्धारण पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तथापि, प्राधिकारी इन निर्यातकों द्वारा किए गए निर्यातों के संबंध में अलग पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन निर्धारित करने में समर्थ नहीं हैं।

थ) निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को मानते हुए, चीन जन.गण. से संबद्ध सामानों के लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक, न्यूनतम से अधिक और काफी है।

द) संबद्ध सामानों के लिए मांग पूरी क्षति अवधि में बढ़ी है। आधार वर्ष से जांच की अवधि तक मांग में 50% से अधिक की वृद्धि रही है।

ध) संबद्ध देश से आयात 2021-22 को छोड़कर पूरी क्षति अवधि में बढ़े हैं। संबद्ध आयातों की मात्रा में वृद्धि घरेलू उद्योग में उपयोग में न लाई गई क्षमताएं होने के बावजूद जांच की अवधि में काफी थी। संबद्ध देश से आयातों की मात्रा देश में संबद्ध सामानों के आयातों की कुल मात्रा का लगभग 100% है।

न) सापेक्ष दृष्टि से संबद्ध आयातों की मात्रा 2021-22 तक घटी और पुन: जांच की अवधि में बढ़ी। यद्यपि उत्पादन के संबंध में आयातों की मात्रा देश में संस्थापित की जा रही नई क्षमताओं के कारण क्षति की अवधि में घटी, तथापि, बढ़ती हुई मांग के कारण और उत्पादन में परिणामी वृद्धि के कारण सापेक्ष दृष्टि में आयात काफी रहने जारी रहे।

प) संबद्ध आयात पूरी क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती करते रहे हैं। कीमत कटौती का स्तर जांच की अवधि में काफी बढ़ा।

फ) संबद्ध आयातों की कीमत लागत से भी कम है। यद्यपि लागत और कीमत में वृद्धि हुई है, तथापि मात्रा में वृद्धि और संबद्ध आयातों की कीमत में कमी से घरेलू उद्योग लागत में वृद्धि की मात्रा तक अपनी कीमत बढ़ाने से रुका। इस प्रकार, आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण कर रहे हैं।

ब) जहां तक घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर इन पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचे हैं:

i) घरेलू उद्योग ने मांग में वृद्धि के साथ अपनी क्षमता बढ़ाई। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में भी वृद्धि हुई।

ii) यद्यपि घरेलू उद्योग की मांग में बाजार हिस्सा क्षति की अवधि में बढ़ा है, तथापि संबद्ध आयातों ने अधिकतर घरेलू मांग ले ली।

iii) घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पूर्व में लाभ से जांच की अवधि में काफी वित्तीय हानियों तक घटी।

iv) घरेलू उद्योग में मालसूची का स्तर जांच की अवधि में संबद्ध आयातों की मात्रा में वृद्धि के साथ बढ़ा है।

v) यद्यपि घरेलू उद्योग के मात्रात्मक मापदंडों में भारतीय मांग और घरेलू उद्योग की क्षमता में वृद्धि के साथ सुधार दर्शाया है, तथापि पीबीटी, पीबीआईटी, नकद लाभ और निवेश पर आय में काफी प्रतिकूल प्रभाव दर्शाया है।

भ) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

म) प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षति रहित कीमत और आयातों की पहुंच कीमत को देखते हुए, यह देखा जाता है कि क्षति मार्जिन काफी है।

य) गैर-आरोपण विश्लेषण यह दर्शाता है कि किसी भी अन्य कारण से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई और उसे पाटित आयातों के परिणामस्वरूप वास्तविक क्षति हुई है।

कक) प्राधिकारी ने उपभोक्ता पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की जांच की। यह देखा जाता है कि संबद्ध सामान व्यापाक रूप से जनता द्वारा उपभोग किए जा रहे अंतिम प्रयोग के उत्पाद हैं और पाटनरोधी शुल्क लगाने से अंतिम उपभोक्ता पर कोई ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

खख) संबद्ध सामानों के घरेलू उत्पादकों से प्राप्त पत्रों, जिनमें वे दो शामिल हैं, जो जांच की अवधि में प्रचालन में थे और वे तीन जिन्होंने जांच की अवधि के बाद की अवधि में समान वस्तु का विनिर्माण शुरु किया, शामिल थे, यह दर्शाते हैं कि उत्तरदाता घरेलू उत्पादक शुल्क के पक्ष में हैं। यह उल्लेख किया गया है कि क्षमता के बेहतर उपयोग में ही शुल्कों से सहायता नहीं मिलेगी तथा पाटन के कारण हुई क्षति से मौजूदा उत्पादकों को उपचार ही नहीं मिलेगा बल्कि पाटनरोधी शुल्क से नए निवेश प्रोत्साहित होंगे, एमएसएमई क्षेत्र को लाभ मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा और "मेक इन इंडिया" पहल में योगदान होगा।

171. पाटनरोधी नियमावली के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच शुरु करने और जांच करने पर प्राधिकारी का यह मत है कि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना पाटन और परिणामी क्षति को समाप्त करने के लिए आवश्यक है। प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करना आवश्यक समझते हैं।

172. अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त की जा सके। तदनुसार, प्राधिकरण संबंधित देश में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए नीचे संलग्न शुल्क सारणी के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करता है।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्ष/उप शीर्ष	सामानों का विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	यूओएम	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**96170011, 96170012, 96170090**	वैक्यूम इंसुलेटे फ्लास्क और स्टेनलेस स्टील के अन्य वैक्यूम बर्तन*	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई	कोई	**1,732**	मी.ट.	अम.डा.

** "वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क और स्टेनलेस स्टील के अन्य वैक्यूम इंसुलेटेड बर्तन हैं जैसे वैक्यूम इंसुलेटेड कप / मग, बोतल / फ्लास्क और कराफ / केटल हैं, जिनमें फ्लास्क ई वैक्यूम इंसुलेटेड बॉडी और अन्य वैक्यूम इंसुलेटेड बर्तन शामिल हैं। बर्तन और कंटेनर जैसे डिस्पेंसर, केसरोल, वैक्यूम लंच बॉक्स / टिफिन, आइस बकेट और बॉक्स आदि विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं। इसके अलावा, सिंगल वाल फ्लास्क अर्थात वैक्यूम के बिना फ्लास्क, इलेक्ट्रिक केटल और अन्य इलेक्ट्रिक बर्तन पीयूसी के दायरे से बाहर हैं।"*

ढ. <u>आगे की प्रक्रिया</u>

173. इन अंतिम जांच परिणामों में प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध कोई अपील सीमा प्रशुल्क अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

दर्पण जैन

(दर्पण जैन)
निर्दिष्ट प्राधिकारी